

Dr. Rajneesh Dube
I.A.S
Additional Chief Secretary



D.O Letter No. ^{10/2-12-21/ACSUD/2021}.....

Urban Development, Urban Employment &
and Poverty Alleviation Department
Government of Uttar Pradesh
824, Bapu Bhawan, Lucknow-225001
Ph. No.- 0522-2239467,2238263
Email: acsud.goup@gmail.com

Date: ^{02/12/2021}.....

To,

**The Consultant (Judicial),
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.**

**Subject- ACTION TAKEN REPORT in COMPLIANCE of ORDER DATED
07.09.2021 in matter OA 116/2014 MEERA SHUKLA Vs MUNICIPAL
CORPORATION, GORKHPUR AND ORS.**

Dear Sir,

A detailed Action Taken Report regarding Department of Urban Development
in the abovementioned case is attached herewith.

With kind regards,


(Dr. Rajneesh Dube)

I.A.S

INDEX

S.N.	Enclosure Details	Annexure No.
	ACTION TAKEN REPORT AND STATUS OF PROGRESS	
1.	Minutes of Three Meetings for Review of Compliance and Progress in OA 116/2014	ANNEXURE -1
2.	Letter of Award Issued for work of tapping of 7 minor drains flowing in Ramgarh Tal	ANNEXURE-2
3.	Report of Municipal Commissioner Gorakhpur	ANNEXURE-3
4.	Report of Gorakhpur Development Authority on increase in collection of Auction for Fisheries	ANNEXURE -4
5.	Project Approved under AMRUT by High Powered Committee under Chairmanship of Chief Secretary	ANNEXURE -5
6.	Expenditure Finance Committee project appraisal	ANNEXURE-6
7.	GO for Award of Work to NEERI	ANNEXURE-7
8.	Expenditure Finance Committee project appraisal for MSW processing Plant in Gorakhpur	ANNEXURE-8
9.	Timebound Plan for MSW Plant	ANNEXURE -9
10.	Govt. Order sanctioning FSTP in Maghar	ANNEXURE-10
11.	Govt. Order sanctioning FSTP in Khalilabad	ANNEXURE -11
12.	Report of Director Local Bodies regarding interim measures of Bio-remediation in Maghar and Khalilabad	ANNEXURE-12
13.	Proposed Action Plan for Tapping of untapped Drains of river Amy, Rohini, Rapti, and Ghaghra	ANNEXURE-13
14.	Report of Municipal Commissioner Ayodhya	ANNEXURE-14
15.	Report of UPJN on sewage gap and plan for tapping of drains in Lucknow	ANNEXURE- 15
16.	Report of Lucknow Municipal Commissioner regarding interim measures for drains	ANNEXURE-16
17.	Report of Lucknow Municipal Commissioner for status of SWM in city	ANNEXURE-17
18.	Action Plan for improvement of Waste Management Services in Lucknow	ANNEXURE-18
19.	Details of Action Taken against Delinquent Officials	ANNEXURE-19



**REPORT OF URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT IN OA NO. 116
OF 2014 IN RE: MEERA SHUKLA VS. MUNICIPAL CORPORATION
OF GORAKHPUR AND ORS.**

It is humbly submitted that the subject matter for consideration before the Hon'ble Tribunal in present OA 116/2014 is related to 'Pollution of **Ramgarh Lake, Ami River, Rapti River and Rohini River** in and around Gorakhpur District.

1. In compliance of the orders of the Hon'ble Tribunal, I have conducted detailed periodic reviews related to Urban Development Department. Apart from regular video conferencing with concerned Municipal Commissioners and Executive Officers, three exclusive review meetings were convened(21/10/2021, 09/11/2021 and 22/11/2021)regarding compliance and progress of OA 116/2014 with the officials of concerned ULBs, senior functionaries of parastatal agency UP Jal Nigam and Directorate of Urban Development (A copy of the minutes of the three meetings is attached herewith as Annexure -1). A workshop on Bioremediation and Phytoremediation measures was also organized in Lucknow to guide the ULBs. A detailed Action Taken Report along-with

progress being made by Department of Urban Development, Govt. of UP, is as under

2. **Pollution Mitigation Efforts for improvement of Water Quality in**

RAMGARH TAL:It is submitted that there are Twenty-Four (24) drains out of which **6 main drains** with total discharge of **37 MLD**, falling into the Ramgarh Tal had been intercepted and diverted to two sewage treatment plants of **15 MLD** and **30 MLD** capacity, which were commissioned in July 2015 and February 2015. These Plants are working since then.

Balance 18 drains were targeted to be tapped in order to stop any direct flow of sewage, or other polluting effluent, in Ramgarh Tal. The progress achieved so far is as following: -

2.1 Municipal Sewage being discharged in 7 minor drains (having total discharge of **5.463 MLD**) shall be tapped at source in ongoing “Gorakhpur Sewerage Scheme, Zone A-1 Southern Part”, sanctioned under **AMRUT**. At present, the progress of works is **75%**. **The tapping of these drains will be completed by March-2022.**

2.2 The State Government has accorded significant importance to improvement in water quality of Ramgarh Tal, and in compliance of the order of the Hon’ble Tribunal, a project of Rupees 3419.80 Lakhs for I & D of the remaining 11

minor drains (having total discharge **1.357 MLD**) has been sanctioned by GoUP from the state budget. The tender has been finalised and the execution of the project has begun on **18th November' 21 (Annexure -2)**. The project is targeted to be completed by **17th May' 23**.

2.3 Bio-remediation of untapped drains -

Although the works for tapping of all remaining untapped drains have been sanctioned, as an interim measure, Nagar Nigam Gorakhpur has initiated bio-remediation work of all the 18 minor drains that are undergoing tapping. Improvement in the water quality of Ramgarh Tal demonstrates sincere efforts made by the Government in this regard. Bio-remediation of drains has reduced the pollution load in all 18 untapped drains.

Report of NABL Accredited lab (Sishodia Research Laboratories Private Limited, 645A/461, Jankivihar, Jankipuram, Lucknow) regarding pre and post bio-remediation outcome is as following (Annexure – 3):

S.No	NameofDrains	Discharge (MLD)	Pollution load Before interim measures (mg/l.)		After interim measure (mg/l)	
			BOD	COD	BOD	COD
1	Girdharganj Nala (YadavTolaNo-1)	0.276	136	380	20	84.40
2	Girdharganj Nala(YadavTolaNo-2)	0.996	149	392	29.7	98.00
3	AvasVikasKacchaNala	0.201	148	364	19	94
4	VishunpurwaNala	1.032	128	212	26.70	90.10
5	Sighariya-MaherwakiBari	2.208	168	356	30.00	86.20
6	NavalpurwaNala(Near JalpaiMai Mandir)	0.104	144	432	19.80	82.30
7	SaharaEstateNala	0.646	138	376	26.90	78.40
8	NalaNearSmartwheel'sPvt Ltd,Mohaddipur	0.171	128	342	25.50	74.40
9	ShriRampuramcolonydrain	0.118	171	424	24.20	70.50
10	ShriRampuramcolonydrain	0.029	128	304	22.80	66.60
11	Shri Rampuram colony drain -2	0.031	144	340	21.50	85.30
12	Shri Rampuram (3) colony drain	0.009	156	394	18.80	62.70
13	Shri Rampuram colony drain near H.No. 850	0.131	152	394	23.10	100.8
14	Shri Krishnapuram Nala	0.123	124	297.2	22.20	97.00
15	Suraj Nagar /Ramnagar colony drain	0.124	131	374	21.30	93.10
16	Satya Marg Nala (Near H.No. 112)	0.383	164	404	20.40	89.20
17	Parha Tola drain near Ishrawati Devi	0.199	134	292	29.30	79.20
18	Parha Tola drain (Prabhu Dayal Agrawal)	0.039	128	352	27.90	81.4

Various other initiatives being undertaken by the GoUP for the improvement of Ramgarhtalare narrated in the following paragraph: -

2.4 **SILT/SLUDGE Removal:** Apart from sanctioning projects for drain tapping, and the interim measures for bioremediation of untapped drains, 1.143 million cum silt / sludge has been cleared from the Tal under “Pollution Prevention and Conservation of Ramgarhtal” project. As per the work execution report of project implementing agency, dredging has been executed at a distance of 75 m, from the shoreline of Ramgarh Tal. The details are mentioned below:

- *In 40m width E-
W, 3.2 km length, about 1.8m deep*
- *In 80m width N-
S, 1.8 km length, about 1.8m deep*
- *In 80m Width near outlet,
0.6 km length, about 1.8m deep*

Dredging strip chosen near shoreline is at a distance of 75.0 m, so as to make a silt trap channel in order to minimize further deposition of silt in the center of lake.

2.5 It is also important to submit that due to various initiatives taken for improving the water quality of Ramgarh Tal, there has been a clear improvement in the quality of water of the lake, as tested and studied by the reputed organisations like **Indian Institute of Technology, BHU & MNIT, Prayagraj**. This may be seen in the following table: -

Year 2007 WQM in reference to BOD (before pollution mitigation in mg/l)				Year 2017 WQM in reference to BOD (after pollution mitigation effort in mg/l)			
Top		Bottom		Top		Bottom	
MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
20	80	36	108	2.25	10.5	2.4	11.3

The improvement of water quality has led to a substantial increase in marine life of the lake and it may be noted that the contract for fishing in Tal for five years (2014 to 2019) was auctioned in approximately Rs 226.07 Lacs with annual fees average being approximately Rs. 45 Lacs whereas the bid for the period of 2019-24 was auctioned in much higher price and collection in the period (since 2019-July 21)has been approximately Rs. 5.19 Crore (Annexure-4).

3. **Pollution Mitigation Effort for River Rapti and Rohini:**The River Rapti originates from the Himalayan Hills in Nepal and ultimately joins river Ghaghra at Kaparwar Ghat, in District Deoria. River Rohini also originates from Himalayas and meets River Rapti as one of its' principal tributaries in the area of Domnigarh, in the Gorakhpur district. In compliance of the orders of the Hon'ble Tribunal an action plan

for improving the water quality in polluting stretches of River Rapti, has been prepared. The objective of the Action Plan is to restore the water quality of the identified polluted stretches of River Rapti, from Domingarh to Rajghat. As per the water quality report, polluting stretch of river Rapti falls in priority V. The major cause of pollution of river Rapti and river Rohini, is primarily the flow of untapped drains from the city of Gorakhpur. Sincere efforts have been made by the Department of Urban Development to improve the sanitation and sewage management in the city of Gorakhpur, a Brief of which is as following:

3.1 Previously Sanctioned Projects under Construction:

S.No.	Name of Project	Financial Sanction (Lakhs)	Project Components	Date of completion
1	Gorakhpur Sewerage Scheme Zone A-1, Northern Part (Upper Part)	13627.81	<ul style="list-style-type: none"> • Sewage House Connections 9285 (Households) • Sewer Network of 67.863 Km 	31.12.2021

2	Gorakhpur sewerage scheme Zone a-1 Southern Part (Lower Part)	19202.21	<ul style="list-style-type: none"> • Sewage House Connection 14530 (Households) • 1 No. S.T.P. (5 MLD) • Sewer Network of 102.920 Km 	31.03.2022
3	Gorakhpur Septage Management Solution (Co-treatment)	167.49	<ul style="list-style-type: none"> • Co-Treatment of 50 KLD 	30.06.2022
4	Construction of intercepting sewer line and parallel Earthen bund from Paidleyganj to RKBK, Maruti showroom at Northern Side of Ramgarh Taal, Gorakhpur	3419.80	<ul style="list-style-type: none"> • Intercepting sewer line and I&D work of 11 minor drains falling from Northern end of Ramgarh Taal • Beautification Work. 	17.05.2023

3.2A Sewerage Project Approved under AMRUT by High Powered Committee under Chairmanship of Chief Secretary (Annexure -5) and Expenditure Finance Committee (Annexure- 6) is as follows:

S No.	Project Name and Scheme	Financial Sanction (in Lacs)	Target	Timeline
1.	Gorakhpur Sewerage Scheme Sub Zone C2 Part 1	223.86 Cr (G.O. to be issued in December' 2021 after Cabinet Approval)	<ul style="list-style-type: none"> • Tapping (At Source) of Municipal Sewage being discharged in 3 drains, falling in River Rohini. • 15000 House Connections • 51.892 Km Sewer Network • 10 MLD STP 	The project will start in March 22 and is expected to complete by December 23.

3.3 Proposed Action Plan for Remaining Untapped Drains of River Rapti and Rohini:

#	Name of Work	Name of Drain	Description of Work Component	Funding	Approx Cost (Rs in Cr)	Estimated ULB Share Required	Remarks
RAPTI RIVER AT GORAKHPUR							
1	Pollution Abatement of Rapti River by I&D of 9 drains falling from Sewerage Zone B of Gorakhpur.	Domin garh Bahram pur Illahiba gh Mirzap ur Ghasiy ari Basantp ur Narkati ya Hansup ur Transp ort Nagar	8 No. I&D, 1 No STP (44 mld approx) with MPS. Conveyance main	Namam i Gange	271.00	-	<p>Timeline:</p> <p>DPR Prep. - Mar' 22</p> <p>DPR Approval - Apr' 22 / May'22</p> <p>Tendering Process - Jun' 22/Aug' 22</p> <p>Project Start - Sep' 22</p> <p>Project Completion - Sep' 24</p> <p>This project is in the priority list of work proposed under NMCG. The cost includes 15 years O&M</p>

		Kataniya / Mahewa	1 No. I&D 1 No STP (10 MLD approx.) 1 No. SPS, other appurtenant works	Amrut 2.0	85.00	17.00	Timeline: DPR Prep. - Mar' 2022 DPR Approval – July' 2022 Tendering Process – Aug / Sep 2022 Project Start - Oct' 2022 Project Completion - Sep' 2024 AMRUT 2.0 planning is a work in progress.
ROHINI RIVER AT GORAKHPUR							

-1	Pollution Abatement of Rohini River from drains falling from Sewerage Zone C of Gorakhpur.	Green City Phase-II	1 No STP (30 mld approx), 2 Nos. IPS with Rising main, Sewer network 100 Km. with 28000 sewer house connections.	Amrut 2.0	300.00	60.00	Timeline: DPR Prep. - Mar' 2022 DPR Approval - July 2022 Tendering Process – Aug / Sep 2022 Project Start - Oct' 2022 Project Completion - Sep' 2024 AMRUT 2.0 planning is a work in progress.
----	--	---------------------	--	-----------	--------	-------	--

3.4The interim measures for the untapped drains, that are being undertaken by Nagar Nigam Gorakhpur for River Rapti are as following: -

For River Rapti:

A. Three drains namely Domingarh, Illahibagh and Kataniya, are being treated through Bioremediation process, by Nagar Nigam Gorakhpur. The Firm

executing the bioremediation work is **M/s Maple Orgtech (India) Ltd**, Kolkata.

B. Phyto-Remediation work for six drains, namely Bahrapur, Mirzapur, Ghasiyari, Basantpur Narkatiya, Hanshupur and Transport Nagar, has been awarded to NEERI, Nagpur under AMRUT, by State Govt (ANNEXURE -7).

3.5 Interim Measures For River Rohini area as follows:

A. Two no. of Drains, namely 1. Basiyadih; 2. Bargadawa Gao Jalan are being treated through Bioremediation process by Nagar Nigam, Gorakhpur. The Firm executing this work is M/s Maple Orgitech (India) Ltd, Kolkata.

B. Phyto-Remediation work for Four no of Drains, namely 1. Subhas Chandra Bose colony; 2. Stepping Stone; 3. Green city Phase; 4. Mahesra Moharipur has been awarded to NEERI, Nagpur under Amrut scheme by Govt.

3.6 Interim measures in form of bio/phyto-remediation already sanctioned have resulted in reduction of pollution load of the drains.

Illustrative outcome of water test results (from NABL accredited lab: Sishodia Research Laboratories Private Limited,

645A/461, Jankivihar, Jankipuram,
Lucknow) of interim measures undertaken
by Gorakhpur Municipal Corporation :

S. No	Name of Drains	Discharge (MLD)	Water Test Results			
			Before Bioremediation Sample		After Bioremediation Sample Date	
			BOD	COD	BOD	COD
1	Domingarh Nalla	9.03	162	388	26.6	77.6
2	Illahibagh Nalla	20.61	154	328	25.3	73.7
3	Kataniya / Mahewa Nalla	8.914	174	398	23.9	69.8
4	Basiyadh Nalla	5.842	155	340	22.6	65.9
5	Bargadwa Gao Jalan Nalla	8.164	116	420	14.2	62

4. Identification, Selection & Establishment of Landfill site for MSW processing plant in Gorakhpur:

4.1A major challenge in management of waste and sanitation in Gorakhpur city has been to resolve the land issue for setting up of SWM Plant for sanitary landfill and processing of day to day generated solid waste. The geographical topography of the region (eg: low lying areas with water submergence) and 'Not in My Backyard Syndrome' prevalent among general

populace have posed serious challenges to identify selection of a suitable land, however, with great efforts in recent past a suitable land has been identified by Municipal Corporation, Gorakhpur and out of 10.36 hectare total identified land, 8.50 hectare of land has been already purchased by Municipal Corporation Gorakhpur, which is sufficient for developing landfill site and establishment of processing plant as per MSW Rules 2016. A DPR of Rs. 31.58 Cr has been prepared by C&DS, UP, Jal Nigam Lucknow for civil work of the setting up of MSW plant. As per guidelines of the sanctioning of the DPR, the vetting and approval of DPR from State High Power Committee under Chairmanship of Chief Secretary has been done and Expenditure & Finance Committee under Chairmanship of Additional Chief Secretary Finance has approved the project in its meeting held on 26.11.2021 (ANNEXURE -8). The Government order for financial and administrative sanction is being issued shortly.

A detailed time bound plan for completion of the project with milestones is attached herewith as Annexure -9.

4.2 Apart from MSW processing initiative for proper sanitation management in city of Gorakhpur, Nagar Nigam Gorakhpur has been

making other sincere efforts. In the city 10991 number of Individual Household Toilets (IHHL) have been constructed during Swachh Bharat Mission-Urban. Also 335 number of Community Toilets (CT) and 774 number of Public Toilets (PT) have been constructed. The city has been certified as Open Defecation Free Plus (ODF+) after third party verification by an agency appointed by GoI. For proper Faecal and Septage management a project of Rs. 167.49 Lacs for setting up cotreatment FSTP has been sanctioned and it is due for completion by June 2022. In addition to a project for mobile onsite septage dewatering vehicle mounted machine with 2 Years of O&M (approximate cost Rs. 6.4 Crore) has been sanctioned by the state government which is under procurement process. It is pertinent here to mention that other than Municipal Corporation's own financial resources, the state government has provided approximately Rs. 29.73 Crore in past few years (since 2017) for strengthening the sanitation and waste management infrastructure in the city.

5. Ami River and Pollution Mitigation Efforts:

5.1 River Ami is known as the lifeline of Magahar, which originates from Sikhaira Tal, Siddharthnagar. It is a small river and during its journey, it traverses approximately 102 Kms.

The stretch of the river from Rudhauri, Basti to Sohgaora, Gorakhpur has been identified as a polluted stretch. During the journey of 102 Kms from Sikhaira district Siddharthnagar, it carries rainwater during monsoon through connected tributary/natural drain/manmade drains of both the banks. Maximum flow has been observed in the rainy season and minimum flow is observed in the summer season., **Under the orders of Hon'ble Tribunal, an action plan for mitigating the pollution in river Ami, has been prepared by the State Government.**

5.202 main towns, namely **Nagar Palika Parishad Khalilabad**, and **Nagar Panchyat Magahar**, are located at the catchment of River **Ami**. The sewage and other effluent generated from these towns, contribute to the organic load of the river. Although, as per the instructions of the then Chairman of Oversight Committee, the DPR for tapping of drains and establishment of STPs in the two towns was prepared and sent to NMCG, however, this could not be sanctioned by NMCG. As an alternative measure for Pollution Abatement of Ami River the State Government, through its own budget, has sanctioned the construction of FSTPs in both the towns of **Khalialabad** and **Maghar**. Since both towns are rather small with limited financial resources the feasible model that could be adopted for

such small town for waste management is onsite FSSM, with increasing hundred percent access to sanitation, through toilets and installation of FSTPs, for managing the septage generated in the town. Hence the **State Government** has sanctioned 32 KLD FSTP for Maghar with approximate cost of **Rs. 5.78 Crore (Annexure-10)**, and another 32 KLD FSTP at Khalilabad with approximate cost of **Rs 5.78 Crore (Annexure -11)**. NIT for both the projects has been invited. A time bound action plan has been rolled out with milestones to start the two projects by 24th Dec' 21 and complete it within 6 months of the start (i.e by 24th Jun' 22).

5.3A brief of the progress of sanitation in the two town areas is as following:

Name of ULBs	Total No. of Constructed Toilet Seat during Swachh Bharat Mission			No. of Constructed Toilet seat After Dec, 2019			ODF Status	Fund Transfer by State Govt. propersanitation(Rs. In Lakhs)
	CT	PT	IHHL	CT	PT	IHHL		
NP Maghar	32	8	1510	0	0	0	ODF+	225.8967
NPP Khalilabad	63	67	1711	0	24	0	ODF+	345.6981

5.4 Interim measure of treating the drains through bioremediation, for reduction in pollution load, is being undertaken by both the local bodies. The following is the status of bioremediation,

with regards to the drains flowing in Nagar Palika Parishad Khalilabad and Nagar Panchayat Maghar (Annexure - 12) :-

1. Bioremediation is being done in the Sarahi drain flowing in the Ami River, at Nagar Palika Parishad Khalilabad, since 12.01.2021.
2. Bioremediation is being done in Kabir Chauraha drain and Rail Bridge drain, at Nagar Panchayat Maghar, since 04.11.2020.

6. Ghaghra River and Mitigation Efforts:

6.1 River Ghaghra is a perennial Trans-Boundary River. It originates on the Tibetan Plateau of Himalaya's near Lake Mansarover. Ghaghra River joins River Ganga at Sitab Diyara in Distt. Ballia of UP. Total stretch of River Ghaghra is approx. 1080 km. The length of Ghaghra River in Nepal is approximately 507 km and the remaining stretch of the river, before confluence with the River Ganges, lies in India. It is the largest tributary of the River Ganga by volume. Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 20th September 2018 instructed UPPCB, to prepare River Ghaghra Action Plans to restore the quality of priority-V polluted stretches of the river. Based on the monitoring data of river, water quality of the identified

polluted stretches of River Ghaghra is from Barhalganj (Dist. Gorakhpur) to Bhagalpur (Dist. Deoria). Hence, the said stretch of the river from Barhalganj to Bhagalpur must be rejuvenated. No industrial unit has been identified along the Riverbank within identified polluted stretch of River Ghaghra. Three local bodies namely Nagar Panchayat Barhalganj (District Gorakhpur), Nagar Panchayat Doharighat (District Mau) and Nagar Palika Parishad Gaura Barhaj (District Deoria) are situated along the Riverbank within identified polluted stretches. Approx. 3.60 MLD is discharged from the Town Area Barhalganj, into river through 04 untapped drains. Approx. 2.3 MLD is discharged from Town Area Dohari Ghat, into River through 04 untapped drains. Approx. 8.5 MLD is directly discharged into the river through 2 untapped drain from Nagar Palika Gaura Barhaj, Deoria.

6.2 As interim measures for reducing the pollution load of the drains, the local bodies have initiated bioremediation of untapped drains.

6.3 An action plan for tapping of the drains has been prepared to undertake the works of I&D and STP construction in all the three local bodies. The work of Barhalganj and Doharighat (approximately Rs. 114.22 Crore) is proposed to be sanctioned under NMCG by the Namami

Gange and Grameen Jalapurti Department as this is included in priority list of NMCG's next sanction phase proposals, whereas the work of local body Gaura Barhaj (approximately Rs 58 Crore) is proposed under SBM 2.0 by Urban Development Department. The details of proposed action plan with timelines is attached herewith in **Annexure 13**.

6.4 The status of the bioremediation of the drains falling in the Ghaghra River is mentioned below:

-

1. The bioremediation of 2 drains falling in the Ghaghra River (Parkulighat Drain and Kanoongo Ghat Drain), at Nagar Panchayat Barhalganj (District Gorakhpur) is being done by Nagar Panchayat Barhalganj.
2. The bioremediation of 4 drains (Khantik Tola, Mallahan Tola, Tiwari Tola and Nawapura Ahirauti) falling in the Ghaghra River, at Nagar Panchayat Dohrighat (District Mau), is being done by Nagar Panchayat Dohrighat.
3. The bioremediation of 2 drains falling in the Ghaghra River, at Nagar Panchayat Gaurabarhaj (District

Deoria) is being done, by Nagar Panchayat Gaurabarhaj.

It is submitted that apart from Bioremediation of polluting drains, the concerned urban local bodies have been also working for maintain proper sanitation, as under.

Name of ULBs	Total No. of Constructed Toilet Seat during Swachh Bharat Mission			ODF Status	Fund Transfer by State Govt. proper sanitation. (Rs. In Lakhs)
	CT	PT	IHHL		
NP Dohrighat	50	15	400	ODF+	135.4037
NP Barhalganj	22	65	891	ODF+	181.9113
NPP Gaurabarhaj	114	41	1661	ODF+	278.2170

The efforts made by the urban local bodies towards sanitation, is indicative of the efforts made in recent past for mitigation of water pollution.

7. Saryu River and Pollution Mitigation Efforts:

7.1 Lower Ghaghra is also known as Saryu River.

District Ayodhya is situated on its right bank. Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 20th September 2018 instructed UPPCB to prepare River Saryu Action Plans to restore the quality of the priority-V polluted stretch of River Saryu. The river water quality analysis revealed that the average Dissolved Oxygen

(D.O.) was found to be 7.5mg/l and Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.) in the range of 2.3 mg/l to 4.0 mg/l in the year 2016-18 (B.O.D. is minimum at upstream Guptar Ghat, Ayodhya & maximum at downstream Shamsan Ghat Ayodhya), based on the last 3 years monitoring data of river water quality in the identified polluted stretch of River Saryu, from Ayodhya to Tanda (District Ambedkar Nagar). In the polluted stretch of River Saryu, total discharge of 30.58 MLD is estimated being discharged, through 21 drains from Ayodhya's Nagar Nigam area, of which the status of tapping of drains, in Ayodhya is as following: -

7.2 For Sewage Management, Ayodhya is divided into two areas

S. No	Area in Ayodhya	No. of drains	Status of Tapping	Project Action Plan for tapping.
1	Ayodhya dham	5	Yes	As per report of Municipal Commissioner Ayodhya, a project costing Rs. 37.67 crores has been sanctioned for tapping of these 05 drains, through which the wastewater from Ayodhya Dham into the Saryu river is being treated, thus the river near the main ghats of Ayodhya Dham has been made pollution free.
2	Ayodhya Cantt.	16	Project Sanctioned for tapping	For tapping of 15 drains, DPR was submitted by state government to NMCG and the project of Rs 221.66 crore has been sanctioned. Tendering for the work is in

S. No	Area in Ayodhya	No. of drains	Status of Tapping	Project Action Plan for tapping.
				<p>progress under Department of Namami Gange and Grammen Jalapurti</p> <p>A project for tapping remaining 1 drain, costing Rs 14 Cr, is proposed under AMRUT 2.0. The details are given in Annexure 1</p>

7.3 Interim Measure for Untapped Drains: For reduction of pollution load from untapped 15 drains, Municipal Corporation of Ayodhya has been executing works of bioremediation. Nitrifying bacteria (Nitrosomonas, Nitrosococcus and Nitrobacter) and NuAlgi are being used, which are certified by IITR Lucknow And NMCG, Government of India. The bioremediation has helped substantially in reduction of pollution load flowing to the river (Annexure - 14).

7.4 Apart from the above-mentioned projects and efforts to improve the sanitation in district Ayodhya, there have been various other initiatives undertaken by the State Government for Sewage Management in the city of Ayodhya, in order to improve the water quality of river Saryu.

SEWAGE RELATED PROJECTS
SANCTIONED IN AYODHYA IN
RECENT PAST:

S.No.	Name of Project	Project Cost (in Lacs)	Project Summary	Status / Completion Date	Physical Progress
1	Sewer house connection in Ayodhya	1174.39	6200 Households connected with sewage network	Completed in Nov' 20	100%
2	Ayodhya Sewerage Scheme Phase-II	3789.30	Laying of Sewer Network 26000 meter and connecting 1449 households	15.12.2021	98%
3	Ayodhya sewer house connection scheme Phase 2	902.65	2558 Households connected with sewage network	Completed on 31.10.2021	100%
4	Nagar Nigam Ayodhya Sewerage Scheme District-1 Part-1	24384.54	Proposed laying of Sewer Network 133540 meter with 20000 Households to be connected.	26.08.2023	8%
5	Enhancement Project of 12 MLD STP capacity (Additional Construction of 6 MLD Capacity STP), Ayodhya	1368.60	Construction of STP - 6.0 MLD	26.08.2022	8%

6	Construction of Mechanised FSTP of 32 KLD capacity	521.33	FSTP - 32 KLD	31.12.2021	88%
7	Construction of Mechanised FSTP of 25 KLD capacity	90.10	Co-Treatment - 25 KLD	31.12.2021	88%

7.5 For Pollution Abatement of one small drain (with 1.95 MLD) flowing untapped in Saryu River in Iltifatganj Town of District Ambedkar Nagar, bioremediation is being undertaken as an interim measure since 16.11.2021, by Nagar Panchayat Iltifatganj (District Ambedkarnagar). However, for permanently tapping the drain, a project has been prepared to be undertaken under SBM 2.0.

8. Status and action plan for SEWAGE Gap in

Lucknow: The review regarding improving the sewage status of city of Lucknow was done with all stakeholders and a detailed report regarding status and action plan for Sewage gap in city of Lucknow is attached herewith as Annexure- 15.

8.1 A summary of drains flowing in the city is as follows:

Item	Nos	MLD
Total flow of Drains in Lucknow	34 Nos.	602.50
Drain Flow Towards River Gomti	33 Nos.	582.50

Item	Nos	MLD
Drain Flow Towards River Sai via Qila Mohamadi Drain	1 No	20.00
Existing Capacity of STPs in Lucknow		445.00
Nos. of Drains Fully Tapped	17 Nos.	
Partially Tapped	9 Nos.	
Untapped Drains for river Gomti	7 Nos.	
Untapped Drain flowing to river Sai	1 Nos	
Sanctioned Capacity of STP (Recently sanctioned under Namami Gange)		
Daulatganj	1	39.00
Barikala	1	1.00
Under Construction Work GH Canal (recently sanctioned under AMRUT)	1	120.00
Proposal Sent to NMCG under Dept. of Namami Gange		
Ghaila	1	22.00
Bijnor	1	80.00
Bharwara	1	85.00
The above status suggests that the already sanctioned work of STPs (160 MLD) and proposed works under Namami Gange Phase 2 (under Dept. of Namami Gange and Grameen Jalapurit) are sufficient to fill the existing gap of treatment capacity.		

The above drain wise status suggests that out of 33 drains flowing to Gomti 7 drains are still untapped. 9 drains are partially tapped

as there is overflow and capacity to fully treat this is to be augmented. Remaining 17 drains are fully tapped. The present existing capacity of all the STPs installed is 445 MLD. To fill the gap related to STPs, the state government has formulated implementing the projects related to installation of new STPs.

8.2 Works Sanctioned:

I. 120 MLD STP:

A project of Rs. 297.39 Crore has been sanctioned by Government under AMRUT scheme for construction of 120 MLD STP. At present the progress of the project is 43 % and it is expected to be completed by 30/11/2022. The completion of this project will help in fully tapping of the largest drain Haider Canal (at present its partially tapped).

II. Construction of 39 MLD STP and I & D works and 1 MLD STP:

A project of Rs. 298.12 Crore has been sanctioned under Namami Gange Scheme for I&D work of partially overflowing 3 drains to be tapped and another one untapped drain (Barikala drain) with construction of 39 MLD STP at Daulatganj and 1 MLD STP at Barikalan. The tender for the project has been finalized and LOA

issued, however, the work is sub-judice in Hon'ble Supreme Court. Dept. of Namami Gange and Grameen Jalapurti, Govt. of UP is pursuing the matter.

8.3 Proposed Works and Action Plan for remaining untapped/partially tapped drains:

- I. **Newly proposed STPs of 80 MLD and 22 MLD capacity:** The allocation of money for DPR Preparation for Pollution Abatement of River Gomti at Lucknow, Phase-II, amounting Rs. 557.74 cr. for I&D and STP (80 MLD at Bijnore + 22 MLD Ghaila) is sanctioned and DPR is expected to be prepared by March, 2022. The Project is being proposed to be sanctioned under Namami gange Phase-2 Program which is under Dept. of Namami Gange and Grameen Jalapurti Department . This project will lead to fully tapping the 4 untapped drains.
- II. **Proposed STP of 85 MLD at Bharwara:** DPR for Pollution Abatement of River Gomti at Lucknow, Phase-III Bharwara, amounting Rs. 402.63 cr. for I&D and STP (85 MLD) is

being proposed under Namami Gange Phase-2 Program (under Dept. of Namami Gange and Grameen Jalpurti Department) . The fund required for DPR preparation has been allocated. The DPR preparation is expected to be completed by March, 2022 and its' proposed to be included to be included in projects to be approved under Namami Gange Phase 2. This project will lead to tapping of remaining 3 untapped drains and also help in creating sufficient capacity of STPs in city to fully tap other partially untapped drains.

8.4 Interim Measures for Untapped and Partially Tapped Drains:In compliance to the orders of Hon'ble Tribunal as interim measure, bio-remediation of drains is being done by Lucknow Municipal Corporation (Annexure - 16)as following:

SI No	Name of Drain	Status
1.	Barikala	Bioremediation being done by LMC.
2.	Faizullaganj Upper stream	Bioremediation being done by LMC.
3.	Faizullaganj Down stream	Bioremediation being done by LMC.
4.	Sahara City	Bioremediation being done by LMC.
5.	Gomti Nagar Drain	Bioremediation being done by LMC.
6.	Gomti Drain Extension	Bioremediation being done by LMC.

7.	Ghaila Drain/pond	Bioremediation being done by LMC.
8.	Nagaria Drain	Bioremediation being done by LMC.
9.	Sarkata Nala – A & B	Bioremediation being done by LMC.
10.	Pata Nala	Bioremediation being done by LMC.
11.	Wazirganj Nala	Bioremediation being done by LMC.
12.	Kukrail Nala	Bioremediation being done by LMC.
13.	GH Canal Nala	Bioremediation being done by LMC.
14.	Qila Mohamadi Drain(flows to river SAI in Lucknow).	Bioremediation being done by LMC.

8.5 Other Measures for improvement of Sewage

Status in Lucknow:

I. Projects Sanctioned under AMRUT

Scheme:

S. No	Name of Project	Financial I Sanction (Rs. In Lacs)	Target		Date of completion
1	2	3	4		5
1	Sewer house connection & construction of connecting chambers in zone 6 for the 339 Km sewer line laid.	7682.57	HCC (No.'s)-	31000	Completed
			Sewer Network -	10 Km	
2	Rehabilitation of rising main from CGPS to Kukrail pumping station	1764.84	Rising main-	1.59	Completed
3	Sewer house connections in Lucknow sewerage district 3 Part-2	7920.85	HCC-	24540	31.12.2021
			Sewer Network -	15.00	

S. No.	Name of Project	Financial Sanction (Rs. In Lacs)	Target		Date of completion
1	2	3	4		5
4	Sewer house connections in Lucknow sewerage district 3 Part-1	13933.27	HHC-	50500	31.12.2021
			Sewer line (Km)-	21.95	
5	Sewerage scheme for Lucknow smart city and sewerage district 4 part 1, Part-2	29812.79	HCC-	38649	31.03.2022
			Sewer Network (Km)-	74.50	
			Pumping Station Renov.-	1 No.	
			IPS-	1 No.	
5	Sewer Laying in Lucknow sewerage district 4 zone 4 (Phase-1)	17701.53	Sewer Network-	155.00	31.12.2022
6	Construction of 120 mld STP, MPS and other allied works at GH Canal, Lucknow	29738.64	STP-	120 MLD	30.11.2022
			retaining wall-	700 meter	
			MPS (1 No.)-	120 MLD	
			Lab-	1 No.	
7	Installation of grid connected solar power plant at 345MLD STP Bharwara.	1385.80	Solar Plant-	1.49 MW	Completed
8	Sewer laying and other related works at Vikramaditya Marg, Lucknow.	2694.47	HHC-	926 Nos.	31.03.2022
			Sewer line (Km)-	10.08	
9	House sewer	9266.15	HCC-	34681	31.12.2022

S. No.	Name of Project	Financial Sanction (Rs. In Lacs)	Target		Date of completion
1	2	3	4		5
	connections, construction of SPS and rising main in Sewerage district 4 zone-4 (Phase-2), Lucknow		Pumping Station-	1 No.	
10	Sewer house connection & construction of connecting chambers in Sewerage District-I	6477.40	HCC (No.'s)-	22000	30.11.2022
			Sewer Network (KM)-	10.00	
11	Feacle sludge Management Co-treatment 100 KLD capacity in Lucknow Town	314.76	Co-treatment Plant-	100 KLD	28.02.2022

The above details suggest that in recent past approximately Rs 1286.93 Crore worth projects are sanctioned under AMRUT scheme for improvement of sewage infrastructure in the city of Lucknow.

II. One City -One Operator O&M System: Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh has initiated the innovative concept of One City-One Operator. This has been implemented by Govt. of UP for the first

time in India, in which STPs, Main Pumping Stations, Sewage Pumping Stations, Intermediate Pumping Stations, and Rising Mains & Sewer Network of City are to be maintained and operated by a single agency to improve the performance, efficiency and Capacity utilization of existing STPs. Contract was awarded to **M/s SUEZ India Private Limited** for **Lucknow**. Awarded OM&M Contract is performance Contract and payment is linked with Quantity of treated effluent (60%) and Quality- BOD, TSS, COD and Faecal Coliform (40%) for monthly Payment. The Department has created Rs 350 Crore as a dedicated Operation and Maintenance Fund for sewage infrastructure maintenance.

9. **Solid Waste Management Status in Lucknow:**As per report (Annexure -17) of Lucknow Municipal Corporation it is submitted that estimated MSW generation in city of Lucknow is approximately 1200 TPD . Under Public Private Partnership Project (PPP), Lucknow Municipal Corporation has entered into an agreement with a private firm, Ecogreen Energy Lucknow Private Ltd. for integrated solid waste management in the city

and collection, transportation as well as processing of solid waste has been entrusted to the aforesaid firm.

A waste processing plant with 1600 TPD has been established in city of Lucknow and it is being operated by the firm Ecogreen. At present door to door collection of waste, transportation and processing is being done through deployment of 549 Mini Tippers and 550 Tricycles engaged in primary collection of waste. There are 66 PCTS (Portable Compact Transfer Stations) established as secondary collection point. The Corporation has initiated remediation of old legacy waste site and in the process old site at Ghaila (with approximately 4 lakh tons of legacy waste) is under remediation process. Till date 1 Lakh MT legacy waste has been remediated and it is expected to complete the project by June, 22 and clear the site. A time bound action plan for remediation of existing waste at landfill site has been also prepared and the work is expected to start by in December 2021. It is pertinent to mention here that the recent Swachh Survekshan results (SS2021) declared by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), the status of city of Lucknow has improved remarkably. Lucknow Municipal Corporation has been awarded a **3 Star** Garbage Free Star Rating City status.

Although there is improvement in management of waste in city and efforts are being made by LMC, however some deficiencies in the performance of the Firm has been observed for which salutatory action has been taken and the Firm (Ecogreen) has submitted an action plan to LMC for improving the services (Annexure-18). It is submitted that the performance of the firm shall be reviewed by LMC and it shall be the responsibility of the Municipal Commissioner, Lucknow to ensure that waste management services in the city are improved as per action plan in a time bound manner.

It is submitted that for earlier failure of timely action in managing the waste in the city, stringent action has been taken by the department. The then Environmental Engineer of Lucknow Municipal Corporation has been suspended. Recommendation has been sent to the Department of Appointment and Personnel for action against Two senior officials of the Corporation working as Additional Municipal Commissioner Lucknow.

10. ACTION AGAINST ERRING

OFFICIALS: It is submitted before this Hon'ble Tribunal that Department of Urban Development has taken serious note of the delinquency of officers in cases of prima facie failure of not acting promptly. The department

has initiated disciplinary proceeding against delinquent officials (Annexure-19), a brief detail of which is as follows:


10.1 Against Six Executive Officers of ULBs, working in the region concerned with this case, charge sheets has been issued and a time bound completion of disciplinary proceedings shall be undertaken.

10.2 Adverse Entries have been made in the rolls of three engineers of UP Jal Nigam for tardy progress of the sanctioned projects.

10.3 The, then Environmental Engineer of Lucknow Nagar Nigam, has been suspended for failure to ensure the compliance of environmental norms.

10.4 Recommendation has been sent to the Department of Appointment and Personnel, to award adverse entries to two senior officers of Lucknow Municipal Corporation, for their supervisory failure, in ensuring timely compliance of actions related to mitigating pollution.

The report is being submitted for perusal please.


(Dr. Rajneesh Dube)

**IAS
Additional Chief Secretary,
Department of Urban Development, Govt. of UP**

मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) में लम्बित वाद विषयक

अपर मुख्य सचिव महोदय नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर के विषयगत आहूत बैठक दिनांक 21.10.2021 का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है ।

बैठक के आरम्भ में सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त वाद से सम्बन्धित शासन के अधिकारी, उ० प्र० जल निगम, एस.एम.सी.जी. के प्रतिनिधि, निदेशालय एवं सम्बन्धित निकाय के नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित हैं।

उपरोक्त वाद में अन्तर्निहित बिन्दु तथा मा० एन०जी०टी० द्वारा उक्त वाद में पारित आदेश/निर्देशों के विषयगत बिन्दुओं के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक एवं विशेष सचिव, नगर विकास द्वारा किया गया। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के क्रम में हुए विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्देश दिये गये :-

1. आमी नदी:- आमी नदी के विषयगत उ० प्र० जल निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर में उपरोक्त नदी में प्रवाहित होने वाले तीन नालों के विषयगत दो डी.पी.आर. (रुपये 28.36 करोड़ मगहर के दो नालों के लिए 15 वर्ष के ओ०एण्ड एम० सहित, रुपये 46.32 करोड़ खलीलाबाद नगर पालिका परिषद) स्टेट मिशन फार क्लीन गंगा के माध्यम से एन.एम.सी.जी. से वित्त पोषित होने के विषयगत आगणन प्रेषित है। इस विषय में अद्यतन स्वीकृति अप्राप्त है। यह निर्णय लिया गया कि जल शक्ति विभाग इस विषय में प्राथमिकता पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। अग्रेतर यह भी संज्ञान में लाया गया कि नगर विकास विभाग में स्टेट सेक्टर अन्तर्गत मगहर नगर पंचायत हेतु 32 के०एल०डी० का एफ.एस.टी.पी. (लागत लगभग रुपये 587.40 लाख) की स्वीकृति विचाराधीन है एवं खलीलाबाद नगर पालिका परिषद में भी 32 के०एल०डी० का एफ.एस.टी.पी. (लागत लगभग रुपये 587.40 लाख) अधिष्ठापित किये जाने का डी.पी.आर. विगत सप्ताह में नगर विकास विभाग को प्रेषित किया गया है। यह निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर वित्त विभाग के साथ समन्वय कर उपरोक्त दोनों परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति नगर विकास अनुभाग-5 द्वारा तत्काल निर्गत करायी जाए।

मा0 एन.जी.टी. के निर्देशों के अनुरूप बायो रेमिडिएशन के विषय में वी0सी0 के माध्यम से जुड़े दोनों निकायों के अधिशासी अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि बायो रेमिडिएशन उपरोक्त नालों पर कराया जा रहा है। इस विषय में गुणवत्ता रिपोर्ट भी निकायों द्वारा प्राप्त किया जाना बताया गया है परन्तु उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कराये हुए टेस्ट रिपोर्ट नहीं हैं। साथ ही दोनों अधिशासी अधिकारियों द्वारा भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जिस लैब से वाटर क्वालिटी का टेस्ट कराया गया क्या वह एन.ए.बी. एल. द्वारा प्रमाणित है अथवा नहीं ? इस विषय में निदेशक स्थानीय निकाय को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त दोनों निकायों में बायो रेमिडिएशन के कार्य और वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग रिपोर्ट विषयगत विस्तृत आख्या मय संलग्नक तैयार कर दिनांक 25.10.2021 के सांय तक उपलब्ध करायी जाए। उक्त दोनो निकायों में बायो/फाइटो रेमिडिएशन कराये जाने के विषयगत कृत कार्यवाही के संबंध में विलम्ब की दशा में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

बैठक में उपस्थित कार्यकारी निदेशक, स्वच्छ भारत (नगरीय) को यह निर्देश दिये गये कि न केवल उपरोक्त दोनों निकायों (मगहर एवं खलीलाबाद) बल्कि उक्त वाद ओ0ए0 संख्या 116/2014 में अन्तर्निहित समस्त निकायों के विषयगत वाद के वर्ष से अब तक तथा मुख्य रूप से जनवरी 2019 से अब तक निकायों में स्वच्छता के विषयगत किये गये कार्यों—व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, अपशिष्ट प्रबन्ध हेतु उपायों पर निकायवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का चार्ट बनाते हुए दिनांक 25.10.2021 तक रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध करायी जाए।

2. रामगढ़ ताल:-

रामगढ़ताल के विषयगत प्रस्तुतीकरण में यह अवगत कराया गया कि उक्त ताल में 18 छोटी ड्रेन अभी भी अनटैप्ड हैं। उक्त समस्त 18 नालों की टैपिंग के विषयगत परियोजना पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और कार्य प्रगति पर है। इस विषय में परियोजनावार प्रगति के विषयगत पृच्छा किये जाने पर यह अवगत कराया गया कि 7 नालों को अमृत योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना गोरखपुर सीवरेज योजना जाने—ए 1 (दक्षिणी भाग) में टैप किया जाना है जिसके लिए टाइम लाइन मार्च, 2022 बतायी गयी है। पूर्व में उपरोक्त परियोजना का कार्य दिसम्बर 2021 तक लक्षित था। उक्त कार्य के विलम्बित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह निर्देशित किया गया कि विलम्ब के विषयगत

कारणों का भली-भांति परीक्षण किया जाए और किसी भी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के विषयगत जल निगम स्तर पर कार्यवाही की जाए। साथ ही यह प्रयास किया जाए कि उपरोक्त कार्य यथाशीघ्र पूर्ण हो सके।

अवशेष दूसरी परियोजना जिसमें 11 नालों को टैप किया जाना है, के विषयगत राज्य सेक्टर से स्वीकृति के क्रम में निविदा प्रक्रियाधीन होना बताया गया। इस विषय में भी विलम्ब हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने के निर्देश दिये गये और यह भी निर्देशित किया गया कि यदि निविदा का कार्य अभी भी विलम्बित रहेगा तो जल निगम के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि उपरोक्त निविदा 30.10.2021 के पूर्व स्वीकृत कर ली जाएगी। निविदा में होने वाले विलम्ब की परिचर्चा में ही **ओ०ए० संख्या 490** के विषयगत यह संज्ञान में लिया गया कि उपरोक्त वाद में अन्तर्निहित परियोजना के राज्य सेक्टर से स्वीकृति के बाद भी निविदा का कार्य विलम्बित है। जिस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध चार्जशीट करते हुए विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

नगर आयुक्त गोरखपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि उपरोक्त समस्त 18 नालों का बायो रेमेडिएशन द्वारा शोधन नगर निगम, गोरखपुर द्वारा कराया जा रहा है। शोधन की जाँच यू०पी० पी०सी०वी० से कराकर कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट देने हेतु नगर आयुक्त, गोरखपुर को निर्देश दिया गया। रामगढ़ ताल के विषयगत विगत वर्षों में कई परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं और निश्चित रूप से रामगढ़ ताल की वाटर क्वालिटी तथा जल क्षमता में वृद्धि उपरोक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कारण होना चाहिए। अतएव इस विषय में पूर्व वर्षों अर्थात् वर्ष 2014 के पूर्व की रिपोर्ट और वर्तमान स्थिति में हुई प्रगति का भी एक तुलनात्मक चार्ट उ० प्र० जल निगम एवं नगर आयुक्त गोरखपुर द्वारा तैयार कर लिया जाए तथा तदनुसार विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 तक प्रस्तुत की जाए।

3. घाघरा नदी:-

उक्त नदी के विषयगत समीक्षा किये जाने पर यह संज्ञान में लाया गया कि बड़हलगंज नगर पंचायत, गोरखपुर; दोहरीघाट नगर पंचायत, मऊ; गौराबरहज नगर पालिका परिषद, देवरिया में जो नाले उक्त नदी में प्रवाहित होते हैं उनके विषयगत तथा अन्य स्थलों पर एस.टी.पी. बनाये जाने के विषयगत पी.एफ.आर. जल निगम द्वारा एस.एम.सी.जी. को

प्रस्तुत किया गया है। उक्त विषयगत एस.एम.सी.जी. के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

अग्रेतर उपरोक्त निकायों में नालों के बायो रेमेडिएशन/ फाइटो रेमेडिएशन के रूप में अन्तरिम उपाय (Interim Measure) की कार्यवाही के सम्बन्ध में संतोषजनक रूप से निकायों द्वारा अवगत नहीं कराया जा सका। इस विषय में उपरोक्त कार्यवाही भली-भांति सुनिश्चित न किये जाने के बिन्दु का परीक्षण कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक विभागीय कार्यवाही किये जाने के विषय में निदेशक, स्थानीय निकाय को इस आशय से निर्दिष्ट किया गया कि सम्बन्धित निकायों में समय से नालों के बायो रेमेडिएशन न कराये जाने हेतु उत्तरदायी रहे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयगत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 25.10.2021 तक शासन को उपलब्ध कराये। साथ ही अविलम्ब उपरोक्त निकायों में उक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु उपस्थित अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया और यह आदेश दिये गये कि यदि तत्काल उपरोक्त कार्यवाही आरम्भ नहीं होती है तो वर्तमान में उक्त निकायों का प्रभार जिन अधिशासी अधिकारियों के पास है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

4. राप्ती नदी:-

राप्ती एवं उसकी सहायक रोहणी नदी में कुल 15 नाले गिरते हैं, जिसमें से राप्ती में गिरने वाले 03 नालों तथा रोहणी में गिरने वाले 02 नालों का बायोरेमेडिएशन का कार्य M/s Mapple के माध्यम से नगर निगम द्वारा तथा शेष राप्ती में गिरने वाले 06 नालों एवं रोहणी में गिरने वाले 04 नालों का बायोरेमेडिएशन नीरी के माध्यम से नगर निगम, गोरखपुर द्वारा कराया जा रहा है। उक्त 15 नालों में इण्टरिंग शोधन हेतु नीरी को आवंटित 10 नालों के शोधन कार्य प्रारम्भ करने में हुये विलम्ब किये जाने के कारण नीरी को लापरवाही बरतने पर नगर आयुक्त की आख्या लेकर शासन स्तर से Show cause नोटिस देने हेतु निर्देश दिया गया।

बायोरेमेडिएशन से पूर्व एवं उपरान्त तुलनात्मक वाटर क्वालिटी की कम्प्रीहेन्सिव रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को निर्देशित किया गया।

उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि राप्ती एवं सहायक नदी रोहणी में गिरने वाले कुल 15 नाले में से 09 बड़े नाले राप्ती में गिरते हैं। उक्त 09 नाले में से 08 नालों के टेपिंग एवं शोधन करने हेतु डी0पी0आर0 तथा शेष एक नाले का पी0एफ0आर0 एन0एम0सी0जी0 को भेजा गया है। अभी तक स्वीकृति अपेक्षित है। एस.एम.सी.जी. के उपस्थित प्रतिनिधि को इस विषय में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अग्रेतर जल निगम को यह निर्देशित किया गया कि वर्ष 2014 में जब मा0 एन.जी. टी. में उक्त वाद दायर हुआ था तब से अभी तक शुद्ध पेयजल एवं सीवरेज के मद में पूर्ण की गयी परियोजनाओं, स्वीकृत की गयी परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट गोरखपुर तथा रामगढ़ताल के विषय में तैयार कर ली जाए जिसका मुख्य उद्देश्य गोरखपुर एवं रामगढ़ताल के पर्यावरणीय सुधार हेतु क्रियान्वित की गयी परियोजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को भली-भांति परिलक्षित करने हेतु हो।

5. सरयू नदी (अयोध्या नगर निगम) :-

अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में अनटैप्ड नालों के विषयगत कराये जा रहे बायो रेमिडिएशन सम्बन्धित परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट नगर आयुक्त भली-भांति तैयार करते हुए दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध करा दें। साथ ही अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में सरयू नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग हेतु किये गये प्रयास, प्रचलित परियोजनाएं तथा पेयजल एवं सीवरेज मद में स्वीकृत की गयी नवीन परियोजनाओं के विषयगत जल निगम द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध करा दी जाए।

विचार-विमर्श में यह संज्ञान में आया कि नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त कैंट क्षेत्र का एक नाला (1.5 एम.एल.डी.) के विषयगत अभी कोई परियोजना निरूपित नहीं है। इस विषय में यह निर्देशित किया गया कि उपरोक्त हेतु भी कार्यवाही किये जाने के लिए एन. एम.सी.जी. अन्तर्गत विचार किया जाए। साथ ही उनके क्षेत्राधिकार में अवस्थित नाले के विषयगत शोधन किये जाने के लिए सम्बन्धित विभाग को भी लिखा जाए। उक्त के साथ-साथ नगर पंचायत इल्लाफगंज के विषय में भी निदेशक स्थानीय निकाय जानकारी कर लें और यदि बायो रेमिडिएशन के कार्य कराये जाने में शिथिलता बरती गयी है तो तदनुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

6. उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के बाद यह संज्ञान में लाया गया कि कतिपय अन्य बिन्दु (CETP का सम्बन्ध अन्य विभागों से है) और पूर्व में ओवर साइट कमेटी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में लखनऊ नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा लखनऊ नगर में गोमती नदी पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट के बिन्दु की आख्या भी तैयार किया जाना आवश्यक है। इस विषय में समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया कि लखनऊ नगर निगम द्वारा बायो रेमिडिएशन के कार्य में शिथिलता बरती गयी है। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य भी संतोषजनक न पाये जाने के कारण उक्त के विषयगत प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पेनाल्टी अधिरोपित की गयी

है। उपरोक्त के विषयगत अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह निर्देशित किया गया कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में लखनऊ निगम द्वारा शिथिलता बरता जाना अत्यन्त गम्भीर बिन्दु है और इस हेतु निगम में उपरोक्त कार्य के लिए जिम्मेदार प्रभारी अपर नगर आयुक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाए। नगर आयुक्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में अपर नगर आयुक्त महज कुछ दिनों पूर्व नियुक्त हुए हैं। उक्त के दृष्टिगत यह निर्देशित किया गया कि इस विषय में पूर्वाधिकारी/तत्कालीन अपर नगर आयुक्त जिसे उक्त कार्य आवंटित था, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी आरोप पत्र मय अभिलेखों सहित नगर आयुक्त तत्काल प्रस्तुत करें और इस विषय में बगैर शिथिलता बरते हुए नालों के रेमिडिएशन के कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तीन दिवस में शासन को उपलब्ध करायें। इसी के साथ तत्कालीन पर्यावरण अभियंता लखनऊ के विरुद्ध भी नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाये। अग्रेतर गोमती नदी में प्रवाहित हो रहे नालों के टैप किये जाने विषयगत कार्यों की पूर्ण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु जल निगम को निर्देशित किया गया।

7. उपरिवर्णित कार्यवाही के साथ निम्नानुसार भी सम्बन्धित द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

- i. अमृत 2.0 के विषयगत शीघ्र ही भारत सरकार द्वारा आपरेशनल गाइड लाइन निर्गत की जानी है। अतएव उपरोक्त योजनान्तर्गत उक्त वाद में अन्तर्निहित निकायों की परियोजनाओं को विशेष रूप से चयनित कर स्वीकृत कराये जाने हेतु कार्यवाही के विषयगत उ० प्र० जल निगम के स्तर पर कार्य किया जाए और एक एक्शन प्लान/कार्य योजना बना ली जाए।
- ii. वाद में अन्तर्निहित सभी निकायो के अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता की परियोजनाओं के विषयगत विगत वर्षों में की गयी तुलनात्मक प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय) की रिपोर्ट कार्यकारी निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) श्री विपिन कुमार जैन द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की जाए।
- iii. उपरोक्त वाद में (जैसा कि पूर्व में मा० एन.जी.टी. द्वारा मा० न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निर्देशित किया गया था) नालों के टैपिंग विषयगत निर्मित होने वाले एस.टी.पी. की परियोजनाओं का वित्त पोषण एन.एम.सी.जी. के माध्यम से कराये जाने के विषयगत अब चूंकि एस.एम.सी.जी. जल शक्ति विभाग का अंग है। साथ ही जल निगम का विभाजन भी तदनुसार कर दिया गया है, अतः निर्मित कराये जाने वाली एस.टी.पी. की परियोजनाओं के विषयगत प्रगति का विवरण एस.एम.सी.जी./जल शक्ति विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाए।

- iv. जब तक एस.टी.पी. की परियोजना स्वीकृत/पूर्ण नहीं होती तब तक सम्बन्धित नालों के बायो रेमिडिएशन / फाइटो रेमिडिएशन हेतु अन्तरिम उपाय (Interim Measures) के सम्बन्ध में नगर निगमों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही विषयगत रिपोर्ट सचिव, नगर विकास श्री अनुराग यादव द्वारा तथा सम्बन्धित नगरीय निकायों विषयगत रिपोर्ट निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जायेगी। उक्त द्वय अधिकारीगण इस विषयगत सम्बन्धित निकाय में हुई शिथिलता को भी अपनी रिपोर्ट में अंकित करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव करेंगे।
- v. समस्त अन्तर्निहित निकायों में वाद के आरम्भ से और विशेषकर जनवरी, 2019 से शुद्ध पेयजल तथा सीवरेज/एफ.एस.टी.पी. के विषयगत पूर्ण/ क्रियान्वित/स्वीकृत परियोजनाओं सम्बन्धी निकायवार विस्तृत रिपोर्ट तुलनात्मक रूप से बेहतर कार्य के उपायों को परिलक्षित करते हुए भौतिक / वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में 30 प्र0 जल निगम द्वारा तैयार की जायेगी।
- vi. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए निकायों के पदाधिकारियों (नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी) को यह भी निर्दिष्ट किया गया कि नदियों के किनारे अवस्थित उपरोक्त निकायों के द्वारा पॉल्यूटिंग रिवर स्ट्रेच के क्रम में बनाये हुए रिवर एक्शन प्लान में वर्णित निकाय की बिन्दुवार समयबद्ध गतिविधियों के क्रम में भी सभी निकाय पृथक से अब तक की गयी प्रगति विस्तृत रूप से दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध करा देंगे। नगर निगमों (लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर) द्वारा इस विषय में प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट का संकलन सचिव, नगर विकास द्वारा किया जायेगा एवं निकायों के विषयगत रिपोर्ट/सूचना का संकलन निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त एक्शन प्लान में निर्दिष्ट कार्यवाही में शिथिलता के विषयगत भी परीक्षण उक्त द्वय अधिकारीगण द्वारा किया जायेगा और तदनुसार शिथिलता हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण विषयक प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस कार्यवृत्त में अपेक्षित समय-सीमा के अनुरूप सूचना/प्लान/रिपोर्ट के प्रेषण में यदि किसी निकाय के स्तर पर कोई शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी को उत्तरदायी मानकर उनके विरुद्ध कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।
- अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या:- 11246/नौ-5-2021-01रिट/2019-टीसी
लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, जल शक्ति विभाग एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एस.एम.सी.जी.।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- राज्य मिशन निदेशक(अमृत), अमृत मिशन निदेशालय, लखनऊ।
- 5- निदेशक स्थानीय नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण।
- 7- सम्बन्धित समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशाली अधिकारी।


(अनुराग यादव)
सचिव

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) में लम्बित वाद विषयक

अपर मुख्य सचिव महोदय नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर के विषयगत आहूत बैठक दिनांक 09.11.2021 का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है ।

उपरोक्त वाद में दिनांक 21.10.2021 को समीक्षा करते हुए विस्तृत कार्यवृत्त निर्गत किया गया था। उपरोक्त के अनुपालन एवं अग्रेतर प्रगति के संबंध में पुनः आहूत समीक्षा बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:-

1. बैठक के आरम्भ में वाद के विषय के पूर्व दिनांक 11.11.2021 को नियत 02 वाद ओ0ए0 संख्या 490/2019 व एम0ए0 संख्या 61/2021 (मथुरा में ठोस अपशिष्ट के विषयगत) दायर किये गये एटीआर के परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श किया गया। यह निर्देश दिये गये कि प्रतापगढ़ में निर्मित होने वाले एसटीपी के कार्य को समयबद्ध रूप से उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्ण कराया जाये। साथ ही मथुरा में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु जो टाइमलाइन प्रस्तुत की गयी है, उक्त टाइमलाइन का अनुश्रवण स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय से भली-भांति सुनिश्चित किया जाये और चूंकि अनुश्रवण व्यवस्था में सीएण्डडीएस भी है, इसलिये उक्त विषयगत समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण हो, इस हेतु समय-समय पर इसकी रिपोर्ट सीएण्डडीएस उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से शासन को प्रेषित की जाये।
2. मगहर एवं खलीलाबाद में एफएसटीपी का कार्य- उपरोक्त ओ0ए0 संख्या 116/2014 में मगहर एवं खलीलाबाद की परियोजना में जल शक्ति विभाग से अभी तक स्वीकृति प्राप्त न होने की दशा में राज्य सरकार के सीमित संसाधनों से नदी प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के दृष्टिगत सेप्टेज मैनेजमेन्ट की कार्य योजना के अन्तर्गत एफएसटीपी के कार्य (लागत लगभग रू0 5 करोड़ प्रति एफएसटीपी) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के विषयगत कार्यवाही की प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली वित्त विभाग में लम्बित है। सचिव, नगर विकास (अनुभाग-5) को निर्देशित किया गया कि दिनांक 18.11.2021 के पूर्व उपरोक्त शासनादेश निर्गत कराने हेतु अनुश्रवण/प्रयास सुनिश्चित करें। अग्रेतर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को यह निर्देशित किया गया कि उपरोक्त दोनों परियोजनाओं की NIT, पीएफएडी लागत के अनुरूप तत्काल प्रकाशित करते हुए

निविदा की तकनीकी बिड ओपन किये जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र कर ली जाये और शासनादेश के प्राप्त होने के साथ ही वित्तीय बिड भी अन्तिम रूप से निर्णीत की जा सकती है। अतः यह प्रयास किया गया कि उपरोक्त कार्य तत्काल आरम्भ हो और कार्यों के पूर्ण करने विषयक समस्त गतिविधियों की एक टाइमलाइन निरूपित करते हुए दिनांक 18.11.2021 को प्रस्तुत कर दी जाये।

3. रामगढ़ ताल में अनटैण्ड ड्रेन को टैण्ड किया जाना :- उपरोक्त विषयगत अनुश्रवण किये जाने पर उ०प्र० जल निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि राज्य सेक्टर में स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत निविदा अन्तिम रूप से आगामी कुछ दिवसों में फाइनल कर ली जायेगी। यह निर्देशित किया गया कि पूर्व से ही परियोजना की निविदा में अत्यन्त विलम्ब हो चुका है। इसे तत्काल अन्तिम रूप से निर्णीत कराते हुए स्थल पर कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्ण होने तक की टाइमलाइन दिनांक 18.11.2021 तक प्रस्तुत की जाये। उक्त परियोजना के क्रियान्वयन से रामगढ़ ताल में प्रवाहित हो रहे समस्त अनटैण्ड ड्रेन के टैण्ड होने विषयक कार्यवाही सुनिश्चित हो जायेगी। यह संज्ञान में लाया गया कि विगत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में पूर्व से क्रियान्वित हो रही परियोजना को दिसम्बर 2021 तक पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों का दायित्व निर्धारण किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है जिसके विषयगत प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को निर्दिष्ट किया गया कि उपरोक्त संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए चल रही परियोजना का कार्य मौके पर तेजी से पूर्ण कराया जाये।
4. ड्रेनों का फाइटो/बायो रेमेडिएशन :- इस विषय में बैठक में उपस्थित सचिव नगर विकास (श्री अनुराग यादव) द्वारा तीनो नगर निगमों यथा – नगर निगम गोरखपुर, नगर निगम लखनऊ तथा नगर निगम अयोध्या द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसके अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु कार्यवाही कर ली गयी है और मौके पर कार्य आरम्भ होने के कार्यादेश हो चुके हैं। लखनऊ में 07 अवशेष ड्रेनों के विषयगत भी निविदा अन्तिम चरण में है। इस विषय में नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को निर्दिष्ट किया गया कि तत्काल मौके पर कार्य आरम्भ करें और पूर्व में मौके पर बरती गयी शिथिलता के विषयगत दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अग्रेतर रिव्यू में यह भी संज्ञान में लाया गया कि लखनऊ नगर में अवस्थित प्रोसेसिंग प्लांट के सेनेटरी लैण्डफिल पर लीगेसी वेस्ट रेमेडिएशन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस विषय में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में एक अन्य लीगेसी वेस्ट साइट (धैला) पर रेमेडिएशन का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है। उक्त विषयगत नगर आयुक्त लखनऊ को निर्दिष्ट किया गया कि प्रोसेसिंग प्लांट पर कार्य करने हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स इको ग्रीन के द्वारा कार्य

आरम्भ किये जाने वाले वर्ष के पूर्व के लीगेसी वेस्ट का आंकलन कराते हुये निगम के स्तर पर रेमेडिएशन का कार्य सुनिश्चित किया जाये और फर्म के द्वारा कार्य आरम्भ किये जाने के समय से जनित लीगेसी वेस्ट का दायित्व सम्बन्धित फर्म का है। अतएव उपरोक्त को फर्म के माध्यम से सुनिश्चित कराये। इस विषय में प्रगति आख्या और कार्ययोजना से दिनांक 18.11.2021 तक अवश्यम्भावी रूप से नगर आयुक्त, लखनऊ द्वारा अवगत कराया जाये।

5. शिथिल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही :- बैठक में उपस्थित निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अवगत कराया गया कि अंतरिम उपाय (interim measure) के रूप में नालों का बायो/फाइटो रेमिडिएशन कराने में शिथिल रहे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। उक्त विषयगत समीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि उपरोक्त कार्यवाही आरम्भ की गयी है तथापि अभी आरोप पत्र तामील नहीं हुआ है। यह निर्देशित किया गया कि शिथिल रहे अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कराते हुए तामील करने की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए उपरोक्त के विषयगत प्रगति के संबंध में आगामी बैठक में सूचना प्रस्तुत की जाये।
6. नदियों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनाये गये एक्शन प्लान की पाक्षिक समीक्षा निदेशालय द्वारा अपने स्तर पर निकायवार, बिन्दुवार की जाये और मासिक रूप से इस विषय में एक विस्तृत प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाये। जिन निकायों में उपरोक्त एक्शन प्लान के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने में शिथिलता बरती जाती है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। उक्त अनुश्रवण व्यवस्था हेतु यदि निदेशालय को किसी प्रकार के कर्मी अतिरिक्त रूप से मानदेय पर नियोजित करने की आवश्यकता हो तो उक्त विषयगत कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु उक्त अनुश्रवण प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये।
7. निगमों के द्वारा प्रेषित किये जाने वाले आख्या के विषयगत सचिव, नगर विकास श्री अनुराग यादव द्वारा यह अवगत कराया गया कि तीनों नगर निगमों से आख्या प्राप्त की गयी परन्तु कतिपय बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से आख्या अपेक्षित है। यह निर्देशित किया गया कि उपरोक्त आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 18.11.2021 से पूर्व प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।
8. अग्रेतर मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) के समादर में परियोजनाओं के वित्त पोषण के विषय में एनएमसीजी द्वारा परियोजनाओं का वित्त पोषण अब न होने के कारण उत्पन्न कठिनाई के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा SBM-2.0 एवं AMRUT-2.0 के दिशा निर्देश विगत दिवस में निर्गत कर दिये गये हैं। उपरोक्तानुसार उक्त दोनों योजनाओं के मार्ग-दाशिका में अनुमन्य कार्यों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत जो भी कार्य व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित किया जाना सम्भव है, उनके

विषय में उ०प्र० जल निगम द्वारा उक्त दोनों योजनाओं की मार्ग-दार्शिका का भली-भांति अध्ययन/ परीक्षण करते हुए वित्तीय रूप से तर्कसंगत क्रियान्वित की जा सकने वाली परियोजना के विषयगत प्रारम्भिक कार्य योजना दिनांक 18.11.2021 तक उपलब्ध करा दें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

डा० रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या:- 11529/नौ-5-2021-01रिट/2019-टीसी
लखनऊ: दिनांक 09 नवम्बर 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, जल शक्ति विभाग एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एस.एम.सी.जी.।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- राज्य मिशन निदेशक(अमृत), अमृत मिशन निदेशालय, लखनऊ।
- 5- निदेशक स्थानीय नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण।
- 7- सम्बन्धित समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशाली अधिकारी।


(अनुराग यादव)
सचिव

मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) में लम्बित वाद विषयक

अपर मुख्य सचिव महोदय नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर के विषयगत आहूत बैठक दिनांक 22.11.2021 का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है ।

- (i) बैठक के आरम्भ में पूर्व में हुई समीक्षा बैठक के क्रम में हुई प्रगति का संज्ञान लिया गया। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में बायोरेमिडिएशन के कार्य को करने में हुई शिथिलता के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आरोप पत्र निर्गत किया गया एवं दिये गये निर्देशों के अनुरूप उनका तामीला भी सुनिश्चित करा लिया गया है। यह निर्देशित किया गया कि अनुशासनिक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाये।

(कार्यवाही – निदेशक, स्थानीय निकाय)

- (ii) बायोरेमिडिएशन का कार्य :- नगर निगम गोरखपुर, नगर निगम अयोध्या नगर निगम लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि समस्त अनटैप्ड नालों के बायोरेमिडिएशन के विषयगत मौके पर कार्य आरम्भ किये जाने की कार्य योजना बनाते हुए कार्य किया जा रही है और तत्क्रम में रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। रिव्यू करने पर यह पाया गया कि गोरखपुर में यद्यपि CSIR नीरी को कार्य आवंटित रहा है परन्तु मौके पर कार्य आरम्भ किये जाने में शिथिलता रही। नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि नीरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है और कार्य भली-भांति सुनिश्चित किये जाने हेतु आश्वस्त भी किया गया। तथापि कार्य में बरती गयी शिथिलता के दृष्टिगत यह निर्देशित किया गया कि नीरी के नियंत्रक मंत्रालय को इस विषय में कार्यवाही हेतु शासन स्तर से पत्र प्रेषित किया जाये।

लखनऊ नगर निगम में पूर्व में हुई शिथिलता के दृष्टिगत पर्यावरण अभियंता एवं अन्य उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के विषयगत नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि आख्या शासन को प्रेषित की जा रही है। यह निर्देशित किया गया कि तत्काल इस विषय में समुचित रूप से मय आरोप पत्र आख्या शासन को उपलब्ध करा दी जाये और शासन के संबंधित अनुभाग द्वारा नगर आयुक्त से प्राप्त आख्या के अनुक्रम में तदनुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। नगर आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कतिपय बड़े नालों के विषयगत पूर्व में आमंत्रित निविदा में किसी फर्म द्वारा प्रतिभाग नहीं किया

गया और पुनः निविदा आमंत्रित है और यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येकदशा में स्थल पर कार्य आरम्भ होने विषयक प्रमाण पत्र अपनी रिपोर्ट में प्रेषित करें।

(कार्यवाही—निदेशक, स्थानीय निकाय/नगर आयुक्त—अयोध्या/गोरखपुर/
लखनऊ /नगर विकास अनुभाग—5)

- (iii) खलीलाबाद व मगहर RSTP :- उपरोक्त परियोजना की प्रगति के विषय में यह अवगत कराया गया कि मगहर हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है परन्तु खलीलाबाद के विषयगत पत्रावली वित्त विभाग में है। यह निदेश दिये गये कि प्रतिदिन उपरोक्त का अनुश्रवण कर यथाशीघ्र वित्त विभाग से उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अग्रेतर उ०प्र० जल निगम द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किये जाने विषयक कार्य योजना तत्काल (आगामी 02 दिवस में) अवश्यम्भावी रूप से प्रस्तुत की जाये, जिसे ATR में समाहित किया जा सके।

(कार्यवाही— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम/नगर विकास अनुभाग—5)

- (iv) नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य निकायों में अन्तरिम उपायों के रूप में नालों का बायो/फाइटो रेमिडिएशन :-

इस विषय में निदेशक, स्थानीय निकाय के साथ समीक्षा करते हुए यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक निकाय द्वारा उपरोक्त विषयगत किये जा रहे कार्य संबंधित ATR संकलित रूप से आगामी 02 दिवस में उपलब्ध करा दी जाये। यह संज्ञान में लाया गया कि कतिपय निकायों में उपरोक्त कार्यों को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने में शिथिलता रही है और उक्त विषयगत निदेशालय में संबंधित निकाय के साथ अनुश्रवण करने का दायित्व निर्वहन करने वाले अधिकारी द्वारा भली-भांति तदविषय का अनुश्रवण नहीं किया गया, जिससे की सभी निकायों में रेमिडिएशन के कार्य विषयक आख्या प्राप्त हो सके। सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषय में कार्यवाही हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय को पत्र प्रेषित किया गया है। निदेशक, स्थानीय निकाय सुनिश्चित करें कि निदेशालय में उपरोक्त कार्य जिस अधिकारी को आवंटित है, उनके स्तर पर यदि कोई शिथिलता अनुश्रवण किये जाने में बरती जा रही है तो कठोर कार्यवाही संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सुनिश्चित की जाये और मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) के इस वाद के साथ-साथ अन्य वादों में पारित निर्देशों के अनुपालन में होने वाली सभी कार्यवाही का अनुश्रवण संबंधित द्वारा भली-भांति निदेशालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही — निदेशक, स्थानीय निकाय)

(v) अमृत-2.0 व एसबीएम-2.0 के लिये कार्ययोजना :-

वाद से संबंधित नदियों के जल प्रदूषण को रोके जाने हेतु यद्यपि वर्तमान में अन्तरिम रूप से नालों का रेमिडिएशन का कार्य किया जा रहा है, परन्तु स्थायी रूप से परियोजना के क्रियान्वयन के विषयगत भारत सरकार द्वारा नवघोषित अमृत-2.0 व एसबीएम-2.0 योजनान्तर्गत परियोजना के क्रियान्वयन का एक्शन प्लान बनाये जाने के विषयगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रस्ताव की रूपरेखा रखी गयी, जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना पर विस्तृत परिचर्चा के उपरान्त निम्न निर्देश दिये गये:-

1. अयोध्या नगर में एक नाले को छोड़कर समस्त नालों हेतु परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है और उक्त एक नाला कैंटोनमेंट एरिया में होने के कारण किसी परियोजना में नहीं लिया जा सका है। उक्त विषयगत यह निर्देशित किया गया कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम अपने स्तर से कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों को पत्र लिखने के साथ यथाशीघ्र वार्ता भी कर लें कि यदि कैंटोनमेंट बोर्ड एसबीएम-2.0 योजना की मार्ग-दर्शिका के अनुसार केन्द्रांश के सापेक्ष अपना अंश परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वहन करने के लिये तैयार है तो उपरोक्त परियोजना को एसबीएम-2.0 में प्रस्तावित किया जाये।
2. अग्रेतर परियोजनवार परिचर्चा करने पर यह पाया गया कि कतिपय नालों के विषयगत कार्य नमामि गंगे की प्राथमिकता लिस्ट में है। प्रबंध निदेशक उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जो कार्य नमामि गंगे की प्राथमिकता लिस्ट में है उन्हें छोड़ते हुये परियोजनाओं को अमृत-2.0 एवं एसबीएम-2.0 में प्रस्तावित किया गया है। उक्त विषयगत यह निर्देशित किया गया कि दोनों योजनाओं की मार्गदर्शिका के अनुसार परियोजनाओं के और निकायों की प्रकृति के दृष्टिगत यह अवधारित किया जाये कि संबंधित परियोजना अमृत-2.0 में प्रस्तावित की जाये या एसबीएम 2.0 में। अग्रेतर इस विषय में यह भी निर्देशित किया गया कि नमामि गंगे, अमृत-2.0, एसबीएम-2.0 उक्त तीन श्रोतों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विषयगत आगामी 02 दिवस में प्रबंध निदेशक जल निगम अपने साथ जल निगम ग्रामीण संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री सुशील कुमार पटेल की बैठक कर एक संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट/एक्शन प्लान तैयार कर लें। जिससे यह स्पष्ट रहे कि जो परियोजनायें नमामि गंगे की प्राथमिकता में हैं वह नमामि गंगे में क्रियान्वित की जायें और जो नमामि गंगे में संभव नहीं हैं उसके विषयगत अमृत-2.0 व एसबीएम-2.0 की मार्गदर्शिका के अनुरूप एक्शन प्लान तैयार किया जाये।
3. अग्रेतर उक्त विषयगत एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की टाईम लाइन के अनुरूप परियोजना में मिशन निदेशक अमृत द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि भारत सरकार द्वारा चूंकि कुछ दिवस पूर्व ही दोनों योजनाओं की मार्गदर्शिका निर्गत की गयी है और उक्त मार्गदर्शिका के अनुरूप राज्य की कार्ययोजना बनाने के कई चरण हैं जिसमें एक

विस्तृत एमआईएस का कार्य किया जाना है। अतएव आरम्भिक रूप से अमृत-2.0 का विजन डाम्यूमेंट बनाये जाने में कम से कम दिनांक 31 जनवरी 2022 तक का समय लगेगा और उसके बाद विजन डाम्यूमेंट के अनुरूप आरम्भिक कार्य योजना को राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा और तदनुसार भारत सरकार से इस विषय में प्रथम स्वीकृति प्राप्त करने में न्यूनतम 05 माह से 09 माह का समय मार्गदर्शिका में वर्णित प्रस्तर 6.5.1 के क्रम में सम्भावित है। तदुपरान्त ही परियोजना के विषयगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत विभाग के स्तर पर अमृत-2.0 के अन्तर्गत की जा सकेगी। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त टाइमलाइन के अनुरूप यथाशीघ्र कार्ययोजना/एक्शन प्लान क्रियान्वित करने हेतु कार्यवाही की जाये और उ0प्र0 जल निगम के स्तर पर उक्त टाइमलाइन के क्रम में परियोजना का क्रियान्वयन के एक चरणबद्ध स्टेज को भली-भांति तैयार कर लिया जाये।

बैठक के अन्त में नगर विकास से संबंधित समस्त वादों के विषयगत संबंधित अधिकारियों से आख्या भली-भांति तैयार कराते हुए ATR का ड्राफ्ट दिनांक 26.11.2021 तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/सचिव, नगर विकास अनुभाग-5)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या:-11872/नौ-5-2021-01रिट/2019-टीसी
लखनऊ: दिनांक 24 नवम्बर 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, जल शक्ति विभाग एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एस.एम.सी.जी।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- राज्य मिशन निदेशक(अमृत), अमृत मिशन निदेशालय, लखनऊ।
- 5- निदेशक स्थानीय नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण।
- 7- सम्बन्धित समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशाली अधिकारी।


(अनुराग यादव)
सचिव



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सप्तदश मण्डल, उ०प्र० जल निगम(नगरीय)
गोरखपुर

Email id- se_gkp_upjn@yahoo.com

पत्रांक 726 / वि-15 / 154 दिनांक 16.11.2021

सेवा में

मेसर्स श्रीराम कन्सल्टेशन (ज्वाइन्ट वेन्चर),
23, शिवपुरी कालोनी,
फरीदी नगर, लखनऊ।

विषय- राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत गोरखपुर नगर स्थित रामगढ़ताल के उत्तरी छोर पैडलेगंज से आर०के०बी०के० मारुति शोरूम तक इन्टरसेप्टिंग सीवर एवं समानान्तर बन्धे के निर्माण कार्यो हेतु अनुबंध गठन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यो हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 725/वि-15/153 दिनांक 13.11.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आप द्वारा अनुबंध गठन से संबंधित कार्यवाही पूर्ण कर अनुबंध गठित कराया गया जिसे इस कार्यालय के अनुबंध सं० ०१०१/एस०ई०/2021-22 दिनांक 16.11.2021 पर पंजीकृत करते हुए कार्य प्रारम्भ की तिथि 18.11.2021 प्रदान की जाती है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य समापन की तिथि 17.05.2023 (18 calendar months including 3 months for Trial & Run period) होगी।

कृपया कार्यस्थल पर समस्त मैनपावर एवं टी०एण्डपी० की व्यवस्था करते हुए अविलम्ब भौतिक रूप से कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस०के० वर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ०सं० तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3. परियोजना प्रबन्धक, नि०ई०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गोरखपुर।
4. अनुबंध हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम,
गोरखपुर।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
नगर विकास अनुभाग-5
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

पत्रांक: २०२ / मु०अभि०/चार-सा०नि०वि०/2021-22


दिनांक ०१/१२/2021

विषय :- मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम नगर निगम, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश की अद्यतन अनुपालन आख्या।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम नगर निगम, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश की अद्यतन अनुपालन आख्या साथ में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।


(अविनाश सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को सूचनार्थ।


(अविनाश सिंह)
नगर आयुक्त

मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) नई दिल्ली में
योजित ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम
म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित
आदेशों की अनुपालन आख्या

नगर निगम, गोरखपुर

LIST OF CONTENTS

Sr. No	Description	Page No.
1	Status of Drains falling in Ramgarh Taal.	3-14
2	Status of Drains falling River Rapti and Rohini.	15-18
3	Identification, Selection & Establishment of Landfill site for MSW processing plant in Gorakhpur.	19
4	ANNEXURE-I & II	20-21

नगर निगम, गोरखपुर

मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेशों की अनुपालन आख्या -

1- Status of Drains falling in Ramgarh Taal

Details of 6 major drains falling in Ramgarh Taal

S.N	Name of Drains	Average Discharge (in MLD)	Intercepted & being treated	STP Capacity (in MLD)	Comments
1	Gordhaiya Nala	15.00	Yes	15.00	All 6 major drains, having discharge 37 MLD earlier falling directly in Ramgarh Taal have been intercepted, diverted and are being treated at 2 Nos STPs (15 MLD and 30 MLD capacity) since Feb 2015 & June 2015 by U.P. Jal Nigam.
2	Kudaghat Nala				
3	Mohaddipur Power House Nala	22.00	Yes	30.00	
4	Rafi Ahmad kidwai school Nala				
5	Golf Ground Nala				
6	Paidleyganj Nala				

Details of 7 minor drains falling in Ramgarh Taal from its Eastern Side

S.N	Name of Drains	Average Discharge (in MLD)	Comments	Interim measures
1	Girdharganj Nala (Yadav Tola No-1)	0.276	1 & D work of 7 minor drains (having total discharge of 5.463 MLD) is ongoing under "Gorakhpur sewerage Scheme, Zone A-1 Southern Part" under AMRUT. At present, the progress is 65%. The tapping of these drains will be completed by March- 2022. (Action is being taken by U.P. Jal Nigam for sl. no. 1 to sl. no.6)	However as an interim measure Nagar Nigam, Gorakhpur has invited bid vide its NIT dt. 08.10.2020 for bio-remediation / phyto-remediation of these drains. Work has been allotted to M/s Mapple Orgitech (India) Ltd, Kolkata and the work is being carried out at site. Bio Remediation process is being done since 27-12-2020. Due to heavy rain Bio-Remediation works has been stopped, which has now been restarted. (Photographs are enclosed at Annexure I)
2	Girdharganj Nala (Yadav Tola No-2)	0.996		
3	Avas Vikas Kaccha Nala	0.201		
4	Vishunpurwa Nala	1.032		
5	Sighariya-Maherwa ki Bari (Near 15 MLD STP)	2.208		
6	Navalpurwa Nala (Near Jalpai Mai Mandir)	0.104		
7	Sahara Estate Nala	0.646		
Total		5.463		



 मुख्य अभियन्ता नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम, गोरखपुर

Details of 11 minor drains falling in Ramgarhtal from its Northern Side

S.N	Name of Drains	Average Discharge (in MLD)	Comments	Interim measures
1	Nala Near Smart wheel's Pvt Ltd, Mohaddipur	0.171	I & D of the remaining 11 minor drains (having total discharge 1.357 MLD) is proposed under the project "Construction of earthen bund and intercepting sewer line at Northern side of Ramgarhtal from Paidleyganj to R.K.B.K. Maruti Show Room". The project has been sanctioned by GoUP on 30.03.2021. Tendering is in progress. 3rd time tender has been invited vide NIT dt: 23.09.2021 (As minimum required qualified bid not received in previous bidding process). Technical bid opened on 11.10.2021. Financial bid has been opened on 03-11-2021. The work has been started at site. Proposed time line of completing the work is 17.05.2023. Discharge of above 11 drains will be treated at 30 MLD existing STP. (Action is being taken by U.P. Jal Nigam)	However as an interim measure Nagar Nigam, Gorakhpur has invited bid vide its NIT dt. 08.10.2020 for bio-remediation of these drains. Work has been allotted to M/s Mapple Orgitech (India) Ltd, Kolkata. The work is being carried out at site. Due to rainy season work was stopped which has now been restarted. (Action is being taken by Nagar Nigam Gorakhpur)
2	Shri Rampuram colony drain	0.118		
3	Shri Rampuram colony drain -1	0.029		
4	Shri Rampuram colony drain -2	0.031		
5	Shri Rampuram (3) colony drain	0.009		
6	Shri Rampuram colony drain near H.No. 850	0.131		
7	Shri Krishnapuram Nala	0.123		
8	Suraj Nagar / Ramnagar colony drain	0.124		
9	Satya Marg Nala (Near H.No. 112)	0.383		
10	Parha Tola drain near Ishrawati Devi	0.199		
11	Parha Tola drain (Prabhu Dayal Agrawal)	0.039		
Total		1.357		


उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त 11 नालों के इण्टरसेप्शन हेतु स्वीकृत योजना की निविदा प्रथम बार दिनांक 06.04.2021 को आमंत्रित की गई, परन्तु मात्र 02 अर्ह निविदा प्राप्त होने के कारण सक्षम स्तर से निविदा को निरस्त कर पुनः अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय बार निविदा दिनांक 13.07.2021 को आमंत्रित की गई, जिसमें कोई भी अर्ह निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः निविदा समिति द्वारा निविदा निरस्त कर तीसरी बार अर्हता प्राविधान में संशोधन कर दिनांक 23.09.2021 को पुनः निविदा आमंत्रित की गई, जिसकी वित्तीय निविदा दिनांक 03.11.2021 को खोली गई है।



मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

रामगढ़ताल के जल गुणवत्ता में सुधार हेतु कराये गये अन्य विविध कार्य :-


उपरोक्तानुसार 15 एम.एल.डी. व 30 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. के तत्संबंधी कार्य भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत "रामगढ़ताल के प्रदूषण नियंत्रण व संरक्षण" योजनान्तर्गत वर्ष 2015 तक उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये गये।



...यन्त्री
नगर निगम, गोरखपुर


नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

उक्त योजनान्तर्गत ही उ०प्र० जल निगम द्वारा रामगढ़ताल के लगभग 02 तिमाही हिस्से में फैले समस्त जलकुम्भी की निकासी माह जनवरी, 2015 तक सम्पन्न कराने के पश्चात माह फरवरी, 2015 से माह अक्टूबर, 2020 तक संचालन एवं रख-रखाव मद में जलकुम्भी निकासी का कार्य सतत रूप से कराया जाता रहा जो वर्तमान में गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा कराया जा रहा है।




उक्त योजनान्तर्गत ही उ०प्र० जल निगम द्वारा रामगढ़ताल के दक्षिण-पश्चिमी छोर एवं पूर्वी छोर पर लगभग 6.0 किमी. लम्बाई में लोहे की रेलिंग लगायी गयी है, जिससे पूर्व में रामगढ़ताल में जाने वाले भैंसों व अन्य जानवरों पर रोक लगी है एवं रामगढ़ताल के पानी को दूषित होने से बचाया गया है।


रामगढ़ताल के किनारे लगायी गई रेलिंग के फोटोग्राफ्स





 मुख्य अभियन्ता
 नगर निगम, गोरखपुर


 नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर

उक्त योजनान्तर्गत ही उ०प्र० जल निगम द्वारा वर्ष 2015 में रामगढ़ताल से लगभग 11.43 लाख घन मी० सिल्ट/स्लज की निकासी पर्यावरणीय ड्रेजिंग के माध्यम से कराया गया, जिससे रामगढ़ताल की स्वच्छता में वृद्धि हुई है।



उक्त योजनान्तर्गत ही रामगढ़ताल के जल में आक्सीजन की घुलनशील मात्रा को बढ़ाने एवं तदक्रम में बी.ओ.डी. घटाने (In-Situ Cleaning) के दृष्टिकोण से 25 अदद फ्लोटिंग कैंशकेड फाउण्टेन (10 मी.जेट) का अधिष्ठापन रामगढ़ताल के विभिन्न बिन्दुओं पर मार्च 2019 में पूर्ण कराया गया जिसके फलस्वरूप रामगढ़ताल के जल की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।



मुख्य अभियन्ता

नगर अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

उल्लेखनीय है कि रामगढ़ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य कराने से पूर्व रामगढ़ताल के जल की अधिकतम बी.ओ.डी. 108 मि.ग्रा./ली. थी जो उपरोक्त कार्यों के सम्पादित होने के पश्चात् वर्ष 2017-18 की अवधि में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकरण संस्थान एवं आई.आई. टी. बी.एच.यू. द्वारा की गयी एक वर्षीय वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम बीओडी 11 मि.ग्रा./ली. रह गयी जो जल गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार को परिलक्षित करता है। इस प्रकार रामगढ़ताल के पानी की गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है। एक वर्षीय वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

After the execution of major components (Interception, diversion & treatment, Deweeding and Desilting) of the project there is sufficient improvement in water quality as under :

Parameters	Quality of surface water for specified use as per G.O.I. Manual		WQM conducted in June 2008 I.e. before project implementation				WQM conducted from Sep 2016 to Aug 2017 I.e. during project implementation			
	Propagation of wild life and fisheries	Irrigation	Top		Bottom		Top		Bottom	
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
pH	6.5-8.5	6.5-8.5	7.5	10.28	6.9	9.86	7.05	9.98	7.56	9.68
D.O. (mg/l)	4 or more	-	5.87	12.6	1.1	8.9	4.2	10.8	3.6	9.2
B.O.D. (mg/l)			20	80	36	108	2.25	10.5	2.4	11.3

Water Quality Monitoring (WQM) Conducted by IIT, BHU & MNIT, Allahabad.


 मुख्य अभियन्ता
 नगर निगम, गोरखपुर


 नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी रामगढ़ताल के पानी की टेस्टिंग माह जनवरी, 2019 से अक्टूबर, 2020 तक करायी गयी, जिसके अनुसार भी पानी की गुणवत्ता मानक के अन्तर्गत है।

माह जनवरी, 2019 से अक्टूबर, 2020 तक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा करायी गयी रामगढ़ताल के जल की गुणवत्ता की परीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

Regional Office
U. P. Pollution Control Board
Kunraghat, Gorakhpur

Water quality of Ramgarh Lake near Circuit House in District- Gorakhpur, from January 2019 to October 2021.

S. No	Name of the Lake with location of sampling point	Sample Collected by	Date of Sample Collection	P A R A M E T E R S							
				pH	Conductance (µmhos/cm ²)	D.O.	B.O.D. (3 days at 27° C)	C.O.D	Chlorides	Hardness (as CaCO ₃)	T.D.S.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr.K.K. Singh, M.A.	07-01-2019	7.82	446	9.0	4.6	22	32	262	312
2	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr.K.K. Singh, M.A.	05-02-2019	7.88	442	9.4	4.4	22	34	264	314
3	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr.K.K. Singh, M.A.	05-03-2019	7.45	443	8.5	4.8	24	34	260	312
4	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr.K.K. Singh, M.A.	05-04-2019	7.48	446	8.5	5.0	24	36	260	314
5	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr.K.K. Singh, M.A.	06-05-2019	7.82	444	8.5	5.0	24	38	262	318
6	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr.K.K. Singh, M.A.	06-06-2019	7.85	445	8.8	4.8	24	38	268	320
7	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr.K.K. Singh, M.A.	06-07-2019	7.82	448	8.8	4.6	24	36	268	320
8	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr.K.K. Singh, M.A.	05-08-2019	7.82	450	8.7	4.8	26	36	268	320
9	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	05-09-2019	8.01	454	8.8	5.2	30	42	272	326
10	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	05-10-2019	7.06	450	8.8	5.4	32	42	274	326
11	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	04-11-2019	8.06	442	9.0	5.4	32	42	276	322
12	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	04-12-2019	8.26	438	9.8	4.2	26	38	266	312
13	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Dr. R.K. Singh, L.A.	06-01-2020	8.28	442	9.4	4.4	28	38	288	316
14	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Dr. R.K. Singh, L.A.	06-02-2020	8.28	452	9.1	5.0	30	42	274	318
15	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	04-03-2020	8.26	454	8.0	5.2	32	52	274	316
16	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	04-04-2020	8.28	450	9.0	5.4	34	52	274	316

17	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	02-05-2020	8.20	456	8.8	5.6	36	52	274	316
18	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	02-06-2020	8.18	479	8.4	5.8	48	68	278	318
19	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	02-07-2020	8.22	462	8.6	5.4	40	62	264	314
20	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	05-08-2020	8.24	483	8.4	6.0	44	64	268	316
21	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	03-09-2020	8.22	468	8.2	6.6	48	66	270	318
22	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	03-10-2020	8.20	472	8.0	6.3	52	68	278	324
23	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. R.M. Verma, S.A.	04-11-2020	8.22	470	8.2	6.4	56	70	278	326
24	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, M.A.	21-12-2020	8.24	478	8.0	6.6	56	72	278	328
25	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, M.A.	23-01-2021	8.28	504	8.2	6.4	62	74	278	326
26	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, M.A.	23-02-2021	8.28	516	8.4	6.2	66	76	272	320
27	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, M.A.	16-03-2021	8.24	522	8.2	6.4	58	72	274	322
28	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, M.A.	16-04-2021	8.10	534	7.8	6.8	70	78	300	332
29	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, M.A.	12-05-2021	8.12	520	8.0	6.8	68	72	306	330
30	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, S.A.	12-06-2021	8.12	512	8.2	6.4	62	70	302	322
31	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, S.A.	13-07-2021	8.16	510	8.8	6.2	56	66	300	320
32	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, S.A.	17-08-2021	8.62	518	8.8	6.4	60	68	306	328
33	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, S.A.	14-09-2021	8.68	516	8.8	6.2	68	66	306	320
34	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sr. Ayodhya Prasad, S.A.	21-10-2021	8.70	516	8.6	6.4	60	66	306	324

Note :- All the parameters except pH are expressed in mg/l unless otherwise stated.

—sd—
L.A./M.A.

—sd—
S.A.

—sd—
Regional Officer

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

रामगढ़ताल में गिर रहे 18 नालों का नगर निगम, गोरखपुर द्वारा बायोरेमेडिएशन विधि से कराया जा रहा शोधन कार्य

रामगढ़ताल में गिर रहे 18 नालों का शोधन बायोरेमेडिएशन विधि से M/s Mapple Orgitech (India) Ltd, Kolkata के माध्यम से कराया जा रहा है। नगर निगम गोरखपुर द्वारा 18 नालों के पानी की जॉच उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझायी गई NABL से प्रमाणित प्रयोगशाला शिशोदिया रिसर्च लैबोरेट्री, लखनऊ से कराया गया। ड्रेनवार बायोरेमेडिएशन से शोधन से पूर्व एवं शोधन के बाद के पैरामीटर्स निम्नवत् है :-

Water Test results of Month January, 2021

S. No	Name of River/ Water body	Name of Drains	Discharge (MLD)	Length (m)	Water Test results							
					Before Bioremediation Sampling Date 18-12-2020				After Bioremediation Sampling Date 27-01-2021			
					BOD	COD	TSS	pH	BOD	COD	TSS	pH
					Normal Value				≤ 30mg/l	≤ 150mg/l	≤ 100mg/l	6.5-9.0
1	Ramgarh Taal	Girdharganj Nala (Yadav Tola No-1)	0.276	850	136	380	247.20	6.47	20	84.40	40	7.10
2		Girdharganj Nala (Yadav Tola No-2)	0.996	370	149	392	261.80	6.39	29.7	98.00	40.2	7.03
3		Avas Vikas Kaccha Nala	0.201	150	148	364	233.10	6.59	19	94	40.40	6.90
4		Vishunpurwa Nala	1.032	400	128	212	179.60	6.67	26.70	90.10	40.60	7.40
5		Sighariya-Maherwa ki Bari (Near 15 MLD STP)	2.208	650	168	356	234.40	6.41	30.00	86.20	40.80	7.08
6		Navalpurwa Nala (Near Jalpai Mai Mandir)	0.104	180	144	432	250.20	6.40	19.80	82.30	41.00	6.99
7		Sahara Estate Nala	0.646	320	138	376	235.80	6.48	26.90	78.40	41.20	7.13
8		Nala Near Smart wheel's Pvt Ltd, Mohaddipur	0.171	182	128	342	149	6.31	25.50	74.40	41.40	6.88
9		Shri Rampuram colony drain	0.118	155	171	424	236.80	6.20	24.20	70.50	41.60	7.19
10		Shri Rampuram	0.029	145	128	304	167.40	6.74	22.80	66.60	41.80	6.89

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

	colony drain -1										
11	Shri Rampuram colony drain -2	0.031	150	144	340	193	6.50	21.50	85.30	42.00	7.02
12	Shri Rampuram (3) colony drain	0.009	100	156	394	136.30	6.43	18.80	62.70	42.20	7.01
13	Shri Rampuram colony drain near H.No. 850	0.131	250	152	394	176	6.27	23.10	100.8	42.40	6.66
14	Shri Krishnapuram Nala	0.123	330	124	297.2	176	6.21	22.20	97.00	42.60	7.05
15	Suraj Nagar /Rampuram colony drain	0.124	290	131	374	201.80	6.49	21.30	93.10	42.80	7.12
16	Satya Marg Nala (Near H.No. 112)	0.383	209	164	404	198.04	6.25	20.40	89.20	43.00	7.33
17	Parha Tola drain near Ishrawati Devi	0.199	108	134	292	186.20	6.54	29.30	79.20	43.20	7.04
18	Parha Tola drain (Prabhu Dayal Agrawal)	0.039	100	128	352	184.80	6.42	27.90	81.4	43.40	7.19
Total Discharge in Ramgarh Taul		6.82									


 मुख्य अभियन्ता
 नगर निगम, गोरखपुर


 नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर

Water Test results of Month- June, 2021

Date of Sampling : 21-06-2021

Period of Analysis : From 22-06-2021 to 28-06-2021

S. No	Name of River/ Water body	Name of Drains	Discharge (MLD)	Length (m)	Water Test results								
					Before Bioremediation Sample				After Bioremediation Sample				
					BOD	COD	TSS	pH	BOD	COD	TSS	pH	
			Normal Value							≤ 30mg/l	≤ 150mg/l	≤ 100mg/l	6.5-9.0
1	Ramgarh Taal	Girdharganj Nala (Yadav Tola No-1)	0.276	850	103.9	349.6	174.4	6.01	21.9	76.8	46.2	7.33	
2		Girdharganj Nala (Yadav Tola No-2)	0.996	370	102.8	345.8	146.2	6.31	23.9	83.6	27.2	7.49	
3		Avas Vikas Kaccha Nala	0.201	150	100.4	341.8	126.2	6.27	23.0	80.6	52.0	7.59	
4		Vishunpurwa Nala	1.032	400	94.7	318.7	108.2	6.03	24.0	87.40	54.0	7.36	
5		Sighariya-Maherwa ki Bari (Near 15 MLD STP)	2.208	650	94.8	319.2	179.8	6.05	27.4	99.8	38.0	7.71	
6		Navalpurwa Nala (Near Jalpai Mai Mandir)	0.104	180	96.0	323.0	149.6	6.35	26.1	95.0	40.0	7.62	
7		Sahara Estate Nala	0.646	320	97.1	326.8	150.4	6.07	25.0	91.20	42.0	7.18	
8		Nala Near Smart wheel's Pvt Ltd, Mohaddipur	0.171	182	99.3	334.1	151.8	6.39	27.1	98.8	44.0	7.68	
9		Shri Rampuram colony drain	0.118	155	103.2	334.4	145.6	6.09	22.8	79.8	46.0	7.64	
10		Shri Rampuram colony drain -1	0.029	145	100.5	341.8	144.2	6.43	21.7	76.0	48.0	7.73	
11		Shri Rampuram colony drain -2	0.031	150	98.2	330.6	126.0	6.11	21.6	77.6	50.0	7.26	

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम

नगर निगम

12	Shri Rampuram (3) colony drain	0.009	100	93.7	315.4	171.6	6.47	20.7	73.7	45.8	7.51
13	Shri Rampuram colony drain near H.No. 850	0.131	250	100.3	337.6	139.6	6.13	19.8	69.8	36.0	7.15
14	Shri Krishnapuram Nala	0.123	330	90.3	304.0	164.4	6.50	18.4	66.0	42.2	7.42
15	Suraj Nagar /Ramnagar colony drain	0.124	290	86.9	292.6	127.8	6.15	17.2	62.1	48.4	7.05
16	Satya Marg Nala (Near H.No. 112)	0.383	209	82.4	277.4	167.0	6.54	16.4	58.2	54.6	7.17
17	Parha Tola drain near Ishrawati Devi	0.199	108	92.6	311.6	152.0	6.17	15.1	54.3	37.2	7.66
18	Parha Tola drain (Prabhu Dayal Agrawal)	0.039	100	89.2	300.2	165.0	6.58	14.3	50.4	57.0	7.47
Total Discharge in Ramgarh Taal		6.82									

रामगढ़ताल में गिर रहे उक्त नालों के पानी की बायोरेमेडिएशन द्वारा शोधन के उपरान्त टेस्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार BOD, COD, TSS and PH की वैल्यू मानक के अन्तर्गत है। वर्षात के दौरान बायोरेमेडिएशन के संयन्त्रों को हटा लिया गया था, जिन्हें पुनः स्थापित किया गया है।


मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर


नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

वर्ष 2014 के उपरान्त अमृत योजनान्तर्गत सीवरेज से सम्बन्धित 02 योजनायें स्वीकृत एवं क्रियान्वित हैं, जिनकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नवत् है :-

कार्यवाही संख्या का नाम-उ020 जल निगम													(धनराशि रु0 करोड़ में)	
जनपद-गोरखपुर													माह- अक्टूबर -2021	
क्र. सं.	कार्यवाही का विवरण	संबन्धी जिला	स्वातंत्र्य प्राप्त	अनुमोदित धनराशि	मह तक व्यय	व्यय का प्रतिशत (6/5)	कार्य का प्रगति प्रतिशत (8/4)	मह तक भौतिक व्यय %	मह तक भौतिक प्रगति प्रतिशत	मह तक भौतिक प्रगति प्रतिशत	कार्य प्रारम्भ का तिथि	कार्य समाप्त का तिथि	कार्य पूरा होने का तथित्व, वार्षिक तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर नगर के सीवरेज जल-1 उत्तरी भाग अन्तर्गत चर्ट की योजना	उ020 जल निगम	72.27/136.28	114.12	94.33	82.66	69.22	82.66	88 प्रतिशत	88%	27.10.2017	26.10.2019	31.12.2021	
2	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर नगर के सीवरेज जल-1 दक्षिणी भाग, लोहरा चर्ट की योजना	उ020 जल निगम	101.82/192.02	159.75	105.02	65.74	54.69	65.74	75 प्रतिशत	75%	31.10.2018	30.10.2020	31.03.2022	
	समग्र प्रगति								5 प्रतिशत	5%	18.05.2021	17.11.2022	-	
									65.00 प्रतिशत	65.00%				

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

2. Status of Drains falling River Rapti and Rohini
Status of 15 Major drains falling into River Rapti and Rohini

Sr. No.	Final Disposal Point	Name of Drain	Discharge in MLD	Comments	Interim measures
1	2	3	4	5	6
1	Rapti River	Domingarh Nalla	9.03	Among 9 major drains that are falling directly (untreated) in Rapti River, a project for "Interception Diversion and treatment of 8 major drains (having total discharge of 41.055 MLD) (phase-1), estimated cost Rs. 271.70 Cr. has been submitted 2020 to APD, SMCG, Lucknow (under which one STP of 44.0 MLD capacity and interception of 8 major drains are proposed), by Chief Engineer, (Ganga), U.P. Jal Nigam, Lucknow vide letter no 485/022-0272 (22)/2020 Dated 17.08.2020. Some observations were raised vide APD, SMCG, Lucknow Letter dt. 23.09.2020 which has been complied and revised estimate amounting Rs. 271.84 Cr sent to The Director General, NMCG, New Delhi by Project Director, SMCG vide letter no 1093/0390/SMCG-UP/02 dated 28.10.2020. Again NMCG, New Delhi raised some observation vide its letter dt 15.01.2021 in respect of which compliance has been sent by Chief Engineer, UP Jal Nigam, Gorakhpur vide his letter no 991/V-28/19 Dt. 25.05.2021 to Chief Engineer (Ganga), UP Jal Nigam, Lucknow and copy of same has also been sent to Dir (T-III), NMCG, New Delhi & APD, SMCG, UP along with others which is also forwarded by CE(Ganga), UP Jal Nigam, Lucknow vide letter no. 408/022-272 (22)/2021 Dt. 09.06.2021 to APD, NMCG, Lucknow after which APD, SMCG, UP forwarded compliance report vide its letter no 541 dt 11.06.2021 to Director General, NMCG, New Delhi for necessary action. Approval is still awaited. However, as per directions of Hon'ble NGT, New Delhi JMD (Ganga), U.P. Jal Nigam, Lucknow directed vide its letter no 849/022-0116/2021 dt 08.09.2021 to make	<ul style="list-style-type: none"> > Three no of Nallahs namely <ol style="list-style-type: none"> 1- Domingarh, 2- Allahibagh and 3- Kataniya are being treated through Bio remediation process by Nagar Nigam, Gorakhpur. Firm is M/s Mapple Orgitech (India) Ltd, Kolkata. > Phyto-Remediation work for Six no of Nallahs namely <ol style="list-style-type: none"> 1- Bahrampur, 2- Mirzapur, 3- Ghasiyari, 4- Basantpur Narkatiya, 5- Hanshupur and 6- Transport nagar has been awarded to NEERI, Nagpur in Amrut by Govt. . Neeri Team had visited the site on 19 October, 2021.
2		Bahrampur Nalla	4.33		
3		Allahibagh Nalla	20.61		
4		Mirzapur Nalla	3.281		
5		Ghasiyari Nalla	0.303		
6		Basantpur Narkatiya Nalla	1.757		
7		Hansupur Nalla	0.821		
8		Transport Nagar Nalla	0.92		

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त

				available copies of above DPR/PFR to get its sanction from State Government which has been complied vide letter no 631/Work-14/372 Dt 08.09.2021 of General Manager, UP Jal Nigam, Gorakhpur. Time line is After approval of project, 2 years.	
9		Kataniya / Mahewa Nalla	8.914	Catchment area of remaining 1 major drain (Kataniya/Mahewa Nalla, having total discharge of 8.914 MLD) falling directly in River Rapti without treatment is separated by Gorakhpur-Lucknow four lane road. Hence for interception, diversion and treatment of this 1 major drain a separate project "Interception, Diversion and Treatment (phase-2)" has been proposed under Namami Gange. Under this project one STP of 10 MLD capacity is proposed. The Pre Feasibility Report amounting Rs. 84.96 Cr has been sent to Director General, NMCG, New Delhi vide APD, SMCG, Lucknow letter no 398/0628/SMCG-UP/03 Dt. 13.05.2021 for review and initiating appraisal activities for its approval under Namami Gange programme. NMCG, New Delhi raised some observation vide its letter dt 12.08.2021 against which compliance has been sent by General Manager, UP Jal Nigam, Gorakhpur vide his letter no 886/Work-5/16 dt 02.09.2021 to Chief Engineer (Ganga), UP, Jal Nigam, Lucknow. However, as per directions of Hon'ble NGT, New Delhi JMD (Ganga), U.P. Jal Nigam, Lucknow directed vide its letter no 849/022-0116/2021 dt 08.09.2021 to make available copies of above DPR/PFR to get its sanction from State Government which has been complied vide letter no 631/Work-14/372 Dt 08.09.2021 of General Manager, UP Jal Nigam, Gorakhpur.	
Total			49.969		
10	Rohin River	Basiyadh Nalla	5.842	For remaining 6 major drains (having total discharge of (27.01 MLD) falling directly (untreated) in Rohini River, a project "Gorakhpur Sewerage Scheme Zone-C under AMRUT (estimated cost Rs. 664.59 Cr) under which 245.55 km sewer laying, one no STP of 40 MLD	Two no of Nallahs namely 1- Basiyadh 2- Bargadawa gao jalan are being treated through Bio remediation process by Nagar Nigam, Gorakhpur. Firm is M/s
11		Subhash Chandra Bose Collony Nalla	4.49		
12		Stepping Stone Nalla	1.894		
13		Green City Phase-II Nalla	1.611		



मुख्य अभियन्ता



नगर आयुक्त

14	Bargadwa Gao Jalan Nalla	8.164	capacity is proposed and has been sent by PPRBD Cell, U.P. Jal Nigam, Lucknow to Mission Director, Directorate of Urban Local bodies, Lucknow vide letter 479/1009-072-001(AMRUT)/PPRBD/20 Dated 14.08.2020. However Due to limited availability of fund in AMRUT as instructed by higher officers partial area of the Complete Zone C is considered for project named as "Gorakhpur Sewerage Scheme Sub Zone-C-2 Part-1" amounting Rs 226.56 Cr under AMRUT. In This project 51.89 km sewer laying, one no STP of 10 MLD capacity is proposed covering 3 drains (Bansiyadih Drain, Green City Phase-II Drain & Subash Chandra Bose Nagar Drain), 15000 Nos Sewer House Connection has been proposed. The project has been sent by PPRBD Cell, U.P. Jal Nigam, Lucknow to CE (Nagar), UP Jal Nigam, Lucknow vide letter dt 15.09.2021 which is forwarded by CE (Nagar), UP Jal Nigam, Lucknow to Mission Director, Directorate of Urban Local bodies, Lucknow vide letter 20.09.2021. Approval of which has been discussed in SLTC meeting held on 30.09.2021 and recommendation for approval as been given.	Mapple Orgitech (India) Ltd, Kolkata. > Phyto-Remediation work for Four no of Nallahs namely, 1- Subhas Chandra Bose colony, 2- Stepping stone, 3- Green city Phase2 4-Mahesra Moharipur nallah has been awarded to NEERI, Nagpur in Amrut by Govt. Neeri Team had visited the site on 19 October, 2021.
15	Mahesra Mohripur Nalla	5.005		
Total		27.01		

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

राप्ती एवं सहायक रोहणी नदी में कुल 15 नाले गिरते हैं, जिनमें से राप्ती में गिरने वाले 03 नालों तथा रोहणी में गिरने वाले 02 नालों के बायोरेमेडिएशन का कार्य M/s Mapple Orgitech (India) Ltd. Kolkata के माध्यम से कराया जा रहा है। नगर निगम गोरखपुर द्वारा बायोरेमेडिएशन विधि से शोधित कराये जा रहे 05 नालों के पानी के सैम्पल की जाँच NABL से प्रमाणित प्रयोगशाला शिशोदिया रिसर्च लैबोरेट्री से करायी गयी। ड्रेन वार बायोरेमेडिएशन से शोधन से पूर्व एवं शोधन के बाद के पैरामीटर्स निम्नवत् हैं :-

S. No	Name of River	Name of Drains	Discharge (MLD)	Length (m)	Water Test results							
					Before Bioremediation Sampling Date 18-12-2020				After Bioremediation Sampling Date 27-01-2021			
					BOD	COD	TSS	pH	BOD	COD	TSS	pH
			Normal Value						≤ 30mg/l	≤ 150mg/l	≤ 100mg/l	6.5-9.0
1	Rapti River	Domingarh Nalla	9.03	4250	162	388	262.2	6.31	26.60	77.60	43.60	7.25
2		Illahibagh Nalla	20.61	3650	154	328	242.6	6.30	25.30	73.70	43.80	7.36
3		Kataniya / Mahewa Nalla	8.914	1870	174	398	266.4	6.27	23.90	69.80	44.00	7.19
Total Discharge in Rapti River			38.554									
4	Rohin River	Basiyadh Nalla	5.842	1290	155	340	191.8	6.45	22.60	65.90	44.20	7.38
5		Bargadwa Gao Jalan Nalla	8.164	1100	116	420	257.6	6.34	14.20	62.00	44.40	7.48
Total Discharge in Rohin River			14.006									
Total			59.38	17099								

राप्ती एवं रोहणी नदी में गिर रहे उक्त नालों के पानी की बायोरेमेडिएशन द्वारा शोधन के उपरान्त टेस्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार BOD, COD, TSS and pH की वैल्यू मानक के अन्तर्गत हैं। वर्षात के दौरान बायोरेमेडिएशन के संयंत्रों को हटा लिया गया था, जिन्हें पुनः स्थापित किया गया है।

The improvement of water quality has led to a substantial increase in marine life of the lake and it may be noted that the contract for fishing in Tal is tendered annually for Rs. 440 Lakhs by Gorakhpur Development Authority (For five years Contract is for Rs.220079971.00)

नगर आयुक्त

मुख्य अभियंता नगर निगम, गोरखपुर
नगर निगम, गोरखपुर


3- **Identification, Selection & Establishment of Landfill site for MSW processing plant in Gorakhpur**

Comments/Action Taken	How much time will be taken for action
<p>Municipal corporation Gorakhpur has identified 10.36 hectare of land at Village SUTHANI and BHITI RAWAT on Magahar Road. Out of 10.36 hectare, 8.50 hectare of land has been purchased by Municipal Corporation Gorakhpur for developing landfill site and establishment of processing plant as per MSW Rule 2016. Director, C&DS, UP Jal Nigam, Lucknow (Implementing agency) has been requested to take further action regarding development of landfill site and processing plant vide letter No. 3323/mu.abhi./char-sa.ni.vi./2020-21, dated 12.02.2021, 3450 mu.abhi./char-sa.ni.vi./2020-21, dated 12.03.2021 and 93 mu.abhi./char-sa.ni.vi./2021-22, dated 03.06.2021. DPR of Rs. 31.58 Cr has been prepared by C&DS, UP, Jal Nigam Lucknow and sent to the Government vide letter no 512/mu.abhi./char-sa.ni.vi./2020-21, dated 29.07.2021. C&DS, UP, Jal Nigam has invited tenders to setup the Processing Plant and Landfill Site on the above land. (Annexure-II)</p>	December 2022



मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर


नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर


ANNEXURE-I




Throwing Mud Balls in Drain water



Bar screen for stopping Solid waste from



V-Notch for measuring water discharge



EM Solution Dozing Tanks




मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर




नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नैसर्गिक झील रामगढ़ताल मे वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक मत्स्य
पालन एवं आखेट हेतु दिये गये पट्टे/लाइसेन्स का विवरण

- 1- उपरोक्त अवधि हेतु मत्स्यजीवी सहकारी समिति रामगढ़ताल उर्फ महेरवा की बारी को पट्टा/लाइसेन्स रू0 22,00,79,971.00 में दिया गया है।
- 2- उक्त समिति द्वारा विभिन्न तिथियो में कुल रू0 5,19,59,730.00 प्राधिकरण निधि में जमा किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जमानत के रूप में रू0 55,00,000.00 का एफ0डी0आर0 जमा किया गया है।
- 3- उक्त समिति द्वारा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण दिनांक 19.8.2021 को आवंटन निरस्त कर दिया गया है।


30/11/2021
सहा


3.11.2021
सहा


30/11/2021
इन्द्रजीत सिंह
सहा सं0 अधी0

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

सामगदताल में मत्स्य पालन का टंका सम्बन्धी विवरण:-

क्रम संख्या	टंके का अवधि (कब से)	टंके का अवधि (कब से)	फर्म का नाम	टंके की धराशि (₹)	टिप्पणी
1	2014-15	2018-19	मत्स्यजीवी सहकारी सहकारी समिति लि० तारामण्डल रोड, गोरखपुर ।	2,26,75,000.00	पाँच वर्ष हेतु
2	2019-20	2023-24	मत्स्यजीवी सहकारी सहकारी समिति लि० सामगदताल उर्फ महेरवा की बारी, गोरखपुर ।	22,00,79,971.00	पाँच वर्ष तक किया गया था, परन्तु बकाया होने के कारण निरस्त करते हुए पुनः विज्ञापन दिनांक 02.11.2021 से 16.11. 2021 तक खोला गया। कोई आवेदन प्राप्त नहीं है।



अनिल कुमार
श्रीवास्तव
निर्देशक


अनिल कुमार
सिंह
सं. 10 अथी०

अटल मिशन फॉर रिजूवेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन योजना
“राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति”
22वीं बैठक दिनांक 21.10.2021 का कार्यवृत्त

उपस्थिति—संलग्नक के अनुसार।

एजेण्डा बिन्दु-1

समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में अवगत कराया गया जिसका समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु-2

- (गोरखपुर नगर निगम में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज की एक परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा)

उपरोक्त परियोजना के विषयगत विचार विमर्श किये जाने के पूर्व मा. समिति के समक्ष अमृत योजना में राज्य की अब तक की प्रगति के विषयगत संक्षिप्त रूप से सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि:-

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल परियोजनाओं हेतु रू. 5532.63 करोड़, सीवरेज एवं सैपटेज परियोजनाओं हेतु रू. 5642.92 करोड़ एवं हरित भूमि एवं पार्क हेतु रू. 246.11 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रू. 11421.66 करोड़ का सैप स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष पेयजल परियोजनाओं हेतु रू. 4265.61 करोड़, सीवरेज एवं सैपटेज परियोजनाओं हेतु रू. 7491.79 करोड़ एवं हरित भूमि एवं पार्क हेतु रू. 316.37 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रू. 12073.77 करोड़ स्वीकृत है, की परियोजनायें SHPSC से स्वीकृत हैं।

पेयजल परियोजनाओं हेतु रू. 4264.97 करोड़, सीवरेज एवं सैपटेज परियोजनाओं रू. 7491.79 करोड़ एवं हरित भूमि एवं पार्क हेतु रू. 244.14 करोड़ कुल धनराशि रू. 12000.90 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति अब तक शासन द्वारा प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष पेयजल परियोजनाओं की धनराशि रू. 4009.03 करोड़, सीवरेज एवं सैपटेज परियोजनाओं की धनराशि रू. 6797.57 करोड़ एवं हरित भूमि एवं पार्क हेतु धनराशि रू. 222.81 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि लगभग रू. 11029.41 करोड़ की निविदाएं जी.एस.टी. एवं अन्य विविध व्यय सहित स्वीकृत है तथा इन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत वित्तीय स्वीकृत के सापेक्ष अभी पेयजल परियोजनाएं हेतु रू. 99.36 करोड़, सीवरेज एवं सैपटेज परियोजनाएं रू. 92.46 करोड़ एवं हरित भूमि एवं पार्क हेतु रू. 23.71 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रू. 215.53 करोड़ की निविदाएं प्रक्रियाधीन है।

योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के दृष्टिगत माहवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय प्रगति में हुई कमी के विषयगत मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम को परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति हेतु शीघ्रता से प्राथमिकता पर कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि धीमी प्रगति हेतु शिथिलता पाये जाने पर वरिष्ठ अधिकारी का भी उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जाए। उ० प्र० जल निगम की ओर से संयुक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह अवगत कराया गया कि विगत समय में उ० प्र० जल निगम के विभाजन के कारण संगठनात्मक स्तर पर कठिनाई रही थी परन्तु विगत समय की धीमी प्रगति को आगामी माहों में रिकवर कर लिया जाएगा।

अग्रेतर समिति के समक्ष विचार-विमर्श में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बचत की सम्भावना रहती है। अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत सैप की सीमा तक कार्य कराये जाने में विचाराधीन गोरखपुर की 01 सीवरेज परियोजना समिति के समक्ष अनुमोदित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी।

गोरखपुर नगर निगम सीवरेज योजना, जोन-सी-2, (पार्ट-प्रथम)

(रु. लाख में)

क.सं.	मद	सैप	जोन का नाम	शहर का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत		प्राक्कलन में प्राविधान	समिति का निर्णय
						सेन्टेज सहित	सेन्टेज रहित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sewer	2015-16	लखनऊ	गोरखपुर	नगर निगम गोरखपुर सीवरेज योजना, जोन-सी-2, (पार्ट-प्रथम)	22656.09	20531.76	1. सीवर नेटवर्क-पाइप 150 एम.एम. से 1100 एम.एम. व्यास- 51.89 कि.मी. 2. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 10 एम.एल.डी.(एस.बीआर. तकनीकी)- 1 नग 3. सीवर गृह संयोजन-15000 नग 4. सीवेज पम्पिंग स्टेशन-1 नग (40 एम.एल.डी.) 5. ट्रीटेड एफ्लूएन्ट पम्पिंग स्टेशन -1 नग (40 एम.एल.डी.) एवं तत्सम्बन्धित विद्युत यांत्रिक कार्य।	अनुमोदित
					योग	22656.09	20531.76		

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-11243/नौ-5-2021-180सा/2015टीसी
लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2021

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 - 2- सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
 - 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
 - 4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र.।
 - 5- मिशन निदेशक (अमृत)/पी.डी.एम.सी./एस.एम.एम.यू., नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र.।
 - 6- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
 - 7- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
 - 8- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
 - 9- कम्प्यूटर सेल-नगर विकास अनुभाग-5 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 - 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

व्यय वित्त समिति की वर्युअल बैठक
दिनांक 26.11.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे
संख्या-11852/नौ-5-2021-238सा/19

प्रेषक,

अवधेश कुमार मिश्रा
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 2- राज्य मिशन निदेशक, अमृत, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गोरखपुर।
- 5- अपर मिशन निदेशक, एस०बी०एम, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 24 नवम्बर, 2021

विषय: अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 26.11.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से आहूत व्यय वित्त समिति की वर्युअल बैठक में प्रतिभाग करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, व्यय वित्त समिति सचिवालय (प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग), राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-225/प्रा०र०मू०प्र०/2021, दिनांक 22.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की वर्युअल बैठक दिनांक 26.11.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से उपलब्ध कराये गये वेबलिक के माध्यम से निम्नलिखित प्रायोजना प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जायेगा :-

क्र.सं.	प्रायोजना/प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावित लागत (रु० लाख में)
1	जनपद-गोरखपुर में 500 टी०पी०डी० के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण कार्य से संबंधित प्रायोजना प्रस्ताव	3157.00
2	अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर, सीवरेज योजना, जोन-सी-2 (प्रथम पार्ट) से संबंधित प्रारंभिक प्रायोजना प्रस्ताव।	22656.00

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रायोजनाओं से संबंधित प्रजेन्टेशन Zoom App के माध्यम से मा० समिति के समक्ष Share कराते हुए उक्त वर्युअल बैठक में भिन्न अधिकारियों एवं संगत अभिलेखों सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
(अवधेश कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।

आज्ञा से,
(अवधेश कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

गोपनीय
(केवल व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ)
अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत
जनपद गोरखपुर सीवरेज योजना, जोन-सी-2, (प्रथम पार्ट) से सम्बन्धित
प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन
(प्रस्तावित लागत रू० 22656.09 लाख)

मूल्यांकन टिप्पणी

प्रस्तावक विभाग
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन

कार्यदायी संस्था
उ०प्र० जल निगम

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश,
छठा तल, योजना भवन, लखनऊ
(नवम्बर-2021)

मास्कण्डेय सिंह, वरिष्ठ शोध अधिकारी

गोपनीय,
(केवल व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ)
अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत
जनपद गोरखपुर सीवरेज योजना, जोन-सी-2, (प्रथम पार्ट) से सम्बन्धित
प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन
(प्रस्तावित लागत रू0 22656.09 लाख)

मूल्यांकन टिप्पणी

कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 जल निगम


1.0 प्रायोजना प्रस्ताव:

- 1.1 नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर सीवरेज योजना, जोन-सी-2, (प्रथम पार्ट) से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 22656.09 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है।
- 1.2 सन्दर्भित प्रायोजना जल निगम मुख्यालय पर गठित पी0पी0आर0बी0डी0 (प्रोजेक्ट प्रिपरेशन रिसर्च एण्ड बिजनेस डेवलपमेन्ट) सेल, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ से रू0 22665.09 लाख की लागत पर परीक्षित/संस्तुत है (संलग्नक-क)।
- 1.3 गोरखपुर सीवरेज योजना के अन्तर्गत निम्न प्रायोजना पूर्व में स्वीकृत हैं—

अमृत योजनान्तर्गत सैप वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के सापेक्ष स्वीकृत दो योजनाओं गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-1, उत्तरी भाग (स्वीकृत लागत रू0 7227.36 लाख) एवं दक्षिणी भाग (स्वीकृत लागत रू0 10181.58 लाख) के अन्तर्गत मात्र 05 वार्डों में लगभग 136 कि0मी0 में सीवर नेटवर्क का कार्य कराया जा रहा है। गोरखपुर के शेष क्षेत्र में सीवेज नालों के माध्यम से या तो रोहिन एवं राप्ती नदी में बिना शोधन के गिरता है अथवा शहर के लो-लाईग एरिया में एकत्रित होता है, जिससे जलभराव








की स्थिति उत्पन्न होती है एवं जे0ई0एस0 / ए0ई0एस0 जैसी घातक बिमारियाँ शहर में फैलती हैं।

प्रायोजना का आगणन प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर द्वारा तैयार किया गया है, जो महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर, मुख्य अभियंता (पी0पी0आर0बी0डी0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ, निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत), लखनऊ द्वारा परीक्षित/संस्तुत है तथा प्रायोजना प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित है।

- 1.4 सैप वर्ष 2015-16 की परियोजना अमृत के अन्तर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 30-09-2021 एवं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक दिनांक 21-10-2021 से संस्तुत है।
- 1.5 प्रायोजना का वित्तपोषण अमृत कार्यक्रम हेतु बजट प्राविधानित है, के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
- 1.6 अटल नवीकरण और शहरी स्पान्तरण मिशन (AMRUT-Atal mission for rejuvenation and urban transformation) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना से आच्छादित प्रदेश के नगरों में से 10 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों में केन्द्रांश की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 33.33 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होगी। अमृत कार्यक्रम के ~~अन्तर्गत केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य में क्रियान्वित परियोजनाओं के लिए~~ राज्यांश एवं निकाय अंश का फण्डिंग पैटर्न निम्नवत निर्धारित है -

क्र0सं0	अमृत शहर	परियोजना लागत का फण्डिंग पैटर्न
1	10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर (केन्द्रांश 33.33 प्रतिशत अनुमन्य)	33.33 36.67 30 (अर्थात् 33.33 प्रतिशत केन्द्रांश, 36.67 प्रतिशत राज्यांश तथा 30 प्रतिशत निकाय अंश)







2	10 लाख तक जनसंख्या वाले नगर (केन्द्रांश 50.00 प्रतिशत अनुमन्य)	50:30:20 (अर्थात् 50 प्रतिशत केन्द्रांश, 30 प्रतिशत राज्यांश तथा 20 प्रतिशत निकाय अंश)
---	--	--


प्रश्नगत प्रायोजना का वित्त पोषण अमृत योजना के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। गोरखपुर की जनसंख्या 10 लाख से कम होने के कारण प्रश्नगत प्रायोजना हेतु फण्डिंग पैटर्न 50:30:20 (अर्थात् 50 प्रतिशत केन्द्रांश, 30 प्रतिशत राज्यांश तथा 20 प्रतिशत निकाय अंश) है।

- 1.7 भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में प्रत्येक घर में सुनिश्चित जलापूर्ति तथा सीवरेज कनेक्शन की व्यवस्था, नगरों के अन्दर खुले क्षेत्रों का सुव्यवस्थित रख-रखाव के साथ-साथ हरित भाग को विकसित किया जाना गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, पैदल मार्ग की व्यवस्था आदि प्रमुख हैं।

2.0 आवश्यकता एवं औचित्य:

प्रायोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत प्रायोजना गोरखपुर शहर हेतु तैयार महायोजना के जोन-सी के सबजोन-सी-2(पार्ट-1) को सीवरेज नेटवर्क से आच्छादित करने, उक्त क्षेत्र से जनित सीवेज को शोधित करने एवं सबजोन-सी-2 (पार्ट-1) के सभी उपभोक्ताओं को सीवरेज सुविधाएं 15000 नग सीवेज गृह संयोजन के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् गोरखपुर-लखनऊ, गोरखपुर-नौतनवाँ रेलवे लाइन तथा रोहिन नदी के मध्य मुख्य वार्ड सं0-32

(आंशिक), 23 (आंशिक), 48 (आंशिक), 33, 68 (आंशिक), एवं 56 में जनित सीवेज को शोधित कर रोहिन नदी में प्रवाहित किया जायेगा, जिससे उक्त सभी वार्डों की वर्ष 2023 की 62194 जनसंख्या लाभान्वित होगी।







3.0 प्रायोजना की डिजाइन अवधि

प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में डिजाइन अवधि 30 वर्ष ली गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना अवधि	वर्ष	कुल जनसंख्या	सीवरेज उत्प्रवाह(एम.एल.डी.)
1	प्रारम्भिक	2023	62194	6.72
2	मध्य वर्ष	2038	86199	9.31
3	डिजाइन वर्ष	2053	118750	12.83

4.0 हाउसहोल्ड की कवरेज स्थिति

S.No	Description	Gorakhpur City	
		Nos.	%
1	Total no. of House Holds as per survey	131630	-
2	No. of House Holds having sewer connections already sanctioned under AMRUT, SAAP YEAR 2015-16	9280 (Northern)	7.05
4	No. of House Holds having sewer connections already sanctioned under AMRUT, SAAP YEAR 2016-17	14560 (Southern)	11.06
5	No of Sewer connections proposed in this DPR	15000	11.39
6	House Hold with sewer connections after execution of AMRUT projects	38840	29.5
7	Remaining House Holds without sewer connections after execution of this AMRUT Projects	92790	70.5

5.0 प्रायोजना प्राविधान

प्रायोजनान्तर्गत निम्न प्राविधान किये गये हैं:-

क्रम सं०	कार्य मद	मात्रा
अ	सिविल कार्य	
1.	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस०बी०आर० तकनीकी)	10 एम०एल०डी०
2.	सीवर नेटवर्क (पाइप व्यास 150 एमएम से 1100 एनएम)	51.89 किमी
3.	सीवर गृह संयोजन एवं तत्संबंधी कार्य	15000 नग







क्रम सं०	कार्य मद्	मात्रा
4	ट्रीटेड एफ्लूएन्ट सीवर लाइन हेतु ट्रेन्चलेस विधि से बन्धे के क्रॉसिंग, ड्रेन एवं प्रोटेक्शन कार्य	130 मी० (1400 एमएम व्यास की पाइप), 50 मी० ड्रेन एवं सुरक्षात्मक कार्य
5.	1 नग एम०पी०एस०, सुभाष चन्द्र बोस नगर	40.00 एम०एल०डी०
6.	1 नग ट्रीटेड एफ्लूएन्ट पम्पिंग स्टेशन, सुभाष चन्द्र बोस नगर	40.00 एम०एल०डी०
7.	राइजिंग मेन (आई०पी०एस०, एम०पी०एस० एवं ट्रीटेड सीवेज)	250 मी०
8.	बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड, स्टाफ क्वार्टर एवं तत्संबंधी कार्य	बाउण्ड्रीवाल-820 मी० एप्रोच रोड-1416 वर्गमी० स्टाफ क्वार्टर-1 नग
ब	विद्युत०/यांत्रिक कार्य	
1	पम्पिंग प्लान्ट	जॉब
2	बार स्क्रीन एवं गेट	जॉब
3	सब-स्टेशन	जॉब
4	डी०जी० सेट-100के०वी०ए०	3 नग
5	ट्रायल रन (3 माह)	जॉब

6.0 निर्माण दरें:

प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित सिविल कार्यों की दरें अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के पत्रांक 436/वि-15/75 दिनांक 29.04.2020 द्वारा स्वीकृत श्रमिक एवं सामग्री के दरों पर आधारित विभागीय शिड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार हैं। केन्द्रीयकृत सामग्री की दरें सामग्री प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के पत्रांक-2341/क्रय/सामान्य/(2121-0052)/2017/243 दिनांक 03.10.2017 एवं ~~2636/क्रय/सामान्य/(2121-0052)-2019/97 दिनांक 24.09.2019~~ के आधार पर ली गई हैं। ट्रेन्चलेस विधि द्वारा सीवर लेईंग की दरें Ind Stt-2019 के शिड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर ली गयी हैं। विभाग दरों में अनुपलब्ध सामग्री की दरें प्राप्त बजटरी आफर के अनुसार ली गयी है। प्रभाग द्वारा प्रायोजना का परीक्षण इसी के आधार पर किया गया है।







7.0 लागत विश्लेषण:

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत एवं प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:-

(Rs. In Lakhs)

S.N.	Description of Work	Quantity	PROPOSED COST	PFAD COST	Deduction	Remark
A	CIVIL WORK					
1	Sewage Treatment Plant @150 Lacs/ MLD	10 MLD	1500.00	1500.00	0.00	
2	Branch & Trunk Sewers	51.892 KM.	9649.96	9542.01	-107.95	
3	Treated Effluent Sewage works and other works					
a	Sewer Line including Trenchless technology	130 मी० (1400 एमएम व्यास की पाइप), 50 मी० ट्रेन एवं सुरक्षात्मक कार्य	114.65	114.65	0.00	
b	Open Channel Drain including platform & sluice gate		80.65	80.45	-0.20	
c	Bundha Protection Works		41.22	41.22	0.00	
4	MPS at Subhash Chandra Bose Nagar	40 MLD	966.49	966.49	0.00	
5	MPS at Subhash Chandra Bose Nagar for Treated sewer	40 MLD	497.38	497.38	0.00	
6	Rising Main (MPS+ Treated sewer)	250 M	64.32	64.32	0.00	
7	Sewer House Connection	15000 नग	2206.38	2176.35	-30.03	
8	Permanent Reinstatement of roads after making Sewer house connection.		2059.80	2059.80	0.00	
9	Boundary Wall around STP	820.00 मी०	105.10	105.10	0.00	
10	site Development and Approach Road	1416 वर्गमी०	8.46	8.46	0.00	
11	Earth Filling in STP work	9690 घनमी०	50.82	30.00	-20.82	LS
12	Staff Quarters	01 नग	12.07	12.07	0.00	
	(Total A)		17357.30	17198.30	-159.00	
B	E&M Works :					
13	Pumping Plants, LT Panel Along with other Accessories (MPS&Effluent Pumping Station)		228.48	228.48	0.00	
14	Bar Screen and Gates		116.70	116.70	0.00	
15	Sub-station		118.64	118.64	0.00	
16	Diesel Generating Set-100KVA	03 No.	33.60	S.No.-24	0.00	
17	Cost of 3 months Trial run		34.35	S.No.-25	0.00	
	Sub Total (B)		531.77	463.82	-67.95	
	Total (A+B)		17889.07	17662.12	-226.95	
18	Less Proficiency 5%		-894.45	-883.11	11.35	
	TOTAL		16994.62	16779.01	-215.61	
19	Labour cess 1%		169.95	167.79	-2.16	
	TOTAL		17164.56	16946.80	-217.76	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Rs. In Lakhs)

S.N.	Description of Work	Quantity	PROPOSED COST	PFAD COST	Deduction	Remark
20	Centage charges 12.5%		2124.33	2097.38	-26.95	
21	GST@12%		2039.35	2013.48	-25.87	
	TOTAL		21328.24	21057.66	-270.59	
22	Power Transmission Line- 33 KVA		1110.70	1089.24	-21.46	As per Estimate
23	Departmental fee for permission from P.W.D., Forest and Electrical department					
a	P.W.D		147.15	147.15	0.00	
b	Forest		50.00	25.00	-25.00	Due To LS
c	Electrical department		20.00	10.00	-10.00	Due To LS
24	Diesel Generating Set	S.No.-16	0.00	33.60	33.60	
25	Cost of 3 months Trial run	S.No.-17	0.00	23.10	23.10	
	GRAND TOTAL		22656.09	22385.75	-270.35	

कटौती का विवरण

- ब्रान्च एण्ड ट्रंक सीवर कार्य में डिस्पोजल आंफ अर्थ की लागत में यथोचित कमी, वर्तमान ड्रेन आदि से सीवर क्रासिंग की दर में कमी एवं विद्युत एवं टेलीफोन केबिल की सुरक्षा एवं सैण्ड फिलिंग की दर में कमी किये जाने के कारण लागत में कमी हुई है।
- सीवर हाउस कनेक्शन में कनेक्टिंग चैम्बर की दर में कमी किये जाने के कारण लागत में कमी हुई है।

8.0 प्रभाग की टिप्पणी

1. नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर सीवरेज योजना, जोन-सी-2, (प्रथम पार्ट) से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 22656.09 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। प्रायोजना की प्रस्तावित लागत








रु0 22656.09 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा रु0 22385.75 लाख की लागत आंकलित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(लागत लाख रु0 में)

क्र० संख्या	मद	प्रस्तावित लागत	आंकलित लागत	आंकलित लागत का वित्त पोषण		
				केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश
				50%	30%	20%
1	कार्यों की लागत	16994.62	16779.01	8389.50	5033.70	3355.80
2	लेबर सेस 1 प्रतिशत	169.95	167.79	83.90	50.34	33.56
3	सेनटेज चार्ज 12.50 प्रतिशत	2124.33	2097.38	0.00	1677.90	419.48
4	जी०एस०टी० 12 प्रतिशत	2039.35	2013.48	1006.74	604.04	402.70
5	पावर ट्रान्समिशन लाइन,	1110.70	1089.24	544.62	326.77	217.85
6	विभागीय शुल्क					
	लोक निर्माण विभाग	147.15	147.15	73.58	44.15	29.43
	वन विभाग	50.00	25.00	12.50	7.50	5.00
	विद्युत विभाग	20.00	10.00	5.00	3.00	2.00
7	डीजी० सेट	0.00	33.60	16.80	10.08	6.72
8	तीन माह हेतु ट्रायल एवं रन (ई० एण्ड एम०)	0.00	23.10	11.55	6.93	4.62
	योग	22656.09	22385.75	10144.19	7764.41	4477.15

2. प्रश्नगत प्रायोजना की लागत रु0 200.00 करोड़ से अधिक है, जिसके दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रायोजना पर मा० मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
3. प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
4. प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।







6. प्रायोजना का कार्य अमृत योजना के अन्तर्गत कराया जाना है अतः अमृत की गाइड लाइन्स एवं मिशन निदेशक (अमृत)/निदेशक, नगर निकाय के अधीन गठित अप्रेजल कमेटी द्वारा अप्रेजल में उठाये गये बिन्दुओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।
8. प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
9. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

22/11/2021
(मारकण्डेय सिंह)
वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक)
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
योजना भवन, लखनऊ

+++++
22/11/2021
(इ० अनिल कुमार सविता)
संयुक्त निदेशक,
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
योजना भवन, लखनऊ

22/11/2021
(इ० राजेश कुमार)
निदेशक
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
योजना भवन, लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियंता (पी0पी0आर0बी0डी0), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।

अग्रैजल टिप्पणी

कार्यक्रम का नाम	: अमृत।
योजना का नाम	: गोरखपुर सीवरेज योजना सबजोन-सी-2(पार्ट-1)
धिरचनकर्ता	: परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर/मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
परियोजना लागत	: ₹0 22656.09 लाख (सेन्टेज एवं जी.एस.टी सहित)। 5 वर्ष हेतु संचालन एवं रखरखाव की लागत ₹0 4688.47 लाख।
आधार वर्ष	: 2023, कुल जनसंख्या - 62194, सीवरेज उत्प्रेषण - 6.72 एम.एल.डी.
परियोजना वर्ष	: 2053, कुल जनसंख्या - 118750, सीवरेज उत्प्रेषण - 12.83 एम.एल.डी.
पूर्व वृत्त	: गोरखपुर जनपद में सन् 1960 में मात्र 55 कि0मी0 सीवर लाइन बिछायी गयी थी, जो वर्तमान में अपनी डिजाइन अवधि पूर्ण करने एवं शहर में हुए अत्यधिक विस्तार के कारण पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुकी है। वर्ष 2016 में उ0प्र0 जल निगम द्वारा गोरखपुर नगर का सीवरेज मास्टर प्लान तैयार किया गया था, जिसमें गोरखपुर नगर को 5 सीवरेज जोन ए, बी, सी, डी एवं ई में विभक्त किया गया था। सीवरेज जोन ए को सब जोन ए-1, ए-2 एवं ए-3 में विभक्त किया गया। सब जोन ए-1 पुनः जोन ए-1 उत्तरी भाग (अपर पार्ट) तथा जोन ए-1 दक्षिणी भाग (लोवर पार्ट) में विभक्त है।
अद्यतन स्थिति	: अमृत योजनान्तर्गत सैप वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के सापेक्ष स्वीकृत दो योजनाओं गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-1, उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के अन्तर्गत मात्र 05 वार्डों में लगभग 136 कि0मी0 में सीवर नेटवर्क का कार्य कराया जा रहा है। शेष गोरखपुर के क्षेत्र में सीवेज नालों के माध्यम से या तो रोहिन एवं राप्ती नदी में बिना शोधन के गिरता है अथवा शहर के लो-लाईंग एरिया में एकत्रित होता है, जिससे जलधराय की स्थिति उत्पन्न होती है एवं जे0ई0एस0 / ए0ई0एस0 जैसी घातक बिमारियाँ शहर में फैलती हैं।
Need of scheme	: अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत सैप वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना, जोन ए-1, उत्तरी भाग (स्वीकृत लागत ₹0 7227.36 लाख) एवं सैप वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-1, दक्षिणी भाग (स्वीकृत लागत ₹0 10181.58 लाख) स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष कार्य प्रगति पर हैं। प्रश्नगत प्राक्कलन गोरखपुर शहर हेतु तैयार महायोजना के जोन-सी के सबजोन-सी-2(पार्ट-1) को सीवरेज नेटवर्क से आच्छादित करने, उक्त क्षेत्र से जनित सीवेज को शोधित करने एवं सबजोन-सी-2 (पार्ट-1) के सभी उपभोक्ताओं को सीवरेज सुविधाएं 15000 नग सीवेज गृह संयोजन के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् गोरखपुर-लखनऊ, गोरखपुर-नौतनवाँ रेलवे लाइन तथा रोहिन नदी के मध्य मुख्य वार्ड सं0-32 (आंशिक), 23 (आंशिक), 48 (आंशिक), 33, 68 (आंशिक), एवं 56 में जनित सीवेज को शोधित कर रोहिन नदी में प्रवाहित किया जायेगा, जिससे उक्त सभी वार्डों की वर्ष 2023 की 62194 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

लामान्वित क्षेत्र : विचारधीन प्राक्कलन में सीवरेज योजना जोन-सी के सबजोन-सी-2(पार्ट-1) के अन्तर्गत कुल 06 वार्ड क्रमशः वार्ड सं0-32 (आंशिक), 23 (आंशिक), 48 (आंशिक), 33, 68 (आंशिक), एवं 56 को सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तावित कार्य : प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत् हैं :-

क्र सं	प्रस्तावित कार्यों का विवरण	मात्रा	लागत (रु0 लाख में)
अ	सिविल कार्य		
1.	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0बी0आर0 तकनीकी)	10 एम0एल0डी0	1500.00
2.	सीवर नेटवर्क (पाइप व्यास 150 एमएम से 1100 एमएम)	51.89 किमी.	9649.96
3.	सीवर गृह संयोजन एवं तत्संबंधी कार्य	15000 नग	4266.18
4	ट्रीटेड एफ्लूएन्ट सीवर लाइन हेतु ट्रेन्चलेस विधि से बन्धे के क्रॉसिंग, ड्रेन एवं प्रोटेक्शन कार्य	130 मी0 (1400 एमएम व्यास की पाइप), 50 मी0 ड्रेन एवं सुरक्षात्मक कार्य	236.52
5.	1 नग एम0पी0एस0, सुभाष चन्द्र बोस नगर	40.00 एम0एल0डी0	966.49
6.	1 नग ट्रीटेड एफ्लूएन्ट पम्पिंग स्टेशन, सुभाष चन्द्र बोस नगर	40.00 एम0एल0डी0	497.38
7.	राइजिंग मेन (आई0पी0एस0, एम0पी0एस0 एवं ट्रीटेड सीवेज)	250 मी0	64.32
8.	बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड, स्टाफ क्वार्टर एवं तत्संबंधी कार्य	बाउण्ड्रीवाल-820.00 मी0 एप्रोच रोड- 570 मी0 स्टाफ क्वार्टर-1 नग	176.45
		योग (अ)	17357.3
ब	वि0/यों कार्य		
1	पम्पिंग प्लान्ट	जॉब	228.48
2	बार स्क्रीन एवं गेट	जॉब	116.70
3	सब-स्टेशन	जॉब	118.64
4	डी0जी0 सेट	जॉब	33.60
5	ट्रायल रन (3 माह)	जॉब	34.35
		योग (ब)	531.77
		कुल योग (अ+ब)	17889.07
6	पॉवर ट्रांसमिशन लाइन		1110.70

योजना के लाभ :

1. प्रस्तुत प्राक्कलन में गोरखपुर क्षेत्र के जोन सी के सबजोन-सी-2 (पार्ट-1) के अन्तर्गत कुल 06 वार्ड क्रमशः वार्ड सं0-32 (आंशिक), 23 (आंशिक), 48 (आंशिक), 33, 68 (आंशिक), एवं 56 सम्मिलित हैं।
2. इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात आधार वर्ष में 6.72 एम.एल.डी. तथा डिजाइन वर्ष में 12.83 एम.एल.डी. सीवेज उत्प्रेषण होगा तथा 10 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से शोधन किया जायेगा।
3. प्रस्तुत योजना से वर्ष 2023 की अभिकल्पित जनसंख्या 62194 लामान्वित होगी तथा कुल 15000 नग गृह सीवर संयोजन के साथ सीवरेज योजना जोन सी के सबजोन-सी-2

(पार्ट-1) के शत प्रतिशत उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

Coverage Status of house holds:-

S. No	Description	Gorakhpur City		जोन सी सबजोन-सी-2 (पार्ट-1) की सीवरज योजना	
		Nos.	%	Nos.	%
1	Total no. of House Holds as per survey	131630	-	15000	-
2	House Holds with water connections as per ULB	0.0	-	-	-
3	No. of House Holds having sewer connections already sanctioned under AMRUT, SAAP YEAR 2015-16	9280 (Northern)	7.05	-	-
4	No. of House Holds having sewer connections already sanctioned under AMRUT, SAAP YEAR 2016-17	14560 (Southern)	11.06	-	-
5	No. of House Holds having sewer connections already sanctioned under AMRUT, SAAP YEAR 2017-20				
6	No of Sewer connections proposed in this DPR	15000	11.39	15000	100
7	House Hold with sewer connections after execution of AMRUT projects	38840	29.5		
8	Remaining House Holds without sewer connections after execution of this AMRUT Projects	92790	70.5		

उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् गोरखपुर नगर के जोन सी के सबजोन-सी-2 (पार्ट-1)के 06. लाभान्वित वार्डों के 62194 उपभोक्ता सीवर गृह संयोजन से लाभान्वित हो जायेंगे।

डिजाइन क्राइटेरिया : CPHBEO Manual एवं विभागीय निर्देशानुरूप।


पूर्व अप्प्रेजल : विचाराधीन योजना की अप्प्रेजल विलयरेन्स एवं तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के पत्रांक-1963/वि-28/44 दिनांक 09.09.2021 द्वारा प्रदान की गई है।

दरों का आधार : प्राक्कलन में प्रस्तावित सिविल कार्यों की दरें अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के पत्रांक 436/वि-15/75 दिनांक 29.04.2020 द्वारा स्वीकृत श्रमिक एवं सामग्री के दरों पर आधारित विभागीय शिड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार हैं। केन्द्रीयकृत सामग्री की दरें सामग्री प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के पत्रांक-2341/क्रय/सामान्य/(2121-0052)/2017/243 दिनांक 03.10.2017 एवं 2636/क्रय/सामान्य/(2121-0052) 2019/97 दिनांक 24.09.2019 के आधार पर ली गई हैं। ट्रेन्चलैस विधि द्वारा सीवर लेईंग की दरें Ind Stt-2019 के शिड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर ली गयी हैं।

पी.पी.आर.बी.डी सैल, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा परीक्षण एवं सम्यक विचारोपरान्त अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर सीवरज योजना सबजोन सी-2 (पार्ट-1) का प्राक्कलन, अनुमानित लागत ₹0 22656.09 लाख तथा 5 वर्षों हेतु संचालन एवं रखरखाव की लागत ₹0 4688.47 लाख की सैद्धान्तिक सहमति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. योजना पर कोई भी व्यय वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा।
2. योजना प्रत्येक दशा में स्वीकृत धनराशि के अन्दर ही पूर्ण की जायेगी।
3. यदि योजना के प्रस्तावित कार्यों से कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ही कराया जायेगा।
4. योजना के क्रियान्वयन में विभागीय विशिष्टियों, वित्तीय नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


उक्त तथ्यों के आलोक में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना, सबजोन सी-2 (पार्ट-1) का प्राक्कलन, अनुमानित लागत रू० 22656.09 लाख तथा 5 वर्षों हेतु संचालन एवं रखरखाव की लागत रू० 4688.47 लाख की स्वीकृति एवं धनावंटन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।


19/9/2021
(नरेन्द्र वर्मा)

अधिशारी अभियन्ता (पी०पी०आर०बीडी०)


14/9
(जितेश, निगम)

अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०आर०बीडी०)


14/9
(पीयूष पंकज)

मुख्य अभियन्ता (पी०पी०आर०बीडी०)

पी०पी०आर०बीडी० सैल, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

संख्या- 398 /2019/4883/नौ-5-2019-41सा/2019

श्रेयक,

राधे कृष्ण,
मन्वजन मन्त्रि,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक (अमृत) /निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
2090 मन्वजन।

नगर विकास अनुभाग-5

लघनऊ: दिनांक 23 फिनव्बर, 2019

विषय: अमृत योजना (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत गोरखपुर शहर के नालों का In-situ Treatment CSIR-NEERI's Renew Technology से संबंधित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत (AMRUT) के अन्तर्गत गोरखपुर शहर के नालों का In-situ Treatment CSIR-NEERI's Renew Technology से संबंधित परियोजना की निर्धारित लागत ₹0 677.68 लाख+जी0एन0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 108.43 लाख (रूपए एक करोड़ आठ लाख तैतालिस हजार मात्र) (केन्द्रांश+ राज्यांश+सेन्टेज) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार नहर्य स्वीकृति प्रदान करते हैं-

परियोजना का नाम	निर्मित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	स्टेट की धनराशि	कार्य लागत (2-3)	लागत में सम्मिलित केन्द्रांश (कार्य साधक 50 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित राज्यांश (कार्य साधक का 30 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित निकाय अंश (कार्य साधक का 20 प्रतिशत)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित केन्द्रांश	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित राज्यांश	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित सेन्टेज	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गोरखपुर शहर के नालों का In-situ Treatment CSIR-NEERI's Renew Technology से संबंधित परियोजना	677.68	00.00	677.68	338.84	203.30	135.53	67.77	40.86	00.00	108.43

(रूपए एक करोड़ आठ लाख तैतालिस हजार मात्र)

- (1) अवमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का बहन स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीय बैंक में स्टेट मोडल खाते में जमा की गयी धनराशि से किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि आवश्यकतानुसार अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।
- (2) योजना के निर्गत मानकों के अनुसार 75 प्रतिशत की धनराशि का व्यय होने पर द्वितीय किश्त की धनराशि एवं इसी प्रकार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कराने के संबंध में मिशन निदेशक(अमृत) द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय न्याप संख्या-1/2019/वी-1-170/दम-2019-

R:\AMRUT\AMRUT-2019-20-001.G

(17) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगा कि थ्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/वी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-यू.ओ.ई-9-1713/दस-19, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 398 /2019/4883(1)/नौ-5-2019, तद्दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
 - 4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
 - 6- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
 - 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
 - 8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
 - 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 - 10- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
 - 11- मुख्य अभियन्ता (नागर)/पीडीएमसी, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
 - 12- निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
 - 14- ✓ गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,


(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव

व्यय वित्त समिति की वर्चुअल बैठक
दिनांक 26.11.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे
संख्या-11852/नौ-5-2021-238सा/19

प्रेषक,

अवधेश कुमार मिश्रा
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 2- राज्य मिशन निदेशक, अमृत, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (गो०क्ष०), उ०प्र जल निगम (नगरीय), गोरखपुर।
- 5- अपर मिशन निदेशक, एस०बी०एम, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 24 नवम्बर, 2021

विषयः अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 26.11.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से आहूत व्यय वित्त समिति की वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, व्यय वित्त समिति सचिवालय (प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग), राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-225/प्रा०र०मू०प्र०/2021, दिनांक 22.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की वर्चुअल बैठक दिनांक 26.11.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से उपलब्ध कराये गये वेबलिक के माध्यम से निम्नलिखित प्रायोजना प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जायेगा :-

क्र.सं.	प्रायोजना/प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावित लागत (रु० लाख में)
1	जनपद-गोरखपुर में 500 टी०पी०डी० के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण कार्य से संबंधित प्रायोजना प्रस्ताव	3157.00
2	अटल नदीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर, सीवरेज योजना, जोन-सी-2 (प्रथम पार्ट) से संबंधित प्रारंभिक प्रायोजना प्रस्ताव।	22656.00

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रायोजनाओं से संबंधित प्रजेन्टेशन Zoom App के माध्यम से मा० समिति के समक्ष Share कराते हुए उक्त वर्चुअल बैठक में भिन्न अधिकारियों एवं संगत अभिलेखों सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
24/11/2021
(अवधेश कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।

आज्ञा से,
24/11/2021
(अवधेश कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

मूल प्रायोजना प्रपत्र

क्र०सं०	मद	
1	प्रस्ताव का नाम	जनपद गोरखपुर में नगर निगम, गोरखपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव प्रस्तावित लागत रु० 3157.90 लाख।
	प्रायोजना का प्रकार	प्रारम्भिक
2	कार्यदायी संस्था का नाम	सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम
3	कार्यदायी संस्था का चयन क्या सक्षम स्तर से अनुमोदित है।	हाँ
4	आवश्यकता एवं औचित्य	मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21-10-2021 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी संचालन समिति की बैठक में 14 नगरीय निकायों में एम०एस०डब्ल्यू० (म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट) प्लान्ट अनुमोदित/संस्तुत हैं, के क्रम में प्रायोजना का गठन किया गया है।
5	लागत	
I	प्रस्तावित लागत	रु० 3157.90 लाख
II	मूल्यांकित लागत	रु० 2840.16 लाख
III	लागत का आधार जैसे-SOR एवं उसका निर्धारण वर्ष आदि	प्रायोजना प्रस्ताव में सिविल कार्यों की दरें अधीक्षण अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम गोरखपुर के वर्ष 2020 की स्वीकृत एवं श्रमिक व सामग्री की दरों पर आधारित विभागीय शिड्यूल के अनुसार है।
6	भूमि की उपलब्धता (क्षेत्रफल)	उपलब्ध
7	भूमि अधिग्रहण की मात्रा एवं धनराशि	नहीं
8	बजट प्रावधान (केन्द्रांश/राज्यांश)	प्रायोजना का वित्त पोषण वर्ष 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट समबंधी कार्य (केन्द्रांश 35 प्रतिशत / राज्यांश 65 प्रतिशत)।
9	मानकीकृत/गैर मानकीकृत	गैरमानकीकृत
10	मिट्टी भराई (यदि हाँ तो डी०एम० रिपोर्ट)	जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण फिल्हाल एकमुश्त रु० 5.00 लाख अनुमन्य।
11	क्या उच्च विशिष्टियाँ है।	
I	यदि हाँ तो उनका विवरण (केन्द्रीय वातानुकूलन, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, फाल्स सीलिंग, बुडेन फ्लोरिंग आदि) मदवार मात्राएं एवं धनराशि	नहीं
12	यदि प्रायोजना प्रस्ताव में फर्नीचर का मद लिया गया है, तो उसका विवरण एवं लागत	नहीं
13	बॉट आउट आइटम्स का विवरण एवं धनराशि	नहीं

क०सं०	मद	
13	बॉट आउट आइटम्स का विवरण एवं धनराशि	नहीं
14	अनुमन्य सेन्टेज का प्रतिशत एवं धनराशि (अधिष्ठान व्यय)-	12.50 प्रतिशत रू० 281.02 लाख
15	अनुमन्य कन्टीजेन्सी का प्रतिशत एवं धनराशि	2 प्रतिशत रू० 47.33 लाख
16	यूटीलिटी शिफ्टिंग	नहीं
17	अन्य विशेष बिन्दु	-

(Handwritten Signature)
22/11/2014

(इं० मो० तारिक सिद्दीकी)
वरिष्ठ शोध अधिकारी
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
छोटागढ़ भवन, लखनऊ

(Handwritten Signature)

निदेशक

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

गोपनीय
(केवल व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ)
मूल प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन

जनपद गोरखपुर में नगर निगम, गोरखपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव प्रस्तावित लागत रू० 3157.90 लाख।

मूल्यांकन टिप्पणी

प्रस्तावक विभाग
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश,
छठां तल, योजना भवन, लखनऊ
(नवम्बर, 2021)

इं० मो० तारिक सिद्दीकी, वरिष्ठ शोध अधिकारी

गोपनीय
(केवल व्यय वित्त समिति उपयोगार्थ)
मूल प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन

जनपद गोरखपुर में नगर निगम, गोरखपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव प्रस्तावित लागत रू0 3157.90 लाख

कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

मूल्यांकन टिप्पणी

1.0 प्रायोजना प्रस्ताव

- 1.1 नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद गोरखपुर में नगर निगम, गोरखपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव प्रस्तावित लागत रू0 3157.90 लाख व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है।
- 1.2-प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21-10-2021 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी संचालन समिति की बैठक में 14 नगरीय निकायों में एम0एस0डब्लू0 (म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट) प्लान्ट अनुमोदित/संस्तुत हैं।
- 1.3- प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव विभागीय क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा दिनांक 20-10-2021 में मूल्यांकित किया गया है।
- 1.4- प्रायोजना का वित्त पोषण वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट सम्बंधी कार्य (केन्द्रांश 35 प्रतिशत /राज्यांश 65 प्रतिशत) मद में रू0 100000.00 लाख का आय-व्यय प्राविधान है।
- 1.5-प्रायोजना का आगणन परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-14, गोरखपुर द्वारा तैयार किया गया है, जो महाप्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ, निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा परीक्षित तथा प्रायोजना प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित है।

2.0-प्रायोजना की आवश्यकता एवं औचित्य

प्रायोजना प्रस्ताव के अनुसार मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21-10-2021 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी संचालन समिति की बैठक में 14 नगरीय निकायों में एम0एस0डब्लू0 (म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट) प्लान्ट अनुमोदित/संस्तुत हैं, के क्रम में प्रायोजना का गठन किया गया है।



3.0-जनसंख्या

प्रायोजना जनगणना वर्ष 1951 से 2011 कुल जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वर्ष	जनसंख्या	जनसंख्या बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
1	1951	1,32,436	-
2	1961	1,80,255	36.11%
3	1971	2,30,911	28.10%
4	1981	3,07,501	33.17%
5	1991	5,05,566	64.41%
6	2001	6,22,701	23.17%
7	2011	6,73,446	8.15%

4.0-प्रायोजना प्रावधान:-

प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में निम्न प्रावधान किये गये हैं :-

SI- No	Description	Unit	Quantity
1	2	3	4
A	Site Cleaning including uprooting of roots, bush, small trees etc. all complete	Sqm.	43800.00
1	Tipping Area or Receiving Area -Uncovered	Sqm.	3000.00
2	Pre Processing Area		
(i)	Covered	Sqm.	120.00
(ii)	Uncovered	Sqm.	2000.00
3	Compost Pad		
(i)	Covered	Sqm.	8400.00
(ii)	Uncovered	Sqm.	19500.00
4	Machine Shed	Sqm.	500.00
5	Curing Area	Sqm.	1410.00
6	Finished Product Godown	Sqm.	1500.00
7	Weighbridge complete Set	Each	01
8	Water Requirement	Job	01
9	Utilities (02 Toilet Block)	Nos.	2.00
10	Gaurd room with Worker's Cradle and Weighbridge Room	Nos.	01
11	Earth Filling in Campus	Cum.	69103.58
12	Retaining wall with boundary wall	Rmt	1719.75
13	Water pass under embankment (temprary)	Each	1.00

5.0-निर्माण दरें

प्रायोजना प्रस्ताव में सिविल कार्यों की दरें अधीक्षण अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम गोरखपुर के वर्ष 2020 की स्वीकृत श्रमिक व सामग्री की दरों पर आधारित विभागीय शिड्यूल के अनुसार गठित है। प्रभाग द्वारा भी प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण भी तदनुसार किया गया है।

6.0-लागत विश्लेषण

प्रायोजना की प्रस्तावित एवं प्रभाग द्वारा आकलित लागत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:- (रु० लाख में)


क्र०सं०	कार्यमद	इकाई	प्रस्तावित लागत			आंकलित लागत			कटौती
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत	
A	Site Cleaning including uprooting of roots, bush, small trees etc. all complete (SOR-259).	Sqm.	43800.00	5.60	2.45	43800.00	3.00	1.31	-1.14
1	Tipping Area or Receiving Area -Uncovered	Sqm.	3000.00		99.72	3000.00		99.72	0.00
2	Pre Processing Area								
(i)	Covered	Sqm.	150.00		19.20	150.00		19.20	0.00
(ii)	Uncovered	Sqm.	2000.00		56.82	2000.00		56.82	0.00
3	Compost Pad								
(i)	Covered	Sqm.	8400.00		744.31	8400.00		744.31	0.00
(ii)	Uncovered	Sqm.	19500.00		579.03	19500.00		579.03	0.00
4	Machine Shed	Sqm.	500.00		69.43	500.00		69.43	0.00
5	Curing Area	Sqm.	1410.00		162.06	1410.00		162.06	0.00
6	Finished Product Godown	Sqm.	1500.00		164.19	1500.00		164.19	0.00
7	Weighbridge complete Set.	Each	1	2000000.00	20.00	क्र०सं०-18 पर		0.00	-20.00
8	Water Requirement	Job			49.42			49.42	0.00
9	Utilities (02 Toilet Block)	Nos.	2.00		18.35	2.00		18.35	0.00
10	Gaurd room with Worker's Craddle and Weighbridge Room	Nos.			11.71			11.71	0.00
11	Earth Filling in Campus	Cum.	69103.58		265.02		L.S.	5.00	-260.02
12	Retaining wall with boundary wall	Rmt	1719.75	22152.16	380.96	1719.75	0.00	380.96	0.00
13	Water pass under embankment (tempary)	Each	1.00		6.01	1.00		5.00	-1.01
	Sub Total				2648.69			2366.51	-282.17
14	LESS @5% for departmental proficiency		2648.69	-5.0%	-132.43	2366.51	-5.0%	-118.33	14.10
	Sub Total				2516.26			2248.18	-268.07
15	Centage Charges @ 12.5%		2516.26	12.5%	314.53	2248.18	12.5%	281.02	-33.51
16	Labour cess @ 1%		2516.26	1%	25.16	2248.18	1%	22.48	-2.68
17	GST @ 12%		2516.26	12%	301.95	2248.18	12%	269.78	-32.17
18	Weighbridge complete Set.	Each	क्र०सं०-7-पर		0.00	1	1670000.00	16.70	16.70
	GST @ 12% On Rs. 16.70 lac					16.7	12%	2.00	2.00
	G. Total :-				3157.90			2840.16	-317.73

7.0-कटौती का विवरण

- बाट आउट मदों पर सेन्टेज चार्ज अनुमन्य न किये जाने के कारण लागत में कमी हुई है।
- मिट्टी भराई हेतु प्रस्तावित रु० 265.02 लाख के सापेक्ष रु० 5.00 लाख अनुमन्य किये जाने के कारण लागत में कमी हुई है।

0-प्रभाग की टिप्पणी

- 1- नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा जनपद गोरखपुर में नगर निगम, गोरखपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव प्रस्तावित लागत रू० 3157.90 लाख व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू० 3157.90 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा रू० 2840.16 लाख की लागत आकलित की गई है।
- 2- प्रायोजना प्रस्ताव में 69103.58 घ०मी० मिट्टी भराई हेतु रू० 265.02 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, परन्तु आगणन में जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट संलग्न न होने के कारण प्रभाग द्वारा फिलहाल मिट्टी के कार्य मद में रू० 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। मिट्टी भराई के सम्बन्ध में जिलाधिकारी स्तर पर गठित तकनीकी समिति की संस्तुति/रिपोर्ट प्राप्त कर उसके आधार पर प्रशासकीय विभाग निर्णय लेना चाहें तथा मिट्टी कार्यमद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत का पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा बारो पिट से प्राप्त होने वाली मिट्टी को घटाया जाय।
- 3- प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
- 4- प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय विलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 5- प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।
- 6- प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।
- 7- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे -नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
- 8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- 9- प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।


24/11/2017
(इ० मो० लारिक सिददीकी)
प्ररिष्ठ शोध अधिकारी
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
योजना भवन, लखनऊ

+++++


(इ० राजेश कुमार)
निदेशक
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
योजना भवन, लखनऊ

मूल प्रायोजना हेतु प्रपत्र

(7)

क्र० सं०	मद	विवरण
1	प्रस्ताव का नाम	अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर सीवरेज योजना, जोन-सी-2, (प्रथम पार्ट) से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन
2	कार्यदायी संस्था का नाम	उ०प्र० जल निगम
3	कार्यदायी संस्था का चयन क्या सक्षम स्तर से अनुमोदित है।	हाँ
4	आवश्यकता एवं औचित्य	प्रश्नगत प्रायोजना गोरखपुर शहर हेतु तैयार महायोजना के जोन-सी के सबजोन-सी-2(पार्ट-1) को सीवरेज नेटवर्क से आच्छादित करने, उक्त क्षेत्र से जनित सीवेज को शोधित करने एवं सबजोन-सी-2 (पार्ट-1) के सभी उपभोक्ताओं को सीवरेज सुविधाएं 15000 नग सीवेज गृह संयोजन के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् गोरखपुर-लखनऊ, गोरखपुर-नौतनवाँ रेलवे लाइन तथा रोहिन नदी के मध्य मुख्य वार्ड सं०-32 (आंशिक), 23 (आंशिक), 48 (आंशिक), 33, 68 (आंशिक), एवं 56 में जनित सीवेज को शोधित कर रोहिन नदी में प्रवाहित किया जायेगा, जिससे उक्त सभी वार्डों की वर्ष 2023 की 62194 जनसंख्या लाभान्वित होगी।
5	लागत	
I	प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित लागत	रु० 22656.09 लाख
II	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत	रु० 22385.75 लाख
III	लागत का आधार जैसे-SOR एवं उसका निर्धारण वर्ष आदि	प्रायोजना-न्तर्गत प्रस्तावित सिविल कार्यों की दरें अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के पत्रांक 436/वि-15/75 दिनांक 29.04.2020 द्वारा स्वीकृत श्रमिक एवं सामग्री के दरों पर आधारित विभागीय शिड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार हैं। केन्द्रीयकृत सामग्री की दरें सामग्री प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के पत्रांक-2341/क्रय/सामान्य/(2121-0052)/2017/243 दिनांक 03.10.2017 एवं 2636/क्रय/सामान्य/(2121-0052) 2019/97 दिनांक 24.09.2019 के आधार पर ली गई हैं। ट्रैन्वलेस विधि द्वारा सीवर लेईंग की दरें Ind Stt-2019 के शिड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर ली गयी हैं। विभाग दरों में अनुपलब्ध सामग्री की दरें प्राप्त बजटरी आफर के अनुसार ली गयी हैं।
6	भूमि की उपलब्धता (क्षेत्रफल)	उपलब्ध है
7	भूमि अधिग्रहण की मात्रा एवं धनराशि	निशुल्क
8	बजट प्रावधान (केन्द्रांश/राज्यांश)	बजट उपलब्ध है।
9	मानकीकृत/गैर मानकीकृत	गैर मानकीकृत
10	मिट्टी भराई (यदि हों तो डी०एम० रिपोर्ट)	-
11	क्या उच्च विशिष्टियाँ हैं।	नहीं
I	यदि हों तो उनका विवरण (केन्द्रीय वातानुकूलन, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, फाल्स सीलिंग, युडेन फ्लोरिंग आदि) मदवार मात्राएं एवं धनराशि	नहीं
12	यदि प्रायोजना प्रस्ताव में फर्नीचर का मद लिया गया है, तो उसका विवरण एवं लागत	नहीं
13	बैंट आउट आइटम्स का विवरण एवं धनराशि	100 के०वी०ए० डी०जी० सेट, 3 नग-रु० 33.60 लाख
14	अधिष्ठान का प्रतिशत एवं धनराशि	12.50 प्रतिशत प्रतिशत, रु० 2097.38 लाख
15	अनुमन्य कन्टीजेन्सी का प्रतिशत एवं धनराशि	सिविल कार्यों में शामिल
16	यूटीलिटी शिफ्टिंग	-
17	अन्य विशेष बिन्दु	-


 (मारकण्डेय सिंह)
 वरिष्ठ शोध अधिकारी (माविधिक)
 प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
 राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
 योजना भवन, लखनऊ


 (डॉ० अनिल कुमार सविता)
 सयुक्त निदेशक,
 प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग,
 राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
 योजना भवन, लखनऊ


 (डॉ० राजेश कुमार)
 निदेशक
 प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
 राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
 योजना भवन, लखनऊ



कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय :- टी.सी.-38-वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन: +91 522 2728985 फैक्स: +91 522 2728988

Visit us: www.cdsupjn.org

e-mail: director@cdsupjn.org

पत्रांक: ...12557...
सेवा में,

सचिव,
नगर विकास,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

दिनांक: 01/12/2021

विषय—सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गोरखपुर के निर्माण से सम्बन्धित टाइम-लाइन के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 01.12.2021 को अपर मुख्य सचिव, नगर विकास महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गोरखपुर परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित टाइम लाइन रिपोर्ट तैयार कराकर आपके अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एम०के०निरंजन)
महाप्रबन्धक(नि-05)

पृ०सं० एवं दिनांक—तदैव—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— मुख्य महाप्रबन्धक(तृतीय), सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र०जल निगम, लखनऊ।
- 2— महाप्रबन्धक(नो-8), सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र०जल निगम, लखनऊ।
- 3— परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-14, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र०जल निगम, गोरखपुर।

महाप्रबन्धक(नि-05)

CONSTRUCTION & DESIGN SERVICES, U.P. JAL NIGAM

TIME LINE FOR 500 TPD SWM PROJECT FOR GORAKHPUR

A major challenge in management of waste and sanitation in Gorakhpur city has been to resolve land issue for setting up of SWM Plant for sanitary landfill and processing of day to day generated solid waste. The geographical topography of the region (eg: low lying areas with water submergence) and 'Not in My Backyard Syndrome' prevalent among general populace have posed serious challenges to identify selection of a suitable land, however, with great efforts in recent past a suitable land has been identified by Municipal corporation Gorakhpur and out of 10.36 hectare total identified land, 8.50 hectare of land has been already purchased by Municipal Corporation Gorakhpur for which is sufficient for developing landfill site and establishment of processing plant as per MSW Rule 2016. A DPR of Rs. 31.58 Cr has been prepared by C&DS, UP, Jal Nigam Lucknow for civil work of the setting up of MSW plant. As per guideline of the sanctioning of the DPR, the vetting and approval of DPR from State High Power Committee under Chairmanship of Chief Secretary has been done and Economic & Finance Committee under Chairmanship of Additional Chief Secretary Finance has approved the project in its' meeting dated 26.11.2021. The Government order for financial and administrative sanction is being issued shortly. Nit for the above projects has been floated via NIT no. 2027/Karya-7/59 dt 27.10.2021, which will be finalized in December' 21, and the work order will be issued in the last week of December' 21. The construction on this project will start from the first week of January 2022.

The timeline of the 500 TPD Waste Processing Plant at Gorakhpur, is mentioned as below: -

S No.	Physical Progress	Proposed Timeline by when it shall be achieved
1	30%	15 th April' 22
2	50%	30 th June' 22
3	80%	30 th Oct' 22
4	90%	30 th Nov' 22
5	100%	31 st Dec' 22

M/S
11/12/21
GENERAL MANAGER(N-5)
C&DS, U.P. JAL NIGAM, LUCKNOW

Countersigned by

[Signature]
01/12/21
CHIEF GENERAL MANAGER(III)
C&DS, U.P. JAL NIGAM, LUCKNOW

कम्प्यूटर संख्या-1522007

संख्या- 171 /2021/8829/नौ-5-21-27सा/2021

प्रेषक,

अवधेश कुमार मिश्रा,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),
जनपद-लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 17 नवम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी जनपद-संतकबीरनगर के मगहर नगर पंचायत में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP-32 KLD) के निर्माण हेतु शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम, के पत्र संख्या-1317/नागर-2/033/-0304/2021, दिनांक 30.06.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी जनपद-संतकबीरनगर के मगहर नगर पंचायत में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP-32 KLD) के निर्माण हेतु ₹0 578.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में ₹0 72.36 लाख (₹0 बहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम तथा विशेष सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-5 के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जाएगा।
- (7) पी०एफ०ए०डी० द्वारा लगायी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकता अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (10) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

- (11) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (12) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (15) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (16) संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.07.2015 की शर्तें यथावत् रहेंगी।
- (17) प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/वी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-9-2019/दस-2021-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय


(अक्षय कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

संख्या- 171 /2021/8829/नी-5-21-27बजट/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त, बस्ती/जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (लखनऊ गोरखपुर), उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, संतकबीरनगर, उत्तर प्रदेश।
- 9- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
- 10- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु

आज्ञा से


(अक्षय कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कम्प्यूटर संख्या-1523644

संख्या- 178 /2021/11109/नी-5-21-111सा/2021

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),
जनपद-लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 26 नवम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, जनपद-संतकबीरनगर में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP-32 KLD) के निर्माण हेतु शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (पीपीआरबीडी), उ०प्र० जल निगम, के पत्र संख्या-415ए/1009/072-0001/रा०सै०/पीपीआरबीडी/21, दिनांक 16.10.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, जनपद-संतकबीरनगर में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP-32 KLD) के निर्माण हेतु रू० 578.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू० 72.36 लाख (रू० बहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम तथा विशेष सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-5 के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जाएगा।
- (7) पी०एफ०ए०डी० द्वारा लगायी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकता अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (10) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

- (11) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (12) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (15) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (16) संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.07.2015 की शर्तें यथावत् रहेंगी।
- (17) प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-9-2188/दस-2021-2022, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 26.11.2021

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 178 /2021/11109/नी-5-21-111सा/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त, बस्ती/जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, उत्तर प्रदेश।
- 9- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
- 10- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु

आज्ञा से

 26.11.2021

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,
निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
लखनऊ।

सेवा में,
सचिव,
नगर विकास अनुभाग-5,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

पत्रांक-4/16470/अ०नि०/एन०जी०टी०/2021

दिनांक: 26 नवम्बर, 2021

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन०जी०टी०) में विचाराधीन वाद ओ०ए० संख्या- 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर के प्रकरण में संबंधित निकायों के ड्रेनों का अन्तरिम उपचार बायोरेमेडिएशन की सूचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद खलीलाबाद (एक नाला), नगर पंचायत मगहर, (दो नाला) जनपद-संत कबीरनगर आमी नदी, नगर पंचायत बड़हलगंज, (दो नाला) जनपद-गोरखपुर घाघरा नदी, नगर पंचायत दौहरीघाट, (चार नाला) जनपद-मऊ घाघरा नदी, नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, (दो नाला) जनपद-देवरिया घाघरा नदी व नगर पंचायत इल्लिफातगंज, (एक नाला) जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा सरयू नदी में गिरने वाले नालों का अन्तरिम उपचार बायोरेमेडिएशन का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

कृपया आख्या सूचनार्थ/अवलोकनार्थ।

भवदीय,

(गंगाराम गुप्ता)
संयुक्त निदेशक



उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक:- 226/नागर-2/033-N.G.T./21

दिनांक : 25/11/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन।

विषय:- अपर मुख्य सचिव, महोदय नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर के विषयगत आहूत बैठक दिनांक 21.10.2021 के कार्यवृत्त एवं दिनांक 22.11.2021 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संशोधित अनुपालन आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक-42/प्र०नि०(कैम्प)/21 दिनांक 10 नवम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर के विषयगत आहूत बैठक दिनांक 21.10.2021 के कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। दिनांक 22.11.2021 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से संशोधित बिन्दुओं पर संशोधित अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

VSC(S)

1.11.21 पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।


प्रबन्ध निदेशक

अपर मुख्य सचिव महोदय नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के अध्यक्षता में ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर के विषयगत आहूत बैठक दिनांक 21.10.2021 के कार्यवृत्त एवं दिनांक 22.11.2021 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संशोधित अनुपालन आख्या।

क्र.स.	बिन्दु	आख्या
1	<p>आमी नदी :- आमी नदी के विषयगत उ०प्र० जल निगम द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर में उपरोक्त नदी में प्रवाहित होने वाले तीन नालों के विषयगत दो डी०पी०आर० (लागत रू० 28.36 करोड़ मगहर के दो नालों के लिए 15 वर्ष के ओ०एण्ड एम० सहित, रूपये 46.32 करोड़ खलीलाबाद नगर पालिका परिषद) स्टेट मिशन फार क्लीन गंगा के माध्यम से एन०एम०सी०जी० से वित्त पोषित होने के विषयगत आगणन प्रेषित है। इस विषय में अद्यतन स्वीकृति अप्राप्त है। इस विषय में जल शक्ति विभाग से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। नगर विकास विभाग में स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत मगहर नगर पंचायत हेतु 32 के०एल०डी० का एफ०एस०टी०पी० (लागत रू० 587.4 लाख) की स्वीकृति विचाराधीन है एवं खलीलाबाद नगर पालिका परिषद में भी 32 के०एल०डी० का एफ०एस०टी०पी० (लागत रू० 587.4 लाख) अधिष्ठापित किये जाने हेतु डी०पी०आर० नगर विकास विभाग को प्रेषित किया गया है। वित्त विभाग से दोनो परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति नगर विकास अनुभाग-5 द्वारा तत्काल निर्गत करायी जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● मगहर एवं खलीलाबाद की सेप्टेज मैनेजमेन्ट परियोजना के कार्यों हेतु निविदा अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, गोरखपुर की निविदा विज्ञप्ति संख्या 723/वि-15/251 दिनांक 11.11.2021 (दोनों कार्यों हेतु) द्वारा आमंत्रित की जा चुकी है। ● उक्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 13.12.2021 को खोली जानी प्रस्तावित है। ● तद् दिनांक तक परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश प्राप्त हो जाना सम्भावित है एवं तकनीकी बिड के मूल्यांकन, स्वीकृति एवं वित्तीय बिड खोले जाने की कार्यवाही पूर्ण कर प्रथम न्यूनतम निविदादाता को दिनांक 23.12.2021 तक स्वीकृति पत्र निर्गत करते हुये माह दिसम्बर, 2021 में कार्य प्रारम्भ करा दिया जाना प्रस्तावित है। ● कार्य प्रारम्भ होने के छः माह अर्थात माह जून, 2022 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है। ● समय सारणी निम्नानुसर है :- <ol style="list-style-type: none"> 1. निविदा आमंत्रण की तिथि 11.11.2021 2. तकनीकी बिड खोलने की तिथि 13.12.2021 3. वित्तीय बिड खोलने की तिथि 17.12.2021 4. अनुबन्ध एवं कार्य प्रारम्भ की तिथि 24.12.2021 5. कार्य समापन की तिथि 24.06.2022
2	<p>रामगढ़ ताल :- रामगढ़ ताल में 18 छोटी ड्रेन जो अनटेस्ट है उनकी विषयगत परियोजना पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व कार्य प्रगति पर है। 7 नालों को अमृत योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना गोरखपुर, सीवरेज योजना जोन, ए1 (दक्षिणी भाग) में टेप किया जाना जिसके लिए टाईप लाईन मार्च, 2022 बताई गयी है। अवशेष दूसरी परियोजनाओं जिसमें 11 नालों को टेप किया जाना है के विषयगत राज्य सेक्टर से स्वीकृति के क्रम में निविदा प्रक्रिया चल रही है। संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि उपरोक्त निविदा 30.10.2021 तक स्वीकृत कर ली जायेगी।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● परियोजना के सम्पादन में विलम्ब के कारण श्री रतन सेन, परियोजना प्रबन्धक, श्री पंकज कुमार, परियोजना अभियन्ता एवं श्री विकास दुबे, सहायक परियोजना अभियन्ता को कारण बताओं नोटिस निर्गत किये गये हैं। (प्रति संलग्न Encl-7) ● योजना का बार चार्ट संलग्न Encl-8 है। ● राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत "रामगढ़ ताल के उत्तरी छोर पैडलेगंज से आर०के०बी० के मारुति शोरूम तक इन्टरसेप्टिंग सीवर तथा समानान्तरण बन्धे का निर्माण" कार्य हेतु प्रथम बार आमंत्रित निविदा में मात्र दो निविदायें प्राप्त होने के कारण एवं द्वितीय बार आमंत्रित निविदा में तकनीकी अर्हता की शर्तें उचित न पाये जाने के कारण निविदा निरस्त हुयी। अतः इससे सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को चेतावनी निर्गत की गयी है। ● उक्त कार्य हेतु तृतीय बार आमंत्रित निविदा के

		<p>अनुक्रम में प्रथम न्यूनतम निविदा दाता मेसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्शन के साथ अनुबन्ध संख्या 01/एस0ई0 /2021-22 दिनांक 16.11.2021 गठित कर लिया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुबन्धान्तर्गत फर्म को कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 18.11.2021 प्रदान करते हुये अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, गोरखपुर के पत्र संख्या-726/वि0-15/154 दिनांक 16.11.2021 द्वारा अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। • अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य समापन की तिथि 17.05.2023 (Including 3 Month trial run period) निर्धारित की गई है। • रामगढ़ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्य कराने से पूर्व वर्ष 2008 में रामगढ़ताल के जल की BOD अधिकतम 108 mg/litre थी जो कार्यों के संपादन के उपरांत MNNIT एवं IIT BHU द्वारा की गई Water Quality Monitoring Report (Encl.1) के अनुसार वर्ष 2017-18 में घट कर 11 mg/litre हो गई। इस प्रकार जल की गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित होता है। • रामगढ़ताल के जल में Dissolved Qxygen की मात्रा को बढ़ाने हेतु मार्च 2019 में Cascade Fountain के अधिष्ठापन के उपरांत जल की गुणवत्ता में अग्रेतर सुधार परिलक्षित होता है। • माह जनवरी 2019 से अक्टूबर 2021 तक UPPCB द्वारा कराए गए परीक्षण की आख्या (Encl. 2) के अनुसार रामगढ़ताल के जल की गुणवत्ता मानक के अनुसार है। • रामगढ़ताल के जल की गुणवत्ता हेतु माह नवम्बर में कराए गए परीक्षण की आख्या प्रतीक्षित है। • उपरोक्त वर्णित योजनाओं गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-1 तथा रामगढ़ताल के उत्तरी छोर पैडलेगंज से आर0के0बी0 के मारुति शोरूम तक इन्टरसप्टिंग सीवर के क्रियान्वयन के उपरान्त रामगढ़ताल के जल की गुणवत्ता में और भी सुधार होगा।
3	<p><u>घाघरा नदी :-</u> उक्त नदी के विषयगत बढहलगंज नगर पंचायत, गोरखपुर, दोहरीघाट नगर पंचायत, मऊ, गौराबरहज नगर पालिका परिषद, देवरिया में जो नाले उक्त नदी में प्रवाहित होते हैं उनके विषयगत तथा अन्य स्थलों पर एस0टी0पी0 बनाये जाने के विषयगत पी0एफ0आर0 जल निगम द्वारा एस0एम0 सी0जी0 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त विषयगत एस0एम0सी0जी0 के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।</p>	<p>दिनांक 23.11.2021 को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के साथ हुए विचार विमर्श के अन्तर्गत जनपद देवरिया के रविदास घाट नाला, सब्जी मण्डी घाट नाला से सम्बन्धित कार्य SBM 2.0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अन्तर्गत कराया जायेगा, तथा जनपद गोरखपुर एवं मऊ के अन्तर्गत आने वाले अन्य नालों का कार्य NMCG के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराया जायेगा।</p>

4	<p><u>राप्ती नदी</u> :- उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि राप्ती एवं उसकी सहायक रोहणी नदी में कुल 15 नाले में से 09 बड़े नाले राप्ती में गिरते हैं। उक्त 09 नाले में से 8 नालों के टैपिंग एवं शोधन करने हेतु डी०पी०आर० तथा शेष 01 नाले का पी०एफ०आर० एन०एम०सी०जी० को भेजा गया है। उक्त विषयगत एस०एम० सी०जी० के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।</p>	<p>गोरखपुर एवं रामगढ़ताल के पर्यावरणीय सुधार हेतु वर्ष 2014 के उपरांत गोरखपुर नगर हेतु शुद्ध पेयजल एवं सीवरेज के मद में स्वीकृत एवं पूर्ण की गई योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण सहित विस्तृत आख्या Encl.4 के रूप में संलग्न की जा रही है। दिनांक 23.11.2021 को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के साथ हुए विचार विमर्श के अन्तर्गत Kataniya/Mahewa नाले का कार्य अमृत 2.0 के अन्तर्गत उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा कराया जायेगा।</p>
5	<p><u>सरयू नदी</u> :- अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में सरयू नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग हेतु किये गये प्रयास, प्रचलित परियोजनायें तथा पेयजल एवं सीवरेज मद में स्वीकृत की गयी नवीन परियोजनाओं के विषयगत जल निगम द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध करा दी जाये। नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त कैट क्षेत्र का एक नाला (1.5 एम०एल०डी०) के विषयगत अभी कोई परियोजना नीरूपित नहीं है। उपरोक्त विषयगत हेतु कार्यवाही किये जाने के लिए एन०एम०सी०जी० द्वारा विचार किया जाये।</p>	<p>अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में सरयू नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग हेतु किये गए प्रयास, प्रचलित परियोजनाएं तथा पेयजल एवं सीवरेज मद में स्वीकृत की गई नवीन परियोजनाओं के विषयगत आख्या Encl.5 के रूप में संलग्न की जा रही है। दिनांक 23.11.2021 को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के साथ हुए विचार विमर्श के अन्तर्गत कैट क्षेत्र का निर्मलीकुण्ड नाले का कार्य अमृत 2.0 के अन्तर्गत इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि अयोध्या कैन्ट द्वारा निकायांश का वहन किया जाये।</p>
6	<p><u>वाद सं० ओ०ए० 116/2014 में अंतर्निहित निकायों की योजनाओं हेतु कार्य योजना</u></p>	<p>यथावांछित कार्य योजना Encl.6 के रूप में संलग्न की जा रही है।</p>


 (अनिल कुमार)
 प्रबन्ध निदेशक

Encl.-1

After the execution of major components (Interception, diversion & treatment, Dewatering and Desilting) of the project there is sufficient improvement in water quality as under :

Parameters	Quality of surface water for specified use as per G.O.I. Manual		WQM conducted in June 2008 i.e. before project implementation				WQM conducted from Sep 2016 to Aug 2017 i.e. during project implementation			
	Propagation of wild life and fisheries	Irrigation	Top		Bottom		Top		Bottom	
	Limits	Limits	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
pH	6.5-8.5	6.5-8.5	7.5	10.28	6.9	9.86	7.05	9.98	7.56	9.68
D.C. (mg/l)	4 or more	-	5.87	12.6	1.1	8.9	4.2	10.8	3.6	9.2
B.O.D. (mg/l)			20	80	36	108	2.25	10.5	2.4	11.3

Water Quality Monitoring (WQM) Conducted by IIT, BHU & MNIT, Allahabad.



Regional Office
U. P. Pollution Control Board
Kunraghat, Gorakhpur
Water quality of Ramgarh Lake near Circuit House in District- Gorakhpur, from January 2019 to October 2021.

S. No	Name of the Lake with location of sampling point	Sample Collected by	Date of Sample Collection	P A R A M E T E R S							
				PH	Conductance ($\mu\text{mhoscm.}^{-1}$)	D. O.	B. O. D. (3 days at 27° C)	C.O.D	Chlorides	Hardness (as CaCO ₃)	I.D.S.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri K.K. Singh, M.A.	07-01-2019	7.82	446	9.0	4.6	22	32	262	312
2	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri K.K. Singh, M.A.	05-02-2019	7.86	442	9.4	4.4	22	34	264	314
3	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri K.K. Singh, M.A.	05-03-2019	7.45	443	8.5	4.6	24	34	260	312
4	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri K.K. Singh, M.A.	05-04-2019	7.48	446	8.5	5.0	24	36	260	314
5	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri K.K. Singh, M.A.	06-05-2019	7.82	444	8.5	5.0	24	38	262	318
6	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri K.K. Singh, M.A.	06-06-2019	7.88	448	8.8	4.6	24	36	268	320
7	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri K.K. Singh, M.A.	06-07-2019	7.82	448	8.8	4.6	24	36	268	320
8	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri K.K. Singh, M.A.	05.08.2019	7.62	450	8.7	4.8	26	38	268	320
9	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	05.09.2019	8.01	454	8.8	5.2	30	42	272	326
10	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	05.10.2019	7.06	456	8.8	5.4	32	42	274	326
11	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	04.11.2019	8.06	442	9.0	5.4	32	42	276	322
12	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	04.12.2019	8.26	438	9.6	4.2	26	38	266	312
13	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Dr. R.K. Singh, L.A.	06.01.2020	8.28	442	9.4	4.4	28	38	268	316
14	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Dr. R.K. Singh, L.A.	06.02.2020	8.28	452	9.1	5.0	30	52	274	316
15	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	04.03.2020	8.26	454	9.0	5.2	32	52	274	316
16	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	04.04.2020	8.28	456	9.0	5.4	34	52	274	316

17	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	02.05.2020	8.20	466	8.8	5.6	36	52	274	316
18	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	02.06.2020	8.16	470	8.4	5.8	48	66	278	318
19	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	02.07.2020	8.22	462	8.6	5.4	40	62	264	314
20	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	05.08.2020	8.24	460	8.4	5.6	44	64	268	316
21	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	03.09.2020	8.22	468	8.2	5.8	48	66	270	318
22	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	03.10.2020	8.20	472	8.0	6.2	52	68	278	324
23	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. R.M. Verma, S.A.	04.11.2020	8.22	470	8.2	6.4	56	70	276	328
24	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, M.A.	21.12.2020	8.24	478	8.0	6.6	58	72	278	328
25	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, M.A.	22.01.2021	8.26	506	8.2	6.4	62	74	276	328
26	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, M.A.	23.02.2021	8.28	516	8.4	6.2	56	70	272	320
27	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, M.A.	15.03.2021	8.24	522	8.2	6.4	58	72	274	322
28	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, M.A.	16.04.2021	8.10	539	7.8	6.8	70	76	300	332
29	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, M.A.	12.05.2021	8.12	520	8.0	6.8	68	72	306	330
30	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, S.A.	12.06.2021	8.52	512	8.2	6.4	62	70	302	322
31	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, S.A.	13.07.2021	8.58	510	8.8	6.2	58	66	300	320
32	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, S.A.	17.08.2021	8.62	518	8.6	6.4	60	68	306	328
33	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, S.A.	14.09.2021	8.68	516	8.8	6.2	58	66	305	320
34	Ramgarh Lake near Circuit House, Gorakhpur	Sri. Ayodhya Prasad, S.A.	21.10.2021	8.70	518	8.6	6.4	60	68	308	324

Note :- All the parameters except p^H are expressed in mg/l unless or otherwise stated.

—sd—
L.A/ M.A.

—sd—
Regional Officer

जनपद गोरखपुर में वर्ष 2014 के उपरांत पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं का विवरण

(अ): शुद्ध पेयजल हेतु योजनाएँ—

1. जे.एन.एन.आर.एम. के यू.आई.डी.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अंतर्गत रू0 5132.51 लाख की योजना स्वीकृत की गई थी जिसमें 22 नलकूप, 22 पम्पिंग प्लाण्ट, 22 पावर कनेक्शन, 22 पम्पहाउस, 8 ओ.एच.टी. 14.93 राइजिंग मेन, 307.69 किमी. पाइप लाइन एवं तत्सम्बन्धित कार्य प्रस्तावित किये गये थे। योजना पर 4875.88 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित कार्यो को पूर्ण कर नगर निगम को अक्टूबर 2021 में हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।
2. अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखपुर पेय जल हाउस कनेक्शन योजना स्वीकृत लागत रू0. 312.55 लाख स्वीकृत की गई जिसके अंतर्गत 7579 नग हाउस कनेक्शन का प्रविधान किया गया था योजना पर 269.71 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। योजना में प्रस्तावित कार्यो को पूर्ण कर नगर निगम को सितंबर 2019 हस्तान्तरित की जा चुकी है।
3. अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखपुर पेयजल वाड 'वाइस पाइप लाइन विस्तार एवं हाउस कनेक्शन योजना स्वीकृत लागत रू0. 5056 लाख स्वीकृत की गई जिसके जिसमें चार जोनो में 11 नलकूप, 11 पम्पिंग प्लाण्ट, 11 पावर कनेक्शन, 11 पम्पहाउस, 4 ओ.एच.टी., 2.82 किमी. राइजिंग मेन, 173.55 किमी. पाइप लाइन, 28510 हाउस कनेक्शन एवं तत्सम्बन्धित कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान तक 11 नलकूप, 10 पम्पिंग प्लाण्ट, 4 पावर कनेक्शन, 11 पम्पहाउस, 3 ओ.एच.टी शत प्रतिशत एवं एक 90 प्रतिशत, 1.24 किमी. राइजिंग मेन, 210.07 किमी. पाइप लाइन, 30540 हाउस कनेक्शन पूर्ण कर एक जोन में जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गई हैं। शेष कार्य माह दिसम्बर 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(ब): सीवरेज योजनाएँ—

1. गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-1 उत्तरी भाग (अपर पार्ट)— अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-1 उत्तरी भाग (अपर पार्ट स्वीकृत लागत रू0 136.28 करोड़ की स्वीकृत की गई है जिसके अंतर्गत 68.27 किमी. सीवर लाइन, 9285 सीवर कनेक्शन एवं 4645 सीवर कनेक्टिंग चैम्बर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 62.50 किमी. सीवर लाइन, 3010 सीवर कनेक्टिंग चैम्बर बनाये जा चुके हैं। शेष का कार्य पगति पर है जिसे माह दिसम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
2. गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-1 उत्तरी भाग (अपर पार्ट)— अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-1 दक्षिणी भाग (लोअर पार्ट स्वीकृत लागत रू0 192.02 करोड़ की स्वीकृत की गई है जिसके अंतर्गत 140.79 किमी. सीवर लाइन, 14560 सीवर कनेक्शन एवं 7280 सीवर कनेक्टिंग चैम्बर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 86 किमी. सीवर लाइन, 50400 सीवर कनेक्टिंग चैम्बर बनाये जा चुके हैं। शेष का कार्य पगति पर है जिसे माह मार्च 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजना में 5एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 का कार्य निर्माणाधीन है जिसे अक्टूबर 22 तक पूर्ण किया जाना लक्षित हैं।

Kumar

अधीक्षण अभियन्ता
सप्तदश मण्डल,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
गोरखपुर

मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेशों की अनुपालन आख्या -

1- Status of Drains falling in Ramgarh Taal

Details of 6 major drains falling in Ramgarh Taal

S.N	Name of Drains	Average Discharge (in MLD)	Intercepted & being treated	STP Capacity (in MLD)	Comments
1	Gordhaiya Nala	15.00	Yes	15.00	All 6 major drains, having discharge 37 MLD earlier falling directly in Ramgarh Taal have been intercepted, diverted and are being treated at 2 Nos STPs (15 MLD and 30 MLD capacity) since Feb 2015 & June 2015 by U.P. Jal Nigam.
2	Kudaghat Nala				
3	Mohaddipur Power House Nala				
4	Rafi Ahmad kidwai school Nala				
5	Golf Ground Nala	22.00	Yes	30.00	
6	Paidleyganj Nala				

Details of 7 minor drains falling in Ramgarh Taal from its Eastern Side

S. N	Name of Drains	Avg Discharge (in MLD)	Comments	Interim measures
1	Girdharganj Nala (Yadav Tola No-1)	0.276	I & D work of 7 minor drains (having total discharge of 5.463 MLD) is ongoing under "Gorakhpur sewerage Scheme, Zone A-1 Southern Part" under AMRUT. At present, the progress is 65%. Since the water level in Ramgarh Taal is high at about RL 73.75 and the sewer line to be laid is at RL from 71.461 to 67.768 hence, the tapping of these drains will be completed by March-2022. (Action is being taken by U.P. Jal Nigam for sl. no. 1 to sl. no.6)	However as an interim measure Nagar Nigam, Gorakhpur has invited bid vide its NIT dt. 08.10.2020 for bio-remediation / phyto-remediation of these drains. Work has been allotted to M/s Mapple Orgitech (India) Ltd, Kolkata and the work is being carried out at site. Bio Remediation process is being done since 27-12-2020. Due to heavy rain Bio-Remediation works has been stopped, which will start by the end of this month..
2	Girdharganj Nala (Yadav Tola No-2)	0.996		
3	Avas Vikas Kaccha Nala	0.201		
4	Vishunpurwa Nala	1.032		
5	Sighariya-Maherwa ki Bari (Near 15 MLD STP)	2.208		
6	Navalpurwa Nala (Near Jalpai Mai Mandir)	0.104		
7	Sahara Estate Nala	0.646	Sahara estate Nala is being treated in STP of 350 KLD by the society itself since February 2021 as per letter written to UPPCB by the society.	
	Total	5.463		

Details of 11 minor drains falling in Ramgarhtal from its Northern Side

S. N	Name of Drains	Average Discharge (in MLD)	Comments	Interim measures
1	Nala Near Smart wheel's Pvt Ltd, Mohaddipur	0.171	I & D of the remaining 11 minor drains (having total discharge 1.357 MLD) is proposed under the project "Construction of earthen bund and intercepting sewer line at Northern side of Ramgarhtal from Paidleyganj to R.K.B.K, Maruti Show Room". The project has been sanctioned by GoUP on 30.03.2021. 3rd time tender had been invited vide NIT dt 23.09.2021(As minimum required qualified bid not received in previous bidding process). Technical bid opened on 11.10.2021. Financial bid has been opened on 03-11-2021. After finalization of bid Date of start of work is 18.11.2021. Proposed time line of completing the work is May, 2023. Discharge of above 11 drains will be treated at 30 MLD existing STP. (Action is being taken by U.P. Jal Nigam)	However as an interim measure Nagar Nigam, Gorakhpur has invited bid vide its NIT dt. 08.10.2020 for bio-remediation of these drains. Work has been allotted to M/s Mapple Orgitech (India) Ltd, Kolkata. The work is being carried out at site. Due to rainy season work was stopped which is now being restarted. (Action is being taken by Nagar Nigam Gorakhpur)
2	Shri Rampuram colony drain	0.118		
3	Shri Rampuram colony drain -1	0.029		
4	Shri Rampuram colony drain -2	0.031		
5	Shri Rampuram (3) colony drain	0.009		
6	Shri Rampuram colony drain near H.No. 850	0.131		
7	Shri Krishnapuram Nala	0.123		
8	Suraj Nagar / Ramnagar colony drain	0.124		
9	Satya Marg Nala (Near H.No. 112)	0.383		
10	Parha Tola drain near Ishrawati Devi	0.199		
11	Parha Tola drain (Prabhu Dayal Agrawal)	0.039		
	Total	1.357		

उपरोक्त जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त 11 नालों के इण्टरसेप्शन हेतु स्वीकृत योजना की निविदा प्रथम बार दिनांक 06.04.2021 को आमंत्रित की गई, परन्तु मात्र 02 अर्ह निविदा प्राप्त होने के कारण सक्षम स्तर से निविदा को निरस्त कर पुनः अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय बार निविदा दिनांक 13.07.2021 को आमंत्रित की गई, जिसमें कोई भी अर्ह निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः निविदा समिति द्वारा निविदा निरस्त कर तीसरी बार अर्हता प्राविधान में संशोधन कर दिनांक 23.09.2021 को पुनः निविदा आमंत्रित की गई, जिसकी वित्तीय निविदा दिनांक 03.11.2021 को खोली गई एवं अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 18.11.2021 प्रदत्त है, कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् उक्त नालियों को इण्टरसेप्ट कर 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर शोधित किया जायेगा जिससे रामगढ़ताल के जल गुणवत्ता में और सुधार होगा।

सामगढताल के जल गुणवत्ता में सुधार हेतु कराये गये अन्य विविध कार्य :-

उपरोक्तानुसार 15 एम.एल.डी. व 30 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. के तत्संबधी कार्य भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत "सामगढताल के प्रदूषण नियंत्रण व संरक्षण" योजनान्तर्गत वर्ष 2015 तक 30प्र0 जल निगम द्वारा कराये गये।

SEWAGE TREATMENT PLANT (15 & 30 MLD)




15 MLD STP



15 MLD STP



30 MLD STP




30 MLD STP


उक्त योजनान्तर्गत ही उ०प्र० जल निगम द्वारा रामगढ़ताल के लगभग ०२ तिमाही हिस्से में फैले समस्त जलकुम्भी की निकासी माह जनवरी, २०१५ तक सम्पन्न कराने के पश्चात माह फरवरी, २०१५ से माह अक्टूबर, २०२० तक संचालन एवं रख-रखाव मद में जलकुम्भी निकासी का कार्य सतत रूप से कराया जाता रहा जो वर्तमान में गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा कराया जा रहा है।

DEWEEDING (BEFORE & AFTER)

BEFORE




During Execution



WEED
HARVESTER

AFTER




AFTER



मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य के अन्तर्गत नालों की टैपिंग/सीवरेज व्यवस्था हेतु कराये गये/निर्माणाधीन एवं स्वीकृत कार्यों का विवरण:-

- नगर निगम अयोध्या को भौगोलिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से तीन भागों नामतः अयोध्या कैण्ट (डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-1 एवं डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-2), अयोध्या धाम (डिस्ट्रिक्ट-2) एवं नगर निगम अयोध्या में एनएच-27 के दक्षिणी भाग का सम्पूर्ण क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट-3) में विभाजित किया गया है।
- नगर निगम अयोध्या की वर्ष-2011 की कुल जनसंख्या (विस्तारीकरण उपरान्त नगर क्षेत्र में सम्मिलित 41 ग्रामों की जनसंख्या सहित) 329232 तथा वर्तमान की कुल जनसंख्या 463706 एवं 80000 हाउसहोल्ड हैं। नगर निगम अयोध्या में कुल रोड की लम्बाई 972.00 किमी0 है।

INDEX PLAN OF NAGAR NIGAM AYODHYA SEWERAGE



नाला टैपिंग हेतु किये गये प्रयास:-

- नगर निगम अयोध्या में वर्तमान की कुल जनसंख्या के आधार पर 50.08 एम0एल0डी0 सीवेज का उत्पादन होता है जिसमें से नगर निगम क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट-1 (पार्ट-1 एवं पार्ट-2) तथा डिस्ट्रिक्ट-2 से कुल 21 नालों के माध्यम से से 29 एम0एल0डी0 का जल मल सरयू नदी में प्रवाहित होता है। डिस्ट्रिक्ट-3 क्षेत्र से जनित सीवेज की लोकल पाइपिंग होने के कारण कोई भी नाला सरयू नदी में प्रवाहित नहीं होता है। उक्त 21 नालों में से 5 नालों को नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत "अयोध्या इण्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन योजना" लागत रु. 37.67 करोड़ से टैप कर 12 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर ले जाकर शोधित किया जा रहा है जिसके माध्यम से अयोध्या धाम से सरयू नदी में गिर रहे गन्दे जल-मल को शोधित करने के उपरान्त सरयू नदी के डाउनस्ट्रीम में गिराया जा रहा है। अवशेष 15 नालों के टैपिंग हेतु एन0एम0सी0जी0 भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक संख्या-Pr-17012/1/ 2020-TECH CONSTRUCTION NMCG dt. 06/05/21 द्वारा रु. 221.66 करोड़ की योजना स्वीकृत है। निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। दिनांक 08.11.2021 को

तकनीकी बिड खोली गई है। योजना के कार्यों को अगस्त-2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

सीवरेज व्यवस्था हेतु किये गये प्रयास:-

- नगर निगम अयोध्या के अयोध्या धाम क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट-2 में 92.00 किमी० सीवर लाइन, 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं 10553 नग सीवर गृह संयोजन के कार्य कराये जा चुके हैं तथा अवशेष 4.00 किमी० सीवर लाइन का कार्य एवं 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में अतिरिक्त 6 एम०एल०डी० एस०टी०पी० की क्षमता विस्तार का कार्य प्रगति पर है जिसे क्रमशः नवम्बर-2021 एवं अगस्त-2022 तक पूर्ण करने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट-2 के अन्तर्गत जनित कुल सीवेज को शोधित किया जायेगा।
- डिस्ट्रिक्ट-1 में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 133.54 किमी० सीवर लाइन तथा 20000 नग सीवर गृह संयोजन के कार्य निर्माणाधीन हैं। अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन सीवरेज योजना के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट-1 के पार्ट-1 में सम्मिलित क्षेत्रों को सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित किया जायेगा जिसके समस्त कार्य अगस्त-2023 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- इसके अतिरिक्त नगर निगम अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट-1 के पार्ट-2 एवं डिस्ट्रिक्ट-3 क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों (आवश्यकतानुसार जहां पर सीवर लाइन डाला जाना सम्भव नहीं है) में घरों में निर्मित सेप्टिक टैंक में अत्यधिक दूषित घरेलू मल (जो कि पूर्व में नालों में गिराया जाता था) के शोधन हेतु 32 के०एल०डी० क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा प्लान्ट की कमीशनिंग प्रगति पर है जिसे नवम्बर-2021 तक कमीशन कर योजना से उपरोक्त वर्णित अवशेष क्षेत्रों को पूर्ण रूप से सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने की अवधि तक आच्छादित किया जायेगा।


(एस०के० सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

Encl-6

PROPOSED ACTION PLAN FOR COMPLIANCE OF ORDERS ISSUED BY HON'BLE NGT IN OA 166/2014

S No	Name of Work	Name of Drain	Description of Work Component	Funding	Approx Cost (Rs in Cr)	ULB Share required	Timelines (months)			Work Completion	Remark	
							DPR Prep.	DPR approval /GO	Tender process			Work Start
(A)	RAMGARHTAL AT GORAKHPUR											
	6 drains already tapped, for rest 18 work in progress. No new proposal is required.											
(B)	RAPTI RIVER AT GORAKHPUR											
1	Pollution Abatement of Rapti River by I&D of 9 drains falling from Sewerage Zone B of Gorakhpur.		a) 8 No. I&D b) 1 No STP (44 mld approx) with MPS c) Conveyance main	Namami Gange	271.00 -		Mar 2022	Apr/ May 2022	June/ Aug 2022	Sept. 2022	Sept. 2024	It is in the priority list of work proposed under NMCG. The cost includes 15 years O&M
		1. Domingath 2. Bahurampur 3. Illahibagh 4. Mirzapur 5. Ghasiyari 6. Basantpur Narkatiya 7. Hansapur 8. Transport Nagar 9. Katamiya / Mahewa	a) 1 No. I&D b) 1 No STP (10 mld approx) c) 1 No. SPS, other appurtenant works	Amrut 2	85.00	17.00	Mar 2022	July / Aug 2022	Sept. 2022	Oct. 2022	Sept. 2024	
(C)	ROHINI RIVER AT GORAKHPUR											
1	Pollution Abatement of Rohini River from drains falling from Sewerage Zone C of Gorakhpur.		a) 1 No STP (30 mld approx) b) 2 Nos. IPS with Rising main c) Sewer network 100 Km. with 28000 sewer house connections.	Amrut 2	300.00	60.00	Mar 2022	July / Aug 2022	Sept. 2022	Oct. 2022	Mar. 2024	
		1. Green City Phase-II 2. Bargadwa Gao Jalan 3. Matiesra Mohripur			0.00	0.00						
					385.00	77.00						
					271.00	0.00						
	TOTAL GORAKHPUR CITY											
(D)	GHAGHRA RIVER AT BARHALGANJ DSTT GORAKHPUR											
1	Pollution Abatement of Ghaghra River by I&D of 4 drains falling from Barhalganj Nagar Panchayat Area.		a) 4 No. I&D b) 1 No STP (6 mld approx) c) Other appurtenant works	Namami Gange	76.22 -		Mar 2022	Apr/ May 2022	June/ Aug 2022	Sept. 2022	Sept. 2024	It is in the priority list of work proposed under NMCG. The cost includes 15 years O&M
		1. Kanoonghat 2. Kanoonghat & tarkuighat 3. Tarkuighat drain 4. Badhanpura muktipath										
(E)	GHAGHRA RIVER AT GAURA BARHAJ DSTT DEORIA											
1	Pollution Abatement of Ghaghra River by I&D of 11 drains falling from Gaura Barhaj NPP Area.		a) 11 No. I&D b) 1 No. STP (6 mld approx) c) Other appurtenant works	SBM 2	58.00	5.80	Mar 2022	July / Aug 2022	Sept. 2022	Oct. 2022	Sept. 2024	Project for construction of 32 KLD FSTP (under State Sector) is in process of sanction and tendering process started. Time line is for FSTP project. If it is not sufficient, project for I&D & STP shall be proposed under Namami Gange
		Ravidas ghat nala Sabji mandi nala										
(F)	AMI RIVER AT KHALILABAD DSTT SANT KABIR NAGAR											
1	Pollution Abatement of Ami River by I&D of 1 drain falling from Khalilabad NPP Area.			State Sector	5.78 -				Dec. 2021	Dec. 2021	June 2022	Project for construction of 32 KLD FSTP (under State Sector) is in process of sanction and tendering process started. Time line is for FSTP project. If it is not sufficient, project for I&D & STP shall be proposed under Namami Gange.
		1. Sarahi Nala										
(G)	AMI RIVER AT MAGHAR DSTT SANT KABIR NAGAR											
1	Pollution Abatement of Ami River by I&D of 2 drain falling from Maghar Nagar Panchayat Area.			State Sector	5.78 -				Dec. 2021	Dec. 2021	June 2022	Project for construction of 32 KLD FSTP (under State Sector) is in process of sanction and tendering process started. Time line is for FSTP project. If it is not sufficient, project for I&D & STP shall be proposed under Namami Gange.
		1. Nala Near Kabir Chauraha 2. Nala Near Rai Bridge										

(Handwritten signatures and initials)

S No	Name of Work	Name of Drain	Description of Work Component	Funding	Approx Cost (Rs in Cr)	ULB Share required	Timelines (months)				Work Start	Work Completion	Remark
							DPR Prep.	DPR approval /GO	Tender process	Work Start			
(B) GOMTI RIVER AT LUCKNOW													
1	Pollution Abatement of River Gomti in Lucknow (Phase 2)	1 Ghalla 2 Faizullaganj U/S 3. Faizullaganj D/S	a) 3 No. I&D b) 1 No STP at Ghalla (22 mld approx) & 1No STP at Bijnore(80mld) c) Diversion of Loniapurva SPS and Maheshganj drain	Namami Gange	557.74 -		Mar 2022	Apr/ May 2022	Jun/ Sep2022	Oct 2022	Sept 2024	It is in the priority list of work proposed under NMCG.The cost includes 15 years O&M	
2	Pollution Abatement of River Gomti in Lucknow (Phase 3)	1. Sahara 2. Gomti Nagar 3. Gomti Nagar Extension	a) 3 No. I&D b) 1 No STP at Bharwara (85 mld approx) c) replacement of pumps of 7 no.'s overflowing drain	Namami Gange	402.63 -		Mar 2022	Apr/ May 2022	Jun/ Sep2022	Oct 2022	Oct 2024	It is in the priority list of work proposed under NMCG.The cost includes 15 years O&M	
	TOTAL LUCKNOW CITY			SBM 2.0 Amrut 2 Namami Gange	0.00 0.00 960.37	0.00 0.00 0.00							
(D) SARYU RIVER AT AYODHYA													
1	Pollution Abatement of River Saryu in Faizabad Cantt	1. Nirmalikund Drain	a) 1 No. I&D b) 1 No STP at Cantt (3 mld approx) c) 1 No MPS	Amrut 2	14.00	2.80	Mar 2022	July/ Aug 2022	Sept. 2022	Oct. 2022	Jan. 2024	It's not in priority list of proposed works under NMCG. The implementation of scheme will depend on sanction/acceptance of providing ULB	
(J) GHAGHRA RIVER AT AMBEDKAR NAGAR DISTRICT													
1	Pollution Abatement of Ghaghra River in Tanda Town of Dstt. Ambedkar Nagar.	1. Azra Nala 2. Ghasiyari Tola 3.Gola Ghat 4. Macoirawa 5. Mishra Ji boundry wall Drain 6. Primary School 7. State Bank Drain 8. Chintora Drain	a) 8 No. I&D b) 1 No STP (15 mld approx) c) 1 No MPS d) Conveyance main / Rising main	Namami Gange	244.67 -		Mar 2022	Apr/ May 2022	Jun/Sep 2022	Oct. 2022	Sep 2024	It is in the priority list of work proposed under NMCG.The cost includes 15 years O&M	
2	Pollution Abatement of Ghaghra River in Itifaiganj Town of Dstt. Ambedkar Nagar.	1. Azadnagar Drain	a) 1 No. I&D b) 1 No STP (2 mld approx) c) 1 No MPS & Rising Main	SBM 2 SBM 2.0 Amrut 2.0 Namami Gange	13.65 13.65 14.00 244.67	1.37 2.80 0.00	Mar 2022	July/ Aug 2022	Sept. 2022	Oct. 2022	Jan. 2024		
	TOTAL AYODHYA & DSTT. AMBEDKARNAGAR												
(L) GHAGHRA RIVER AT DOHRIGHAT IN MAU DISTRICT													
1	Pollution Abatement of Ghaghra River in Dohrihat Town of Dstt. Mau Nath Bhanjan.	1. Khatik Tola 2. Mallahan Tola 3. Tiwari Tola 4. Nawapura Ahrauti	a) 4 No. I&D b) 1 No STP (2.5 mld approx) c) Conveyance main & appurtenant works	Namami Gange	38.00		Mar-22	Apr/ May 2022	Jun/Aug 2022	Sept. 2022	Sep 2024	It is in the priority list of work proposed under NMCG.The cost includes 15 years O&M	
	GRAND TOTAL			SBM 2.0 Amrut 2 Namami Gange	71.65 399.00 1514.04	7.17 79.80							

Dugam
CE (Ganga)

CE (Gramin)

CE (Ilko)

CE (Nagar)

EE (Nagar)



प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक- 875 / 007-2021-01-0074 (ल0क्षे0)

दिनांक: 20/11/2021

श्री रतनसेन सिंह,
परियोजना प्रबन्धक
निर्माण इकाई,
उ0प्र0 जल निगम(नगरीय),
गोरखपुर।

कारण बताओ नोटिस

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल हेतु गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट, जिसकी लागत रु0 166.85 करोड़ है, उसको माह दिसम्बर-2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। योजना के लक्ष्य की प्रगति असन्तोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप परियोजना का क्रियान्वयन माह मार्च-2022 तक किया जाना निर्धारित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब किया गया, जिससे शासन के सम्बन्ध विभाग की छवि घूमिल हुई है।

आप द्वारा की गयी उपर्युक्त कार्यवाही दायित्वों का अनुपालन न करने, अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने, रामगढ़ताल गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न कराने, विभागीय कार्यों के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरतने का द्योतक है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के सात कार्य दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो प्रकरण में उपलब्ध सुरागत अभिलेखों/साक्ष्यों के अधीन निर्णय लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
20/11/21

11	परिपत्र	
12	क्लॉरिनेटिंग प्लान्ट	
13	स्क्राडा आटोमेशन	1
14		



प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक- 873 /007-2021-01-071(ल0शे0)

गोपनीय
दिनांक: 20/11/2021

श्री पंकज कुमार
परियोजना अभियंता/सहायक अभियंता
निर्माण इकाई,
उ0प्र0 जल निगम(नगरीय),
गोरखपुर।

कारण बताओ नोटिस

जनपद गोरखपुर के रामगढताल हेतु गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट, जिसकी लागत रु0 166.85 करोड़ है, उसको माह दिसम्बर-2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। योजना के लक्ष्य की प्रगति असन्तोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप परियोजना का क्रियान्वयन माह मार्च-2022 तक किया जान निर्धारित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब किया गया, जिससे शासन व समस्त विभाग की छवि धूमिल हुई है।

आप द्वारा की गयी उपर्युक्त कार्यवाही दायित्वों का अनुपालन न करने, अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने, रामगढताल गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने, विभागीय कार्यों के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरतने का द्योतक है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के सात कार्य दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो प्रकरण में उपलब्ध सुसंग अभिलेखों/साक्ष्यों के अधीन निर्णय लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(नवीन गुप्ता)

मुख्य अभियंता (अ-2-1)

20/11/21

10	बाउन्डी बाल
11	पम्पिंग प्लान्ट
12	क्लोरोमेट्रिंग प्लान्ट



प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

गोपनीय

पत्रांक- ०७४ / 007-2021-01-007/(ल०क्ष०)

दिनांक: 20/11/2021

श्री विकास दुबे
सहायक परियोजना अभियंता/जूनियर इंजीनियर
निर्माण इकाई,
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),
गोरखपुर।

कारण बताओ नोटिस

जनपद गोरखपुर के रामगढताल हेतु गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट, जिसकी लागत रु० 166.85 करोड़ है, उसको माह दिसम्बर-2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। योजना के लक्ष्य की प्रगति असन्तोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप परियोजना का क्रियान्वयन माह मार्च-2022 तक किया जाना निर्धारित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब किया गया, जिससे शासन व समस्त विभाग की छवि धूमिल हुई है।

आप द्वारा की गयी उपर्युक्त कार्यवाही दायित्वों का अनुपालन न करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों व अनुपालन न करने, रामगढताल गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट के कार्य निर्धारित समयवर्ष में पूर्ण न कराने, विभागीय कार्यों के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरतने का द्योतक है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के सात कार्य दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो प्रकरण में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों के अधीन निर्णय लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(नवीन गुप्ता)

मुख्य अभियंता (अ-2-2)


20/11/2021

20

**BAR CHART FOR THE WORK OF
"CONSTRUCTION OF INTERCEPTING SEWER LINE AND PARALLEL EARTHEN BUND FROM PAIDLEYGANJ TO RKBK, MARUTI SHOWROOM AT NORTHERN SIDE OF
RAMGARHTAL, GORAKHPUR"**

Agreement No- 01/SE/2021-22
 Name of Firm-M/s Shree Ram Construction (JV), Lucknow
 Date of Start:- 18/11/2021
 Date of Completion:- 17/05/2023

S.No	Description	18/11/2021 to 30/11/2021	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	17-May-23
1	Demarcation of Land / Survey																			
2	Site Investigation, Soil Testing																			
3	Design / Drawing																			
4	Sludge Removal																			
5	Earth work in Embankment																			
6	Construction of RCC Culvert																			
7	Boulder Pitching work																			
8	Sewer Laying & Construction of I&D structure																			
9	Beautification work																			
10	Trial & Run																			



Amulya
A.P.E.

[Signature]
P.E.

[Signature]
P.M.

[Handwritten notes]

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम,
अयोध्या।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांक- 1020/अयोध्या/एन0जी0टी0/2021-22 दिनांक: 8/11/2021
विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-116/2014
मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य के अन्तर्गत
नगर निगम, अयोध्या से सम्बन्धित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या के प्रेषण
के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या- 11246/नौ-5-2021-01 रिट/2019-टी0सी0 लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य के अन्तर्गत नगर निगम, अयोध्या से सम्बन्धित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या तैयार कर संलग्नक सहित आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।
संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,



(-विशाल सिंह)

नगर आयुक्त,
नगर निगम, अयोध्या।


कार्यालय नगर निगम, अयोध्या

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम
म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य की प्रगति रिपोर्ट

जनपद-अयोध्या

- नगर निगम अयोध्या को भौगोलिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से तीन भागों नामित: अयोध्या कैंपट (डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-1 एवं डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-2), अयोध्या धाम (डिस्ट्रिक्ट-2) एवं नगर निगम अयोध्या में एनएच-27 के दक्षिणी भाग का सम्पूर्ण क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट-3) में विभाजित किया गया है।
- नगर निगम अयोध्या की वर्तमान कुल जनसंख्या 463706 एवं 80000 हाउसहोल्ड हैं। नगर निगम अयोध्या में कुल रोड की लम्बाई 972.00 किमी0 है।

INDEX PLAN OF NAGAR NIGAM AYODHYA SEWERAGE



- नगर निगम अयोध्या में वर्तमान की कुल जनसंख्या के आधार पर 50.08 एम0एल0डी0 सीवेज का उत्पादन होता है जिसमें से नगर निगम क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट-1 (पार्ट-1 एवं पार्ट-2) तथा डिस्ट्रिक्ट-2 से कुल 21 नालों के माध्यम से 29 एम0एल0डी0 का जल मल सरयू नदी में प्रवाहित होता है। डिस्ट्रिक्ट-3 क्षेत्र से जनित सीवेज की लोकल पाइपिंग होने के कारण कोई भी नाला सरयू नदी में प्रवाहित नहीं होता है। मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में वर्णित नगर निगम अयोध्या के नालों की टैपिंग से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है:-

[Handwritten Signature]

क्रम सं०	डिस्ट्रिक्ट का नाम	सरयू नदी में गिर रहे नालों की संख्या	टैपिंग की स्थिति	कुल टैप श्राव	टिप्पणी
1	अयोध्या कैंपट (डिस्ट्रिक्ट-1) Part-1 & Part-2	15	नहीं	-	15 नालों के टैपिंग हेतु एन०एम०सी०जी० भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक संख्या-Pr-17012/1/2020-TECH CONSTRUCTION NMCG dt. 06-05-21 द्वारा रु. 221.66 करोड़ की योजना स्वीकृत है। निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। दिनांक 08.11.2021 को तकनीकी बिड खोली जानी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात दो वर्ष के अन्तर्गत अर्थात अगस्त-2023 तक उक्त योजना के कार्यों को पूर्ण कर लिया जायेगा।

2	अयोध्या घाम (डिस्ट्रिक्ट-2)	5	हां	4 एम०एल०डी०	5 नालों को नगामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत "अयोध्या इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन योजना" लागत रु. 37.87 करोड़ से टैप कर 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर ले जाकर शोधित किया जा रहा है। जिसके माध्यम से अयोध्या घाम से सरयू नदी में गिर रहे गन्दे जल-मल को शोधित करने के उपरान्त सरयू नदी के डाउनस्ट्रीम में गिराया जा रहा है तथा इस प्रकार अयोध्या घाम के मुख्य घाटों के समीप नदी को प्रदूषण मुक्त किया गया है।
3	डिस्ट्रिक्ट-3	0	-	-	इस क्षेत्र में तालाबों में लोकल पांडिंग होने के कारण कोई भी नाला सरयू नदी में प्रवाहित नहीं होता है।

- अयोध्या कैंपट क्षेत्र में अवशेष 1 नाला जो कि मुख्यतः फैजाबाद कैंपट क्षेत्र से सरयू नदी में जाकर मिलता है, फैजाबाद कैंपट क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। उक्त नाले की टैपिंग के सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी, फैजाबाद छावनी द्वारा अपने पत्र संख्या-2/1 दिनांक 10 मार्च 2021 के माध्यम से फैजाबाद छावनी को भारत सरकार के पत्र संख्या-DO No. K-16011/174/2019-AMRUT/1B dt. 31-01-2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अमृत योजना के अन्तर्गत एक्शन प्लान में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसकी प्रति सचिव, राज्य मिशन निदेशक, लखनऊ को भी है। उक्त के अनुपालन हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के पत्रांक संख्या-1150/अ०वि०प्रा०/2020-21 दिनांक 19.03.2021 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, अयोध्या को निर्देशित किया जा चुका है जिस पर उक्त कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
- अयोध्या कैंपट क्षेत्र में 15 नालों के टैपिंग हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के निविदा आमंत्रण से लेकर कार्य पूर्ण होने तक की अवधि में सरयू नदी में गिर रहे दूषित जल मल के रोकथाम हेतु नगर निगम अयोध्या द्वारा कार्यदायी संस्था उ०प्र० जल निगम के माध्यम से उक्त नालों के शोधन का कार्य बायोरेमेडिएशन विधि द्वारा कराया जा रहा है। बायोरेमेडिएशन विधि में मुख्यतः Nitrifying bacteria (Nitrosomonas, Nitrosococcus and Nitrobacter) एवं NuAlgi नामक पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि आई०आई०टी०आर०, लखनऊ एवं एन०एम०सी०जी० भारत सरकार से प्रमाणित है। उक्त विधि के अन्तर्गत बायोरेमेडिएशन से पूर्व एवं उसके पश्चात नालों के जल मल की टेस्टिंग एम०एन०एन०आई०टी०, प्रयागराज एवं एन०ए०बी०एल० अप्रूव्ड लैब से कराया जाता है तथा नदी में गिर रहे नालों के श्राव को BOD < 30 mg/l, TSS < 100 mg/l एवं COD < 150 mg/l की सीमा तक शोधित किया जा रहा है। उक्त 21 नालों में से कुछ नालों में Industrial waste होने के कारण नालों के इनलेट पर COD 500-700 mg/l तक होती है

- जिसके कारण बायोरेमेडिएशन विधि द्वारा COD <150 mg/l की सीमा तक ही शोधित किया जाना सम्भव हो पा रहा है।

ओ०ए० संख्या-116/2014 के अनुपालन में नगर निगम अयोध्या में सीवरेज व्यवस्था हेतु कराये गये कार्य एवं भविष्य हेतु एक्शन प्लान:-

- नगर निगम अयोध्या के अयोध्या धाम क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट-2) में सीवरेज नेटवर्क एवं एस०टी०पी० पूर्व से ही स्थापित है परन्तु अयोध्या कैंप क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-1 एवं डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-2) तथा नगर निगम अयोध्या में एनएच-27 के दक्षिणी भाग का सम्पूर्ण क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट-3) में कोई भी सीवरेज नेटवर्क एवं एस०टी०पी० नहीं है। नगर निगम अयोध्या क्षेत्र के अन्तर्गत सरयू नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के उद्देश्य से कुल आवश्यकता के सापेक्ष वर्तमान तक कराये गये कार्यों/निर्माणाधीन कार्य/प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत है-



क्रम सं०	डिस्ट्रिक्ट का नाम	सीवरेज व्यवस्था हेतु कुल आवश्यकता				सीवरेज व्यवस्था हेतु कराये गये कार्य				सीवरेज व्यवस्था हेतु निर्माणाधीन/स्वीकृत कार्य				प्रस्तावित किये जाने वाले कार्य			
		एस०टी०पी०	सीवर लाइन	सीवर गृह संयोजन	सीवर लाइन	एस०टी०पी०	सीवर लाइन	सीवर गृह संयोजन	सीवर लाइन	एस०टी०पी०	सीवर लाइन	सीवर गृह संयोजन	एस०टी०पी०	सीवर लाइन	सीवर गृह संयोजन	एस०टी०पी०	सीवर लाइन
1	2	3	4	5	6	7	8	8	6	7	8	9	10	11			
1	अयोध्या डिस्ट्रिक्ट-1	18 एम०एल०डी०	124.00 किमी०	14553 नग	12 एम०एल०डी०	92.00 किमी०	10553 नग	10553 नग	6 एम०एल०डी०	4.00 किमी०	0 नग	-	28.00 किमी०	4000 नग			
2	अयोध्या कॅण्ट डिस्ट्रिक्ट-2	33 एम०एल०डी०	416.00 किमी०	45000 नग	-	-	-	-	33 एम०एल०डी०	133.54 किमी०	20000 नग	-	282.46 किमी०	25000 नग			
3	डिस्ट्रिक्ट-3	20 एम०एल०डी०	432.00 किमी०	20447 नग	-	-	-	-	-	-	-	20 एम०एल०डी०	432.00 किमी०	20447 नग			

(Handwritten Signature)

- उपरोक्तानुसार वर्तमान तक नगर निगम अयोध्या के अयोध्या धाम क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट-2 में 92.00 किमी० सीवर लाइन, 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं 10553 नग सीवर गृह संयोजन के कार्य कराये जा चुके हैं तथा अवशेष 4.00 किमी० सीवर लाइन का कार्य एवं 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में अतिरिक्त 6 एम०एल०डी० एस०टी०पी० की क्षमता विस्तार का कार्य प्रगति पर है जिसे क्रमशः नवम्बर-2021 एवं अगस्त-2022 तक पूर्ण करने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट-2 के अन्तर्गत जनित कुल सीवेज को शोधित किया जायेगा।
- डिस्ट्रिक्ट-1 में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 133.54 किमी० सीवर लाइन तथा 20000 नग सीवर गृह संयोजन एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के कार्य निर्माणाधीन/स्वीकृत हैं। अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन सीवरेज योजना के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट-1 के पार्ट-1 में सम्मिलित क्षेत्रों को सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित किया जायेगा जिसके समस्त कार्य अगस्त-2023 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। जबकि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के माध्यम से नगर निगम अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-1 एवं डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-2 के कुल क्षेत्रों से जनित सीवेज जो कि नालों के माध्यम से सरयू नदी में जाकर प्रवाहित होते हैं, को टैप कर सरयू नदी को प्रदूषण मुक्त किया जायेगा। योजना के कार्यों को अगस्त-2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
- इसके अतिरिक्त नगर निगम अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट-1 के पार्ट-2 एवं डिस्ट्रिक्ट-3 क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों (आवश्यकतानुसार जहां पर सीवर लाइन डाला जाना सम्भव नहीं है) में घरों में निर्मित सेप्टिक टैंक में अत्यधिक दूषित घरेलू मल (जो कि पूर्व में नालों में गिराया जाता था) के शोधन हेतु 32 क०एल०डी० क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा प्लान्ट की कमीशनिंग प्रगति पर है जिसे 25 नवम्बर-2021 तक कमीशन कर योजना से उपरोक्त वर्णित अवशेष क्षेत्रों को पूर्ण रूप से सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने की अवधि तक आच्छादित किया जायेगा।
- स्वीकृत/निर्माणाधीन योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात भी नगर निगम अयोध्या के अन्तर्गत 742.46 किमी० सीवर लाइन, 20 एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं 49477 नग सीवर गृह संयोजन के कार्य अवशेष रह जायेंगे जिस हेतु विभिन्न फेजों में कार्य योजना तैयार की जानी है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	फेज का नाम	फेज के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित कुल लागत (लगभग)
1	अमृत 2.0	फेज-1	डिस्ट्रिक्ट-1 पार्ट-2	सीवर लाइन-310.46 किमी० सीवर गृह संयोजन-29000 नग	रु. 400.00 करोड़
2		फेज-2	डिस्ट्रिक्ट-3	सीवर लाइन-432.00 किमी० सीवर गृह संयोजन-20447 नग एस०टी०पी०-20 एम०एल०डी०	रु. 500.00 करोड़

उपरोक्त परियोजनाएं अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फेजवार धनावंटन के अनुसार क्रमशः दिसम्बर-2021 एवं अप्रैल-2022 तक प्रेषित किये जायेंगे।

ओ0ए0 संख्या-116/2014 के अनुपालन में नगर निगम अयोध्या में सीता लेक में पूर्व संचित ठोस अपशिष्ट के अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या-

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सीता लेक के समीप पूर्व संचित ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मेसर्स आकांक्षा इण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली को कार्य आवंटित किया गया है, जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.07.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15.12.2021 है। उक्त अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कुल 60000 MT ठोस अपशिष्ट जो कि लगभग 28560 Sqm के सर्फेस एरिया में फैला हुआ है को बायोमाइनिंग/बायोरेमेडिएशन विधि द्वारा ठोस अपशिष्ट में सम्मिलित प्लास्टिक एवं अन्य पैकेजिंग सामग्री को पृथक कर उपचारित किया जा रहा है। वर्तमान तक कुल 28560 Sqm में फैले 60000 MT ठोस अपशिष्ट में से 10950 Sqm के सर्फेस एरिया के कुल 8500 MT ठोस अपशिष्ट को पृथक कर उपचारित किया जा चुका है।


(विशाल सिंह)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, अयोध्या।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र०जल निगम (नगरीय) लखनऊ ।

पत्रांक : 504 / मु०अ०(ल०क्षे०) / गोमती नदी-रेड.

दिनांक : 01/12/2021

सेवा में,

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर),
उ०प्र०जल निगम (नगरीय),
लखनऊ ।

विषय : नगरीय क्षेत्र से गोमती नदी में गिरने वाले नालों की टैपिंग एवं क्रियाशील निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित सीवेज शोधन संयंत्रों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में आप द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में अवगत कराना है कि

(अ) लखनऊ नगर निगम क्षेत्र (विस्तार से पूर्व) से गोमती नदी में 33 नाले एवं सई नदी में एक नाला द्वारा मल जल का विसर्जन होता था। गोमती ऐक्शन प्लान एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत गोमती में विसर्जित होने वाले 33 में से 26 नालों पर आई०एण्ड डी० वर्क्स का निर्माण इन नालों के मलजल को टैप कर दौलतगंज एवं भरवारा एस०टी०पी० पर उपचार हेतु कराया गया है। आई०एण्ड डी० वर्क्स एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण के उपरान्त भी टैप किये गये 26 नालों में से कुछ नाले ओवर फ्लो करते हैं। आज दिनांक 01.12.2021 को कराये गये स्थलीय निरीक्षण के अनुसार नालों की स्थिति का विवरण निम्नवत है—

S. No.	Name of Drain	Measured Discharge (MLD)	Tapped (Y/N)	Overflow (Y/N)
		2019		
1	2	3	4	5
1	GAUGHAT & MOHINIPURWA	1.64	Y	N
2	NER U/S	3.76	Y	N
3	NER D/S		Y	N
4	CHINA BAZAR	0.32	Y	N
5	LAPLACE	8.90	Y	N
6	JOPLING ROAD	0.58	Y	N
7	JIAMAU	2.05	Y	N
8	LAMARTINIER	6.50	Y	N
9	MOHAN MEKINS	5.25	Y	N
10	DALIGANJ -2 (D/S)*	3.46	Y	N
11	ARTS COLLEGE	2.14	Y	N
12	HANUMAN SETU	1.38	Y	N
13	TQ NALA	1.05	Y	N
14	KEDAR NATHI	1.08	Y	N
15	NISHAT GANJ	3.83	Y	N
16	BABA KA PURWA	0.84	Y	N
17	ROOP PUR KHADRA	1.28	Y	N
	Total fully tapped	44.06		

1	2	3	4	5
18	NAGARIA	16.18	Y	Y
19	SARKATA	28.87	Y	Y
20	PATA	15.57	Y	Y
21	WAZIRGANJ	41.41	Y	Y
22	GHASIARIMANDI	17.86	Y	Y (Only during peak flow)
23	GH CANAL	207.27	Y	Y
24	MAHESHGANJ	5.29	Y	Y
25	DALIGANJ - I (U/S)	8.57	Y	Y
26	KUKRAIL+SEWER	130.00	Y	Y
	Total tapped but Overflowing	471.02		Approximately 225-250 mld is pumped to treatment plant for treatment
27	BAIRIKALAA	0.65	N	-
28	GHAILA	6.01	N	-
29	FAIZULLAGANJ U/S	11.58	N	-
30	FAIZULLAGANJ D/S	5.50	N	-
31	SAHARA CITY	8.68	N	-
32	GOMTI NAGAR DRAIN	29.60	N	-
33	GOMTI NAGAR EXTENSION	5.40	N	-
	Total un-tapped	67.42		
	Total (River Gomti)	582.50		
34	Qila Mohamadi Drain (Sewer discharge not included)	20.00	N (meets River Sai)	-
	Grand Total (Lucknow City)	602.50		

Status of STP Capacity

1	Total flow of Drains in Lucknow	34 Nos.	602.50	
2	Flow to Daulatganj & Bharwara STP from Sewer (mld) (not included in discharge of drains)	-	120.90	
3	Flow to Qila mohamadi drain from Sewer (mld) (not included in discharge of drains)	-	60.80	
4	G Total (Total Waste water Generation)		784.20	
5	Drain Flow Towards River Gomti	33 Nos.	582.50	
6	Drain Flow Towards River Sai via Qila Mohamadi Drain	1 No	20.00	
7	Nos. of Drains Fully Tapped	17 Nos	44.06	
8	Partially Tapped	9 Nos	471.02	
9	Flow reaching Daulatganj & Bharwara STP's for treatment from partially tapped drains only		236.04	
10	Total Flow reaching Daulatganj and Bharwara STP		401.00	
11	Existing Capacity of STP		445.00	
11.1	Bharwara	1	345.00	Maintained by UPJN (Urban)
11.2	Daulatganj	2	56.00	
11.3	Vrindavan Awas Vikas Shaheed Path	1	37.50	Maintained by Awas Vikas
11.4	Vrindavan	1	6.50	Manintained by Jal Kal
12	Sanctioned Capacity of STP			
12.1	Daulatganj	1	39.00	Project cost Rs 213.91 cr (inclusive of O&M) under Namami Gange
12.2	Barikala	1	1.00	
13	Under Construction @ GH Canal	1	120.00	Project cost Rs 297.38 cr under AMRUT
14	Proposal Sent to NMCG			
14.1	Ghailla (in phase 2 DPR)	1	22.00	Cost of proposal for Phase 2 is Rs 557.74 cr and phase 3 is Rs 402.63 cr as informed by UPJN (Rural).
14.2	Bijnor (in phase 2 DPR)	1	80.00	
14.3	Bharwara (in phase 3 DPR)	1	85.00	
15	Gap		Nil	

(a) गोरखपुर शहरका योजना राब योजना की 2 भाई 1 क्षेत्र भाइल क्षेत्रा गिनानुसार है

Timeline and Milestone for Gorakhpur Sewerage Scheme

Milestone	Activity	Date of Completion
1	Tendering Process and L.O.A	May, 2022
2	Detailed Survey and design of network, STP, MPS, E/M works etc	Aug, 2022
3	Sewer Network upto 25 % and STP, IPS, MPS and allied works upto 10 %	Feb, 2023
4	Sewer Network upto 65 % and STP, IPS, MPS and allied works upto 80 %	Sept, 2023
5	Project Completion	Dec, 2023

भवदीय,


6/11/2024
(राजेश अवस्थी)
मुख्य अभियन्ता(ल0क्ष0)



लखनऊ नगर निगम

टी.एन. मार्ग, लालबाग, लखनऊ, फोन-फैक्स-0522-2612639,
ई-मेल-nnlko@nic.in, वेबसाइट-<http://lmc.up.nic.in>

प्रेषक :	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	सेवा में :	अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
----------	--------------------------------	------------	--

संख्या : Memo/पी.एम./जे./21-22

दिनांक : 30.11.2021

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन में नगर निगम लखनऊ द्वारा नदियों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु गोमती नदी में प्रवाहित होने वाले नालों का बायोरेमेडिएशन के माध्यम से ट्रीटमेंट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० एन.जी.टी. ओवर साइट कमेटी की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2020 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त द्वारा लखनऊ जनपद में अध्यक्ष मानिट्रिंग कमेटी द्वारा महाप्रबन्ध, उ०प्र जल निगम लखनऊ को निर्देशित किया गया कि "शहर की आबादी के हिसाब से उत्पन्न सीवज का आंकलन कर गैप पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। जिन नालों की टैपिंग नहीं की गयी है उन पर बायोरेमेडिएशन/फाईटोरेमेडिएशन कराया जाये" एवं समस्त नालों को शोधित किये जाने हेतु उ०प्र० जल निगम को निर्देशित किया गया था।

ओवर साइट कमेटी द्वारा जल निगम को दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में कार्यवाही लम्बित रहने तथा शासन के पत्र सं०:-3146/नौ-5/2020-284सा/2019, दिनांक 11 अगस्त, 2020 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में तात्कालिक निवारण हेतु बायोरेमेडिएशन के माध्यम से गोमती नदी में प्रवाहित हो रहे 7 अनटैप्ड नालों पर बायोरेमेडिएशन विधि के माध्यम से शोधित किये जाने की कार्यवाही 15वें वित्त आयोग की धनराश से प्रस्तावित की गयी। लखनऊ नगर निगम द्वारा गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम लखनऊ से समस्त सात अनटैप्ड नालों पर डिस्चार्ज सम्बन्धी विवरण प्राप्त कर एवं प्रति एम०एल०डी० जलशोधन दर प्राप्त कर एक वर्ष की अवधि हेतु (365 दिवस, वर्षाकाल अतिरिक्त) समस्त नालों पर बायोरेमेडिएशन विधि से जलशोधन कार्य हेतु निविदायें दिनांक 14.06.2021 को द्वि-लिफाफा पद्धति पर आमंत्रित कीं गयीं। दिनांक 10.08.2021 को कायदेशि निर्गत कर दिया गया है। वर्तमान में बायोरेमेडिएशन का कार्य सातों अनटैप्ड नालों पर चल रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

Sl.No.	Name of Drain	Discharge of Drain (mld)	Remarks
1.	Bairikala	0.65	Untapped Drain
2.	Faizullahganj-U/S	11.58	Untapped Drain
3.	Faizullahganj-D/S	5.5	Untapped Drain
4.	Shahara City	8.68	Untapped Drain
5.	Gomti Nagar Drain	29.6	Untapped Drain
6.	Gomti Nagar Extension	5.4	Untapped Drain
7.	Ghaila drain / pond	6.01	Untapped Drain
Total discharge (MLD)		67.42	

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रदत्त विवरण के अनुसार जिन 6 नालों पर जल निगम द्वारा एस०टी०पी० के माध्यम से जल शोधन का कार्य पूर्व से कराया जा रहा है, ऐसे आंशिक टैप्ड/ओवरफ्लो 6 नालों को शोधित किये जाने हेतु गोमती नदी में प्रवाहित हो रहे 6 आंशिक रूप से टैप्ड/ओवरफ्लो नाले पर तत्कालिक निवारण हेतु जलशोधन के लिये प्रथम बार दिनांक 12.11.2021 को निविदायें आमंत्रित कीं गयीं जिसमें किसी भी निविदादाता द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण पुनः निविदायें 20.11.2021 को आमंत्रित कीं गयीं हैं, जिनकी वित्तीय निविदायें दिनांक 25.11.2021 को की स्वीकृति प्राप्त करते हुए दिनांक 30.11.2021 को सम्बन्धित संस्था को सूचना-पत्र/कायदेशि दिनांक 30.11.2021 को निर्गत कर दिया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No.	Name of Drain	Discharge (mld)	Remarks
1.	Nagaria Drain	16.18	Partially Tapped, overflow
2.	Sarkata Nala-A & B	28.87	Partially Tapped, overflow
3.	Pata Nala	15.57	Partially Tapped, overflow
4.	Wazirganj Nala	41.41	Partially Tapped, overflow
5.	KukrailNala+Sewer	72	Partially Tapped, overflow
6.	GH Canal Nala	207.27	Partially Tapped, overflow

इस प्रकार गोमती नदी में गिरने वाले नालों में बायोरेमेडिएशन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त सेई नदी में गिरने वाले छिन्ना-मोहम्मदी ड्रेन पर भी बायो रिमेडिएशन भववीय की कार्यवाही प्रारम्भ कराई गई है।

(अजय कुमार द्विवेदी)
नगर आयुक्त



नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	सेवा में, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
पत्र संख्या :- 413/कम्प/न०शा०	दिनांक :- 01 दिसम्बर, 2021

विषय : ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना विषयक।

महोदय,

लखनऊ नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य हेतु डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा प्रसंस्करण एवं रोड स्वीपिंग का कार्य निम्नवत् कराया जाता है:-

1. लखनऊ नगर निगम द्वारा मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा० लि० के माध्यम से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं कूड़ा प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है।
2. घरों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से डोर-टू-डोर कूड़े का संग्रहण का कार्य 549 मिनी टिपर वाहनों एवं 550 ट्रायसाइकल के माध्यम से किया जाता है।
3. उपरोक्तानुसार एकत्रित कूड़े को 60 विभिन्न स्थानों पर स्थापित 66 पी.सी.टी.एस. केन्द्रों पर पहुँचाया जाता है।
4. पी.सी.टी.एस. केन्द्रों से कॉपैक्टेड कूड़े को ट्रान्सफर स्टेशन पर पहुँचाया जाता है। वर्तमान में ग्वारी स्थित ट्रान्सफर स्टेशन क्रियाशील है एवं अन्य दो ट्रान्सफर स्टेशन, पुरनिया एवं मल्लपुर पर निर्माणाधीन है।
5. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रसंस्करण हेतु शिवरी नामक स्थल पर 1600 मि०टन क्षमता का प्रसंस्करण प्लान्ट संचालित है। इस स्थल पर 2017 से पूर्व का लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है एवं जून, 2022 तक निस्तारण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2017 से मेसर्स इकोग्रीन इनर्जी लखनऊ द्वारा प्लान्ट का संचालन किया जा रहा है और मेसर्स इकोग्रीन इनर्जी लखनऊ द्वारा दिनांक 25.10.2021 को प्लान्ट पर स्थित वर्ष 2017 से लेकर वर्तमान तिथि तक पड़े हुए लिगेसी वेस्ट का प्रसंस्करण 120 दिनों में करने हेतु शपथ-पत्र के साथ अपनी कार्य-योजना प्रस्तुत की गयी है।
6. समस्त व्यवसायिक क्षेत्रों में राहगीरों की सुविधा हेतु लगभग 1800 थ्री-बिन्स लगाये गये हैं एवं 18 स्मार्ट अण्डरग्राउण्ड बिन्स लगाने का कार्य प्रगति पर है।
7. शहर में स्थित समस्त सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु 37 डी-स्लजिंग टैंकों का उपयोग किया जाता है एवं समस्त डी-स्लजिंग टैंकों की जी०पी०एस० के माध्यम से ट्रेकिंग की जाती है।
8. जनसुविधा के दृष्टिगत लगभग 390 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय, 96 वातानुकूलिक डीलक्स शौचालय एवं 510 यूरिनल प्वाइंट का निर्माण कराया गया है।
9. घैला स्थित लगभग 1.10 लाख टन लिगेसी वेस्ट का बायोरेमेडियेशन पद्धति से ट्रीटमेंट/निस्तारण अब तक किया गया है तथा जून, 2022 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
10. सफाई कर्मियों (नियमित/संविदा/आउटसोर्सिंग) के द्वारा रोड स्वीपिंग का कार्य बीट पद्धति के आधार पर कराया जाता है। इसके अतिरिक्त मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से भी सड़कों की सफाई का कार्य किया जाता है।
11. निर्माण एवं विध्वंस मलबे के निस्तारण हेतु हरिकंस-गढ़ी, मोहनलालगंज में एक 100 टी.पी.डी. क्षमता का प्लान्ट निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निर्माण एवं विध्वंस प्लान्ट निविदा- प्रक्रियाधीन है।

सादर आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

(अजय कुमार द्विवेदी)

नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :- सचिव, नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन सादर सूचनार्थ।

(अजय कुमार द्विवेदी)

नगर आयुक्त

प्रेषक, श्री नागार्जुन रेड्डी, समुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स ईकोग्रीन इनर्जी प्रा०लि० ए००/००/००-००/००	सेवा में, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
पत्र संख्या :-	दिनांक :- ३० नवम्बर, २०२१
विषय : ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना विषयक।	

महोदय,

लखनऊ नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य हेतु डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा प्रसंस्करण एवं रोड स्वीपिंग का कार्य निम्नवत् कराया जाता है:-

1. लखनऊ नगर निगम द्वारा मेसर्स ईकोग्रीन इनर्जी लखनऊ प्रा० लि० के माध्यम से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं कूड़ा प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है।
2. घरों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से डोर-टू-डोर कूड़े का संग्रहण का कार्य ५४९ मिनी टिपर वाहनों एवं ५५० ट्रायसाइकल के माध्यम से किया जाता है।
3. उपरोक्तानुसार एकत्रित कूड़े को ६० विभिन्न स्थानों पर स्थापित ६६ पी.सी.टी.एस. केन्द्रों पर पहुँचाया जाता है।
4. पी.सी.टी.एस. केन्द्रों से कॉम्पैक्टेड कूड़े को ट्रान्सफर स्टेशन पर पहुँचाया जाता है। वर्तमान में ग्वारी स्थित ट्रान्सफर स्टेशन क्रियाशील है एवं अन्य दो ट्रान्सफर स्टेशन, पुरनिया एवं मल्लपुर पर निर्माणाधीन है।
5. म्यूनििसिपल सॉलिड वेस्ट प्रसंस्करण हेतु शिवरी नामक स्थल पर १६०० मि०टन क्षमता का प्रसंस्करण प्लान्ट संचालित है। इस स्थल पर २०१७ से पूर्व का लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है एवं जून, २०२२ तक निस्तारण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष २०१७ से मेसर्स ईकोग्रीन इनर्जी लखनऊ द्वारा प्लान्ट का संचालन किया जा रहा है और मेसर्स ईकोग्रीन इनर्जी लखनऊ द्वारा दिनांक २५.१०.२०२१ को प्लान्ट पर स्थित वर्ष २०१७ से लेकर वर्तमान तिथि तक पड़े हुए लिगेसी वेस्ट का प्रसंस्करण १२० दिनों में करने हेतु शपथ-पत्र के साथ अपनी कार्य-योजना प्रस्तुत की गयी है।

सादर आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।

(राकेश कुरूप)



मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स ईकोग्रीन
इनर्जी लखनऊ प्रा०लि०

(नागार्जुन रेड्डी)



मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स ईकोग्रीन
इनर्जी प्रा०लि०



लखनऊ नगर निगम

टी.एन. मार्ग, लालबाग, लखनऊ, फोन-फैक्स-0522-2612639,
ई-मेल- nnlko@up.nic.in, वेबसाइट- http://lmc.up.nic.in

प्रेषक :

पर्यावरण अभियंता,
नगर निगम, लखनऊ।

सेवा में :

मेसर्स जागृति इन्फ्राटेक प्रा० लिमि०,
5/858 विरामखण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

संख्या : D/131/पत्रा.अभि.120

दिनांक 11 दिसंबर, 2020

विषय: नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एन०सी०ए०पी०) के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किशत की धनराशि से 5 मीट्रिक टन क्षमता के प्रसंस्करण प्लान्ट की स्थापना व अनुबंध के अन्तर्गत 3 वर्ष के अनुरक्षण व संचालन कार्य हेतु सूचना-पत्र/कायदेश के सम्बंध में।

महोदय,

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एन०सी०ए०पी०) के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किशत की धनराशि से 5 मीट्रिक टन क्षमता के प्रसंस्करण प्लान्ट की स्थापना व अनुबंध के अन्तर्गत 3 वर्ष के अनुरक्षण व संचालन कार्य हेतु दिनांक 09.11.2020 को प्रदान की गयी ई-निविदा का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके अन्तर्गत आप द्वारा प्रदान की गयी निविदा धनांक रू०-182.00 लाख (रू०-110.00 लाख स्थापना एवं रू०-72.00 लाख, 3 वर्ष के अनुरक्षण व संचालन) की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 09.12.2020 को प्रदान कर दी गयी है, जिसके सापेक्ष रू०-125.00 लाख की धनराशि नगर निगम द्वारा दी जायेगी एवं शेष का वहन आप द्वारा किया जायेगा।

अतः आर०एफ०पी० के Special conditions के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार अनुबंध हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के पक्ष में निर्माण लागत की 5प्रतिशत की बैंक गारंटी व रू०-100.00 का जनरल स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करते हुए अनुबंध की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करे एवं स्थल पर कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करते करते हुए 6 माह की अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराये।

भवदीय

11.12.2020

पर्यावरण अभियंता

नगर निगम लखनऊ

- प्रतिलिपि: 1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।

11.12.2020

पर्यावरण अभियंता

नगर निगम लखनऊ



LUCKNOW MUNICIPAL CORPORATION
U.N. Marg, Lalbag, Lucknow, Phone-Fax- 0522-2612639
E-mail-mulko@nic.in Website:- <https://etender.up.nic.in>

Ref. No. D/212/E.E./21


Date: 29-11-2021

Short Term Tender Notice (2nd Call)

Preparation of Detailed Project Report (DPR) & Providing Project Monitoring Services for Clearing Existing legacy waste lysing at Shivri Mohan Road site in Lucknow Municipal Corporation.

Lucknow Municipal Corporation invites online request for the proposals from the reputed firms having experience in similar nature of jobs for Preparation of Detailed Project Report (DPR) & Providing Project Monitoring Services for Clearing Existing legacy waste lysing at Shivri Mohan Road site in Lucknow Municipal Corporation. The Last date for submission of bids is 29-12-2021 till 15.00 Hrs. Technical bids will be opened on same day at 16.00 Hrs in the office of the Environment Engineer, Lucknow Municipal Corporation.

For further corrigendum/addendums in this regard, please regularly visit <https://etender.up.nic.in>


Environment Engineer
Lucknow Municipal Corporation

Copy to:

1. Municipal Commissioner, Lucknow Municipal Corporation for Information Please.
2. Add. Municipal Commissioner, Lucknow Municipal Corporation.
3. In-Charge of Advertisement Dept, LMC for the publication.
4. E-Tender Cell for necessary action.

Environment Engineer
Lucknow Municipal Corporation



Lucknow Municipal Corporation
T.N. Marg, Lalbag, Lucknow, Phone-Fax- 0522-2612639
E-mail-nnlko@nic.in Website:- <https://lmc.up.nic.in>


Ref No.. 81/196/ए.प.श्री०/२१

Date: 18/11/2021

Short-Term Noting Inviting Tender

Lucknow Municipal Corporation invites online Request for Proposals from reputed firms/Consultant having experience in similar nature of jobs for preparation of DPR and consultancy services for disposal of Legacy waste at Shivri Mohan road in Lucknow City. Tender document with all other details can be downloaded from <https://etender.up.nic.in> from 20-11-2021. The last date for submission of bids is 27-11-2021 till 3:00 P.M. Technical Bids will be opened on same day at 4:00 P.M.

For all further corrigendum/addendums in this regard, please regularly visit <https://etender.up.nic.in>.


Environment Engineer
Lucknow Municipal Corporation

Copies:

1. Municipal Commissioner, Lucknow Municipal Corporation for Information please.
2. Addl. Municipal Commissioner, Lucknow Municipal Corporation for Information please.
3. Chief Engineer, Lucknow Municipal Corporation for Information please.
4. In charge, Advertisement Department, Lucknow Municipal Corporation for the publication.
5. Care Taker & Notice Board.


Environment Engineer
Lucknow Municipal Corporation



ISO-9001-2015

Muskan Jyoti

OFFICE: Old Keckhuwa Farm, Chaudhary Purwa
Madhyana Near Ajit brick field, Kursi Road
Lucknow 226021 Uttar Pradesh
PHONE : 9415410043
e-mail : muskanjyoti1994@gmail.com
www.muskanjyoti.org

Ref...559/MJS/2021

Date ...7/10/2021...

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि घैला स्थित लीगेसी वेस्ट का प्रबन्धन 88,163.47 घन मी० का किया गया है जिसकी मात्रा प्रति 1.254 से $88,163.47 \times 1.254 = 1,10,556.99$ टन होता है।

प्रबन्धन की गई लीगेसी वेस्ट 1,10,557 टन है।

भवदीय

मेवांनलि
सचिव



02/11/21
Project Manager
Unit-26, C&DS
U.P. Jal Nigam, Lucknow



नगर निगम लखनऊ

प्रेषक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	सेवा में, सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
पत्र संख्या - 320/अ.म.ग-न.न.क.	दिनांक - 25 अक्टूबर, 2021

विषय : दिनांक 21.10.2021 को अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में नगर निगम लखनऊ के अनार्गट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के प्रभावी प्रसंस्करण के सम्बन्ध में संबंधित संस्था मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा० लि० द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में अग्रगत करना है कि दिनांक 21.10.2021 को अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में संस्था मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा० लि० के प्रतिनिधियों को नगर निगम सीमान्तर्गत म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का समयबद्ध प्रभावी प्रसंस्करण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र सहित कार्ययोजना प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में संस्था मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा० लि० द्वारा पत्र संख्या ECO/LKO/21-22/123 दिनांक 22.10.2021 के माध्यम से नगर निगम लखनऊ सीमान्तर्गत म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के निस्तारण हेतु कार्ययोजना सहित निर्धारित समय सीमा का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजय कुमार द्विवेदी)
 नगर आयुक्त



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	IN-UP11902017960047T
Certificate Issued Date	: 25-Oct-2021 12:39 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14172204/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1417220413300642585903T
Purchased by	: MS ECOGREEN ENERGY LUCKNOW PVT LTD
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MS ECOGREEN ENERGY LUCKNOW PVT LTD
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: MS ECOGREEN ENERGY LUCKNOW PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

Handwritten signature and text

दिनांक 21.10.2021 को आदरणीय अपर मुख्य सचिव, नगर विकास महोदय, की अध्यक्षता में हुई बैठकियों का संचालन में नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में यह इकोपीन एनजी लखनऊ प्रा० लि० द्वारा प्रस्तुत अद्यतन कार्ययोजना-

1. नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के संबंध में अद्यतन आंकड़ा (शिवरी प्लाट पर)

अ) अनुमानित कुल सॉलिड वेस्ट= 692365 मी०टन

अनुमानित सॉलिड वेस्ट के संबंध में किया गया आगणन-

1. क्वार्टर होज के समीप (इनर्ट एवं पुराना सॉलिड वेस्ट)= 9500 मी०^2

(क्षेत्र) $\times 8.5$ (ऊंचाई) $\times 1.1$ (घनत्व) = 88825 मी०टन

2. मेशन रोड के मध्य में जयवा प्री-सॉर्टिंग होज (पुराना आर०डी०एफ० एवं

पुराना एम०एस०डब्ल्यू)= 26505 मी०^2 (क्षेत्र) $\times 9$ (ऊंचाई) $\times 1.1$ (घनत्व)

= 262399 मी०टन

3. प्री सॉर्टिंग होज के पीछे= 47712 मी०^2 (क्षेत्र) $\times 6.5$ (ऊंचाई) $\times 1.1$

(घनत्व) = 341140 मी०टन

शिवरी प्लाट पर मौजूद कुल अपशिष्ट (आर०डी०एफ०, एम०एस०डब्ल्यू तथा इनर्ट

सहित)= $88825 + 262399 + 341140 = 692365$ (रुपया छह लाख बानबे

हजार तीन सौ पैंसठ मात्र)

प्रतिदिन प्लाट पर आने वाला एम०एस०डब्ल्यू की मात्रा= लगभग 1800 टन

प्रतिदिन है।

मी०टन (अनुमानित)(+/-10%)

जबकि सॉलिड वेस्ट के प्रसंस्करण की अनुमानित लागत 8 करोड़ रुपए के

लगभग है।

ब) आर०डी०एफ० संस्था की ओर आ०डी०एफ० के विक्रय हेतु कार्यदायी संस्था का चयन किया जा रहा है जो कि प्रक्रियाधीन है।

स) लीवेट ट्रीटमेंट: डी०टी०आर०ओ० टेक्नोलॉजी का चयन किया गया है जिसके लिए निविदा का आमंत्रण किया जा रहा है। प्रस्ताव हेतु कार्यदायी संस्था का चयन 30.10.2021 तक करने का अनुमान है। वर्क आर्डर की कापी सहित प्रोजेक्ट की समय सीमा 30.10.2021 तक पूर्ण कर ली जाएगी। मूल्य तथा व्यापारिक समझौता/परक्रामण प्रचलन में है। कार्य हेतु जिन वेंडरों का चयन किया गया है उनमें मुंबई स्थित दो कंपनियां यै० आई०ए०ए०/सी०एम० हैं। कार्य अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपए है।

द) एस०एल०एफ०: नवीन एस०एल०एफ० के चयन हेतु सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा अन्य संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है।

2. प्लाट की वर्तमान सॉलिड वेस्ट की प्रसंस्करण क्षमता= 1250 टन प्रतिदिन है

वर्तमान क्षमता के अनुरूप प्रसंस्करण में लगने वाली कुल अनुमानित अवधि:

$692365 \text{ मी०टन} / 1250 \text{ मी०टन} =$ लगभग 554 दिन

- वर्तमान परिस्थिति में संस्था प्रदत्त मशीनों से निम्नरूप में प्रसंस्करण का कार्य कर रही है



Equipment	Production capacity	A shift	B shift	Labour Required
Ballistic 1	20 MT/hours	130	130	03
Trammel 2	20 MT/hours	130	130	03
Ballistic 3	20 MT/hours	130	130	03
Ballistic 4	20 MT/hours	130	130	03
Ballistic 5	20 MT/hours	130	130	03
Total Production		650	650	15/shift (approx.)

Total production capacity = 1300 MTD

3 प्लांट की कार्यक्षमता में परिवर्तन हेतु कार्ययोजना:

वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 1250 मी0टन से 2800 मी0टन करने हेतु मी0 इकोथीन एनर्जी लिखनऊ प्रा0 लि0 द्वारा कार्ययोजना तैयार कर ली गई है जिसके क्रम में कंपनी द्वारा हाइड्रोमैक टेक्नोलॉजी की विजिट 20 अक्टूबर 2021 से 22 अक्टूबर 2021 के मध्य हो चुकी है जिसके आकलन के अनुसार लगभग 4 महीने के अंदर प्लांट रीवैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा अतः यह कार्य 11 नवंबर 2021 से प्रारम्भ होगा जो कि 12 मार्च 2022 तक पूर्ण करने का अनुमान है। जिसका अनुमानित कुल बजट 3 से 3.5 करोड़ रुपए है।

पुरानी क्षमता 1250 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 2800 टन प्रतिदिन करने के लिए संस्था प्रयासरत है, जिसकी कार्यप्रणाली का विवरण निम्नवत है:

Equipment	Production capacity	A shift	B shift	Labour Required
Trammel 1	30 MT/hours	240	240	02
Trammel 2	30 MT/hours	240	240	02
Trammel 3	30 MT/hours	240	240	02
Trammel 4	30 MT/hours	240	240	02
Trammel 5	30 MT/hours	240	240	02
Trammel 6	30 MT/hours	240	240	02
Total Production		1440	1440	12/shift (approx.)

- कंपोस्ट प्लांट का प्रसंस्करण बढ़ाकर 400 टन प्रतिदिन किए जाने हेतु कार्ययोजना निम्नवत है:

Equipment	Production capacity	A shift	B shift	Labour Required
Trammel 1	05 MT/hours	40	40	04
Trammel 2	05 MT/hours	40	40	04
Trammel 3	15 MT/hours	120	120	04
	Total =125 MT/hours	200	200	12 /shift (approx.)

प्लांट की कार्यक्षमता बढ़ जाने पर अगले चार माह के अंदर 120 दिन में यह कार्य पुराने वेस्ट के प्रसंस्करण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

4. प्लांट में सी0सी0टी0वी0 लगाए जाने हेतु कार्य योजना: प्लांट में सी0सी0टी0वी0 कैमरा को लगाए जाने हेतु वेंडर डी0एस0एस0 साल्यूशंस कंवनपुरी सरोजनीनगर लखनऊ का चयन कर लिया गया है जिसको आर्डर दिया जा चुका है। कार्य की अनुमानित लागत रूपया 4 लाख रूपया है। कार्य लगभग एक माह में प्रारम्भ कर लिया जाएगा।

इस पूरे कार्य में पुराने वेस्ट का प्रसंस्करण, डी0टी0आर0ओ0 सिस्टम के स्थापन, प्लांट पर सी0सी0टी0वी0 लगाए जाने एवं प्लांट रीवेम्पिंग के कार्य में लगभग 15 करोड़ रूपए से अनिम्न की अनुमानित लागत के खर्च का अनुमान है। जिसके लिए संस्था को प्रबंधन के साथ-साथ नगर निगम लखनऊ से भी आर्थिक आवश्यक सहयोग की आवश्यकता है।

घोषणा

मै0 इकोग्रिन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 की ओर से संस्था में कार्यरत आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर हम अघोहस्ताक्षरी यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त कार्ययोजना के बिन्दु संख्या 1 से 4 में उल्लिखित बिन्दु हमारे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही हैं प्रस्तुत कार्ययोजना में कोई भी तथ्य न तो मिथ्या कथन किया गया है और न ही छिपाया नहीं गया है।

दिनांक: 25.10.2021

स्थान: लखनऊ

1. (पी0एस0 नार्गार्जुन रेड्डी)
पदनाम: युथ सी0ओ0ओ0

2. (राजेश कुरूप)
प्रोजेक्ट हेड-आपरेशन

11/10/21

शुभम शर्मा
AL

पत्रांक संख्या: ECO/LKO/21-22/123

दिनांक: 22.10.2021

सेवा में,

मा0 नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम, लखनऊ।

विषय: दिनांक: 21.10.2021 को मा0 नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम लखनऊ की अध्यक्षता में मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 के प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न बैठक के परिप्रेक्ष्य में कार्ययोजना प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका कार्यालय पत्रांक: डी/137/प.अ./21 दिनांक: 06.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सम्बन्ध में आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक: 21.10.2021 को मा0 नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम लखनऊ की अध्यक्षता में मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 के प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न बैठक में जो भी दिशा निर्देश संस्था को प्रदत्त किए गए हैं उसका अनुपालन करने हेतु संस्था प्रतिबद्ध है। अर्घोहस्ताक्षरी उक्त पत्र के माध्यम से अपनी पुरनिया ट्रांसफर स्टेशन, मलपुर ट्रांसफर स्टेशन, लैंगेसी वेस्ट प्रसंस्करण, एल0टी0पी0 प्लांट एवं पी0सी0टी0एस0 से संबंधित कार्ययोजना तथा कार्य अनुपालन हेतु निर्धारित समयसीमा का विवरण सलग्न करके आपके सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत कर रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रदत्त जानकारी से अवगत होने की कृपा करें।

संलग्नक: यथोपरि।



मवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरी,
मै0 इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0

प्रतिलिपि: सचिव, नगर विकास, उ० प्र० शासन, महोदय को
सादर अवलोकनार्थ प्रेषण हेतु।

S.no	Item	Description	Remarks
1	Renovation/Expenstion/Capacity Enhancement of Existing Plant	The Existing compost plant having the capacity of 1500 TPD and As per the renovation plan the Enhanced capacity upto 2400 TPD. We have made a plan for processing the legacy waste with in 120 days. Machinery upgradation and plant revamping is required for which the progress has been started and the same shall be completed by 10th November 2021. In this case the Zero date of 120days shall start from 12th November 2021 and the processing activity shall be completed by 12/03/2022.	Team from Hydromech Industries Indore is in LKO and in process of evaluating the Machines: Will submit the report by 25/10/2021. Attached Legacy Waste Proposed processing plan as Annexure-1
2	Legacy Waste Processing		
3	Lechate Treatment Plant (LTP)	DTRO Technology is selected and the Commercial offers are being evaluated. Will finalise the offer and release the WO to the concerned agency by 30/10/2021. Along with the copy of the Work order we will submit the Project schedule on 30/10/2021. Price and Commercial negotiation is going on with the both Vendors i.e M/s VIROTECH/ROCHEM (Mumbai base companies).	Proposed DTRO Technology & Technical Specification is attached as Annexure-2
4	Transfer station- Puraniya	Work order for the Puraniya transfer station is in process and the same shall be released to the contractor by 25/10/2021 & construction shall be commenced with in one week from the date of issuance of order. Price and Techno Commercial negotiations are going on with two Contractors . i.e M/s Ray infratech - Lucknow and Quality Construction- Hyderabad. Work order will be issued and work shall start from 01/11/2021. The construction will be completed in 100days i.e 10/02/2022	Proposed drawing of transfer station and BOQ attached for Puraniya Transfer Station as Annexure-3



5	Transfer station- Malpur.	<p>TS at malpur cannot be constructed with the current chosen model as the elevation may not be possible because of HT line passing through the site. On ground waste transit concept is adopted and models for the same shall be sourced, evaluated and finalised ASAP and it would be probably finalised on or before 10th November'2021.</p>	<p>Proposed modal and design of transfer station attached for Malpur Transfer station as Annexure-4</p>
6	PCTS	<p>In the current scenario we are operation PCTS at 54 Locations and 58 nos are being used at these locations. We need to maintain spare/Breakdown of atleast 15% as the Hydraulic machines needs regular & Schedule Maintenance. We are having 16PCTS in major breakdown for which spares procurement is in process and once spares are received with in 15 days all the PCTS shall be repaired and put back to work. Once these 16 PCTS are ready we will be able to operate the PCTS with no break down. Purchase order for spares are given to 1. M/s Sunrise Technologies, 2. United Technologies & Logistics; Spares are to be received by 05/11/2021; and the 16 PCTS will be in operational from 20/11/2021.</p>	<p>Copy of Purchase Order for the maintenance of PCTS is attached as Annexure-5</p>



Annexure-1

Waste sorting and Sieving	tonnes
Organic wastes	5,00,000
Plastics	1,15,000
Inert waste	60,000
Coarse fraction (0.8 - 3 cm)	1,00,000
Fine fraction (0.4 to 0.8 cm)	75,000
Fine fraction (< 0.4 cm)	60,000
Moisture	80,000
	10,000

(estimated value of 23% by weight)
 (estimated value of 10% by weight)
 (estimated value of 20% by weight)
 (estimated value of 15% by weight)
 (estimated value of 12% by weight)
 (estimated value of 15% by weight)



Estimated Quantity for Remediation and Bio Mining	MT	5,00,000
Daily Processing Capacity	MT	4,167
Total Processing Days/Days of Operation	Days	120


Feeding Equipment - Front end Loader		
Total tonnage to be handled per day	MT	4,167
Rated handling capacity	TPH	25
Total Operating Hours Required	Hrs	167
No. of Feeding Equipment/day (Front end loaders)	NOS	1

Equipment's for Processing of Legacy Waste

- Screening Trammel
- Vibrating Screen
- Disc/ Star

Handling Equipment
 Loader (Front Load)






Annexure-2

HYDRO

DISC MEMBRANE SYSTEM FOR LEACHATE TREATMENT



IVROTEC SOLUTION

A-101, New India Chambers, Cross road A,
Off MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400093
T: +91 22 4120 0915 | 4120 9016
E: info@ivrotec.com
www.ivrotec.com



OFFER REF: IVIS/Q/2021/102: REV -02

Date: 26/05/2021

M/s. ECOGEN ENERGY PRIVATE LIMITED

New Delhi

Kind Attn: Mr. Ankur Kumra & Mr. Sumit Kumar

Dear Sir,

Sub: HYDRO skid mounted Leachate treatment unit – 250 KLD

We, VIROTEC SOLUTION take this opportunity to thank you for showing interest in our proprietary HYDRO disc membrane system for your ongoing project. HYDRO is the most advanced disc membrane system available today for treating more than 15 different kinds of effluent and wastewater generated from industries and municipalities.

Further to your Email and the discussions the undersigned had with you, please find our Revised Techno-commercial proposal with following documents.

1. Techno commercial offer
2. Electrical load list
3. P & I Diagram
4. Tentative layout
5. Reference list

Requesting you to be in touch with us for any further details or discussions required concerning to the same.

With Warm Regards

Suresh M

E: suresh.m@virotec.com

T: +91 9886 53 35 58

VIROTEC SOLUTION

A-101, New India Chambers, Cross Road A, Off MIDC, Andheri (E) Mumbai – 400013
T: +91 22 4120 0915 | E: info@virotec.com | www.virotec.com



1. DESIGN AND PROCESS DETAILS

1.1 TREATMENT SCHEME

The HYDRO Leachate treatment (Unit) is provided with following equipment


1. **Multigrade Sand Filter:** Provided for the Removal of fine suspended particles for the feed water
2. **Acid Dosing:** Provided for correcting the pH of the feed water to control the LSI (Langelier Saturation Index)
3. **Antiscalant Dosing:** Provided for the controlling scaling in the Membranes.
4. **High pressure pumps:** To suit the pressure and flow requirement of the unit.
5. **HYDRO Module:** Modules are provided for the separation of solids from the effluent.
6. **Booster pump:** Provided for taking care of the boosting pressure required in the unit.
7. **Degasser tower:** for the removal of free carbon di oxide and other selective gases from the product water
8. **CIP unit:** Provided for the cleaning of Membrane modules.
9. **RO Polishing unit:** Provided for the final polishing of Hydro product to match the discharge water quality.
10. **TSS/ Heavy metal reduction unit –** For the reduction of Total suspended solids, Heavy metals etc.

1.2 UNIT CAPACITY

Feed Flow	:	250 KLD
Feed flow	:	11.36 m ³ /hr
Operating Hours	:	22 Hours per day
Product flow	:	150- 162 KLD
Product flow	:	6.80- 7.30 m ³ /hr
Unit recovery - Hydro	:	60 ± 5 %
Unit recovery - Polishing RO	:	80 %



1.3 FLOW DIAGRAM



X

2. FEED AND PRODUCT WATER QUALITY

2.1 FEED WATER QUALITY

No	Parameters	Unit	Normal Value	Max. Value
1	pH		6.0 - 6.5	6.0 - 6.5
2	Color		Brackish	Brackish
3	Turbidity	NTU	376	400
4	Total Suspended solids	Mg/l	1347	2000
5	Chemical Oxygen Demand (COD)	Mg/l	7056	15000
7	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/l	2782	8000
8	Total Dissolved solids -TDS	Mg/l	14592	25000
9	Conductivity @ 25 Deg C	µS/cm	26300	37500
10	P alkalinity as CaCO3	Mg/l	Nil	Nil
11	M Alkalinity as CaCO3	Mg/l	12974	14000
12	Total hardness as CaCO3	Mg/l	3414	4000
13	Calcium hardness as CaCO3	Mg/l	2415	2800
14	Magnesium hardness as CaCO3	Mg/l	999	1200
15	Sodium as Na	Mg/l	3520	7000
16	Potassium as K	Mg/l	954	1000
17	Chlorides as Cl	Mg/l	5617	8000
18	Sulphates as SO4	Mg/l	407	600
19	Phosphates as PO4	Mg/l	nil	nil
20	Nitrates as NO3	Mg/l	19	30
20	Silica as SiO2	Mg/l	4.7	6
21	Total Ammonia as NH3	Mg/l	Nil	Nil
22	Ammoniacal Nitrogen as N	Mg/l	620	700
23	Total Kjeldahl Nitrogen -TKN	Mg/l	1736	1800
24	Oil & Grease	Mg/l	22.6	22.6
25	Iron as Fe	Mg/l	5.26	5.26
26	Fluoride as F	Mg/l	2.2	3
27	Free chlorine	Mg/l	Nil	Nil
28	ORP value		Negative	Negative
29	Operating temperature	Deg.C	25-35	25-35
30	Heavy metals other than Iron	Mg/l	<0.5	<1



31	Nobel metals other than fluoride	Mg/l	<0.5	<1
----	----------------------------------	------	------	----

Notes

1. Solvent of any nature considered to be absent in the feed water.
2. Chlorine, Oxidation agents/ chemicals are considered nil in the feed water.

2.2 PRODUCT WATER (TREATED WATER QUALITY)

No	Parameters	Unit	Value after Final Polishing RO
1	pH		5.5 -6.5
2	Turbidity	NTU	NIL
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	Mg/l	< 250
4	Total Dissolved solids -TDS	Mg/l	<1000
5	Conductivity @ 25 Deg. C	µS/cm	<1500
7	Total hardness as CaCO ₃	Mg/l	< 150
8	Total suspended solids	Mg/L	<50
9	BOD - 5 Days	Mg/l	<30
10	Ammoniacal Nitrogen as N	Mg/l	50 Max.
11	Total Kjeldahl Nitrogen -TKN	Mg/l	100 Max.
12	Chlorides as Cl	Mg/l	< 500
13	Heavy metals and Noble metals		As per SWM rules Page 70 & 71 (Inland surface water)

Note: The above water quality is within the limit of inland surface water disposal norms given in the SWM standard - Page number 70 & 71 of The Gazette of India provided to us.

Permeate quality subject to the following conditions.

1. Feed water quality value considered as maximum value. Changes in the above values will change treated water quality, recovery & CIP cycle.
2. Design temperature is 30 Deg. C. Higher temperature means higher TDS and COD in product water and Lower temperature cause higher power consumption and lower recovery.
3. Rejection of COD is subject to the nature of substance contains and actual rejection may vary.
4. Refer plant performance criteria section for further details.

3. SCOPE & BATTERY LIMITS

3.1 SCOPE OF SUPPLY DETAILS

NO	EQUIPEMENTS/WORKS	SCOPE	REMARKS
1	TSS- Heavy metal reduction unit	IVIROTEC	
2	Sludge drying bed	CLIENT	
3	Feed Storage tank	IVIROTEC	
4	Feed Transfer pumps	IVIROTEC	
5	Multi grade filter	IVIROTEC	
6	Acid dosing tank	IVIROTEC	
7	Acid dosing pump	IVIROTEC	
8	Antiscalant dosing tank	IVIROTEC	
9	Antiscalant dosing pump	IVIROTEC	
10	Feed & CIP pump	IVIROTEC	
11	Micron filter	IVIROTEC	
12	High pressure pump- Hydro unit	IVIROTEC	
13	Booster pumps	IVIROTEC	
14	Hydro module with skid & piping	IVIROTEC	
15	CIP tank with piping	IVIROTEC	
16	Degasser	IVIROTEC	
17	Product water tank	IVIROTEC	
18	Polishing RO feed pump	IVIROTEC	
19	Micron filter - Polishing RO	IVIROTEC	
20	High pressure pump - Polishing RO	IVIROTEC	
21	Polishing RO unit with skid and piping	IVIROTEC	
22	Final product water tank	IVIROTEC	
23	Final product water transfer pump	IVIROTEC	
24	PLC with control panel	IVIROTEC	
25	All civil works	CLIENT	
26	Interconnecting piping between the units	IVIROTEC	
27	Incomer. power & water supply	CLIENT	
28	Unloading, erection & commissioning	IVIROTEC	

29	Operation & Maintenance	CLIENT	
30	Centrifuge unit for sludge treatment (Optional)		
	Sludge holding tank -RCC	CLIENT	
	Sludge transfer pump	IVIROTEC	
	Sludge conditioning dosing tank	IVIROTEC	
	Sludge conditioning Dosing pump	IVIROTEC	
	Centrifuge	IVIROTEC	

Also, the following works are outside our scope of supply and Battery limit..

1. All civil works (Foundation, skid, Building, Drain, etc.) including the accessories required.
2. Reject, drain, Sludge and chemical reject management with collection after battery limit, storage, and disposal.
3. Incomer and power supply to the control panel with proper isolator and protector.
4. Earthing and grid system for panel. Earthing for Equipment's shall be done by us.
5. Regular operation & Maintenance of the unit with skilled manpower, chemicals, consumables, lubricants, spares etc. Our scope is limited to first fill of the chemicals, lubricants.
6. Lab and water testing facilities near the plant
7. Any third-party testing, statutory and regulatory approval.
8. Any other requirement which is not specified in this offer.



4. SPECIFICATION

FEED STORAGE TANK			
No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3	4 Hour storage – 50 m3
2	MOC		HDPE
3	Scope		Ivirotec
4	Quantity	Nos	2 Nos (25000 each)

FEED TRANSFER PUMP			
No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3/Hr	11.36
2	Head	Bar	3
3	Type		Centrifugal
4	MOC		SS 316
5	Scope		Ivirotec
6	Quantity	Nos	One

MULTI GRADE FILTER (MGF)			
No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3/Hr	11.36
2	Operating pressure	Bar	2-3
3	Design Pressure		5
4	MOC		FRP
5	Scope		Ivirotec
6	Filter medium		Multiple grade sand and pebbles
7	Quantity	Nos	1
8	Vessel design standard		ASME



ACID DOSING UNIT

No	Description	Unit	Details
	Scope		Ivirotec
1	Dosing Tank		
	Capacity	Ltirs	200
	MOC		LDPE/HDPE
	Type		Cylindrical
	Quantity	Nos	One
2	Dosing pump		
	Capacity	LPH	30
	Head	Bar	4
	MOC		PP
	Type		Diaphragm
	Quantity	Nos	One

ANTISCALANT DOSING UNIT

No	Description	Unit	Details
	Scope		Ivirotec
1	Dosing Tank		
	Capacity	Ltirs	100
	MOC		LDPE/HDPE
	Type		Cylindrical
	Quantity	Nos	One
2	Dosing pump		
	Capacity	LPH	5
	Head	Bar	4
	MOC		PP
	Type		Diaphragm
	Quantity	Nos	One

MICRON FILTER

No	Description	Unit	Details
1	Rating	μ	10
2	Type		Wound
3	MOC of Housing		PP/SS
4	MOC of Cartridges		PP
5	Scope		Ivirotec
6	Quantity	Nos	One

FEED & CIP PUMP

No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3/Hr	11.36
2	Head	Bar	3
3	Type		Centrifugal
4	MOC		SS 316
5	Scope		IVIROTEC
6	Quantity	Nos	One

HIGH PRESSURE PUMP

No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3/Hr	11.36
2	Head	Bar	80
3	Type		Plunger /Diaphragm
4	MOC		NAB/SS
5	Scope		IVIROTEC
6	Quantity	Nos	1

No	Description	Unit	DETAILS
1	Feed Capacity	M3/Hr	11.36
2	Model		250H90
3	Design Pressure	Bar	90



4	Number of Module		62
5	Membrane area	M2	620
6	Quantity	Nos	1
7	MOC		
	Membranes		TFC Polyamide
	Disc		ABS
	Module Steel parts		SS 316
	Wrapping vessel		FRP
	Skid		MSEP/ MS Powder coated
	Piping – Low pressure		UPVC
	Piping – High pressure		SS 316
8	No of stages	Nos	3

BOOSTER PUMP

No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3/Hr	Suitable
2	Head	Bar	6
3	Type		Centrifugal
4	MOC		SS 316
5	Scope		IVIROTEC
6	Quantity	Nos	2

DEGASSER

No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3/Hr	7.4
2	Operating pressure	Bar	Atmospheric
3	Type		Tower
4	MOC		FRP
5	Scope		IVIROTEC
6	Quantity	Nos	1

HYDRO PRODCUT WATER TANK

No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3	20 M3
2	MOC		HDPE
3	Scope		IVIROTEC
4	Quantity	Nos	One

POLISHING RO FEED PUMP

No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3/Hr	Suitable
2	Head	Bar	Suitable
3	Type		Centrifugal
4	MOC		SS 316
5	Scope		Ivirotec
6	Quantity	Nos	One

POLOSHING UNIT

No	Description	Unit	Details
1	Capacity	KLD	150-162
2	Type		ESPRO - Engineered spacer – spiral wound reverse osmosis
3	MOC		
	Membranes		CPA
	Vessels		FRP
	Skid		MS Powder coated/ Epoxy painted
	Piping		Low pressure – UPVC High pressure – SS
4	Type		Skid mounted RO unit with following items 1. Micron filter – 5 Microns

			2. HP Pump with suitable pressure and capacity – Centrifugal with SS MOC
			3. Skid with array arrangement

FINAL PRODCUT WATER TANK

No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3	20 M3
2	MOC		HDPE
3	Scope		IVIROTEC
4	Quantity	Nos	One

FINAL PRODCUT TRNASFER PUMP

No	Description	Unit	Details
1	Capacity	M3/Hr	8
2	Head	Bar	2.5
3	Type		Centrifugal
4	MOC		SS 316
5	Scope		By Ivrotec
6	Quantity	Nos	One

CIP TANK

No	Description	Unit	Details
1	Scope		Ivrotec
2	Capacity	Ltirs	1000
3	MOC		LDPE/HDPE
4	Type		Cylindrical
5	Quantity	Nos	One

CONTROL PANEL

No	Description	Unit	Details
1	Scope		Ivirotec
2	Type		Standalone – Microprocessor (PLC) based.
3	Operation		Through HMI
4	Electric cabinet		Non compartmentalized
5	Quantity	Nos	One

TSS/HEAVY METAL REDUCTION UNIT

No	Description	Unit	Details
A	CLARIFIER		
1	Scope		Ivirotec
2	Type		Lamella /HRSCC
3	Capacity	M3/hr	11.36
4	Operation		Continuous
5	MOC		
	Structure		RCC
	Mechanism / Internal		MS
B	COAGULANT DOSING		
	Dosing Tank		
	Capacity	Ltrs	200 L
	MOC		HDPE
	Dosing pump		
	Capacity	LPH	20
	MOC		PP
	Type		Diaphragm
B	FLOCCULANT DOSING		
	Dosing Tank		
	Capacity	Ltrs	100 L
	MOC		HDPE
	Dosing pump		

	Capacity	LPH	6
	MOC		PP
	Type		Diaphragm
B	pH BOOSTER DOSING		
	Dosing Tank		
	Capacity	Ltrs	200 L
	MOC		HDPE
	Dosing pump		
	Capacity	LPH	20
	MOC		PP
	Type		Diaphragm

CENTRIFUGE UNIT (OPTIONAL)

No	Description	Unit	Details
A	SLUDGE HOLDING TANK		
1	Scope		Client
2	Type		Rectangular
3	Capacity	M3	10
4	MOC		
	Structure		RCC
	Agitator		MS (IVIROTEC SCOPE)
B	DOSING UNIT		
	Dosing Tank		
	Capacity	Ltrs	100 L
	MOC		HDPE
	Dosing pump		
	Capacity	LPH	5
	MOC		PP
	Type		Diaphragm
C	SLUDGE TRANSFER PUMP		
	Type		Centrifugal/Screw

	Capacity	M3/hr	2
	MOC		CI with SS impeller/ Rotor
	Head	Bar	5
	Quantity	Nos	1
D	CENTRIFUGE		
	Quantity	Nos	1
	Feed flow	M3/hr	2
	MOC		CI/MS

Notes

1. Instruments like pH meter, TDS meter, Flow meter and Pressure switches shall be provided as per our standard. Refer P&ID for the same



5. DESIGN AND OPERATION ANALYSIS

5.1 OPERATION COST- HYDRO WITH POLISHING UNIT

OPERATIONAL COST				
No	Particulars	Unit	Cost considering Normal value	Cost considering max. Value
1	HCL -- for pH correction	₹ / m3 feed	1.00	1.50
2	Antiscalnt	₹ / m3 feed	3.00	3.00
3	Cleaning chemicals	₹ / m3 feed	9.00 - 10.00	12.00 -14.00
4	Spares & Consumables	₹ / m3 feed	5.00	7.00
5	Membrane replacement	₹ / m3 feed	10.00 -11.00	11.00-12.00
6	Power consumption	kwh/m3 feed	3.8-4.3	4.8-5.2

5.1 OPERATION COST- TSS / HEAVY METAL REDUCTION UNIT

OPERATIONAL COST				
No	Particulars	Unit	Cost considering Normal value	Cost considering max. Value
1	Chemicals	₹ / m3 feed	8-10	13-15
2	Power consumption	kwh/m3 feed	<1	<1

Notes

1. Based on feed water quality given in this offer. Changes will affect the overall cost and consumption.
2. Taxes, Transportation not considered. Prices are subject to force majeure and market conditions.
3. Manpower requirement not considered.
4. Plant shall be operated and maintained according to our manual only. Any deviation from the operating procedure shall increase the cost and life of the unit.
5. Power consumption may vary to $\pm 15\%$ due to actual efficiency of the motors.
6. Chemical consumption for the TSS/ Heavy metal reduction unit may vary due to nature of TSS/ Heavy metals.

5.2 OPERATIONAL AND PERFORMANCE CRITERIA

The Operational and performance of the unit is subject to the limitation and criteria given below.

1. Unit is designed based on feed water quality given in this offer. Feed water quality should be same or less. Change in feed water quality or source will impact the product water quality, recovery, cleaning cycle & operational parameters etc.
2. Unit shall be operated and maintained strictly as per our guidelines O&M manuals. Do not operate the plant without our consent in case of change in the feed quality or operating conditions.
3. Oxidation agents, metals, emulsified oil, Permanganate, polymer, Sludge, Precipitated solids, Slime, Extracellular polymeric substances (EPS) etc. shall affect the performance of the system and the membrane life. Hence, the above shall not be present in Feed water.
4. Many solvents are not suitable for the membrane application. We are not considered the presence of any solvents (Organic or Inorganic) in the design. Consult us if any solvent is present in feed.
5. Only specific water given in this offer is considered for designing the plant. Do not change the source of the effluent without our consent.
6. Do not mix CIP waste, Reject water, backwash water etc. with feed water.
7. Antiscalant, Dosing chemicals & cleaning chemicals shall be procured & consumed strictly as per our specifications & approval only. Failure and refusal of the same shall render all warranties.
8. Temperature control is required for feed and CIP in case the plant is operating in lower temperature to maintain the required quality and performance.



Annexure-3

BOQ FOR PURANIYA TRANSFER STATION

S.no.	Description	UDM	Quantity	Unit Rate	Total Amount
1	Excavation and Backfillings (within plant area) up to 1.5mtr	Cum	856.54		
2	Providing, Laying & Fixing GSB (100mm) along with compaction through roller	Cum	188.87		
3	Providing, Laying & Fixing Flooring PCC - 1:5:10 for Base Course	Cum	287.48		
4	Providing, Laying & Fixing RCC flooring - M-25 Grade 200 mm thick (1:1:2)	Cum	833.42		
5	Providing of reinforcement TMT bar of grade Fe500 along with cutting, laying and linding at location.	MT	58.20		
6	Providing and fixing adequate centring and leak proof shuttering for PCC/RCC Work in required shape, size up to any level below plinth and at height up to 5mtrs from FFL	Sqm	676.52		
7	Brick Masonary Work with necessary staging & scaffolding	Cum	68.88		
8	Foundation bolt fixing	Kg	120.00		
9	One coat white wash, 2 Coat putty, 2 Coat weather coat	Sqm	780.51		
10	Plastering upto 15mm till height of 5mtrs (1:4)	Sqm	530.98		
11	Providing, Laying & Fixing Interlocking Tiles (80mm) with Sand	Sqm	448.76		
12	Providing, Laying & Fixing Flooring Tiles with sand & cement	Sqm	61.56		
13	Demolishing RCC work manually by mechanical means including stacking of steel bars and disposal of unserviceable with in the 50 meter lead	Cum	25.00		
14	Providing driving with hydraulic piling rings with power units and installing driven cast in situ reinforced cement concrete piles of M30 of specified diameter and length below pile cap to carry safe work loading not less than specified including the cost of steel reinforcement all complete (400 mm diameter)	Rmtr	56.00		
15	Backfills (PCC) (1:4:8)	Cum	25.00		
16	Supply, Fabrication and Erection of structural shed with one coat primer	MT	40.33		
17	Supply, Fabrication and erection of purlin with one coat primer	MT	21.99		
18	Supply, Fabrication and erection of service ladder	Pcs	1.00		
19	Supply, Fabrication and erection of sheeting 0.5 mm galvalume sheeting SMP5 coating colour green/blue	Sqm	1870.00		
20	Rain gutter 50*50*150*400*170*50	Rmtr	72.00		
21	Drain PVC(Astra/Prakash)-DN120	Mtr	60.00		
22	Drain fittings DN120	Pcs	30.00		



23	Exhaust fan with installation	No.	6.00		
24	Dismantling old hoper and platform railings with Fabrication and erection of new hoper and platform railings with one coat primer loing and unloading cost of materials from gwari to purania	No.	1.00		
25	Bot 24 dia contains nuts	Pcs	140.00		
26	Windows	No.	6.00		
27	Painting fur hoper	Sqm	250.00		
			Total incl GST		

Steel Make: Tata/ Jindal/ SAIL/Essar

Cement Make: Ultratech/ Birla/ JK/ Shri Ram



Annexure-4

Photograph of SC260 Static Compactor Machine – Indore Smart City



Technical Specification for Transfer station Model SC 260


Model	Unit	SC 260
Compressor Chamber Volume	m ³	3
Compress cycle time	sec	41
Theoretical volume capacity	m ³ /h	263
Normal pressure	Mpa	26
Max pressure	Mpa	30
Normal compaction force	kN	320
Max compaction force	kN	370
Power	kW	11
Distance into container	Mm	500
Voltage	V	380
Compaction ratio (@250kg/ m ³ household waste)	t/m ³	0.75 – 0.8



Container:-

General Specification,

The Container are fabricated accordance to the CE machine regulations and ensures the safety if its operator and It environment.



20 m³ Container

The container has a reinforced bottom, walls and roof, The whole construction of the container has three main reinforcement and as well longitudinal reinforcement at each side to avoid deformation of the container during compaction.

The round shaped corners in the container ensure that the discharging will be smoother and at a lower tipping angle. As well no waste will stack in the corner after discharging.

The front of the container has a V-shaped structure with a hook eye. The special structure can bear the forces during on and off-rolling of the container on the hook loader system



At the rear side two heavy duty solid rollers are attached for easy movement of the container on the ground during on – and off – rolling




Heavy Duty Container Roller

Guillotine

Close and open the plate inside the container as to close the container and remain the garbage inside the container.

Guillotine cut off the garbage, and also plays the role of the back door. Guillotine's position is controlled by a approaching switch. By the intelligent control system it runs a couple of cycles of high post compactor force and to press out its elastic property of the waste and to separate the waste from the chamber with the container.

Optimized hydraulic system to balance the stroke of both cylinder at same time.



Advanced drainage and sealing system

- Collection chamber inside the container which functions as swage storage tank;
- Swage collection tray installed on the compactor to collect and guide the swage to the disposal;
- Automatic drain system on the container for drain during the compaction
- A demountable E clip rubber seal installed between container and compactor seal during compaction
- A demountable E clip rubber seal installed between container rear door to seal during compaction and transportation



Technical Specification

The below detailed specification of the container with a loading capacity of 20 m³

Description	Units	Amount
Container effective capacity	m ³	20, Cylindrical Body
Dimension (length x width x height)	mm	
Floor thickness	mm	6
Side wall thickness	mm	4
Weight	Kg	Approx. 4600
Pick-up system		Hook Lift
Cleaning tabs		4 on head board
Drain tabs		2 on side walls at rear
Waste water collection chamber		Inside bottom
Rollers		Two heavy duty solid rollers at rear
Reinforcements		Heavy duty traverses and longitudinal on all sides
Sealing		Omega profile between rear door and last end beam
Tail Door locking		Hydraulic operated on remote Ratchet Mechanism

Annexure-5

PURCHASE ORDER

Ecogreen Energy Lucknow Private Limited

515, Vibhuti Khana, Gomti Nagar,

Lucknow - 226010, Uttar Pradesh

CIN No: 140105HR2017PTC066191

Vendor: EELPL/19/20/595

M/s. Sunrise Technologies

H446, Sector-23, Ganugam (HR)

GST: 09AKHP0002F3Z5

Vendor's Details

Contact Person : Mr. Anil Gupta

Phone no: 9810617291

Email id: sunrise technologies02@gmail.com

WD No: EELPL/19/21-23/53-A

Date: 14.10.2021

Billing Address: Project Code: LND/101

Department: CAT

Dispatch Address:

Ecogreen Energy Private Limited

515, Vibhuti Khana, Gomti Nagar,

Gomti Nagar, Lucknow - 226010, (UP)

GST No: 09AAECES710G1ZT

Ecogreen Energy Private Limited

515, Vibhuti Khana, Gomti Nagar,

Gomti Nagar, Lucknow - 226010, (UP)

GST No: 09AAECES710G1ZT

Subject: Supply of Spares for L10 system Breakdown PCT5 machines placed at Lucknow Project

Reference: As per your final offer dated 21.09.2021

Dear Sir,

We are hereby placing the Purchase order on you for the following:

S.No.	Item Code	Description	UOM	Qty.	Unit Rate	Value
1	BOPHYIS00768	Hyd. Pump, PART NO R063035498 MODEL NO AZPW-21000-RRXXMB-S0590 - with connector (Rewrote, as per approved sample)	Nos	15	9,100	1,36,500
2	BOPHYIS00019	Hyd. Ram Cylinder 100*110*840 mm (Cartra IGassy Hydraulic/equivalent) - 1/2" NPT	Nos	22	27,640	6,08,520
3	BOPHYIS00143	Hyd. Bin Lifting Cylinder 80*50*500; TPSS7A-HYD-001	Nos	10	15,490	1,54,900
4	MCP000500871	Ram Side Metelone, Size 1750x130x48mm	Nos	10	10,890	1,08,900
5	BOPELES01464	CPU ST20, 12D68DO 24V DC RES2881ST200AA0, Siemens make	Nos	5	12,500	62,500
6	BOPELES00015	7 inch color touch screen HMI	Nos	10	20,100	2,01,000
7	BOPELES00577	Glass Relay RDM2LB2BD 24VDC	Nos	10	390	3,900
8	BOPELES00918	Power Contactor 3RT2026 1BB40	Nos	10	2,480	24,800
9	BOPELES0353	Din Plug 24V DC	Nos	15	333	4,995
10	BOPELES00094	Emergency stop switch XBSA5542N Red	Nos	10	335	3,350
11	BOPELES00815	SIEMENS MPOB SPOLE, 3RV2021	Nos	3	5,750	17,250
12	BOPELES00910	Power Contactor SIEMENS (3RT2 3 Pole Contactor - 25 A, 24 V dc Coil, 3RT2026 1BB40	Nos	8	2,520	20,160
13	BOPELES01036	L&T MX0 31E CONECTOR, Rotary Switch 6, Amp 2 P	Nos	2	2,090	4,180
14	BOPELES00705	SIEMENS Relay Base 3POLE,	Nos	5	1,380	6,900
15	BOPELES01020	OMRON GLASS REALY (8 P96) 220/240VAC	Nos	5	490	2,450
16		MCB 63 amp 4 POLE, 5SL4463TRC	Nos	5	1,810	9,050
17		MCB 32 amp 4 POLE, 5SL4432TRC	Nos	5	1,380	6,900
18	BOPELES00749	MCB 16 amp SINGLE POLE, 5SL4116TRC	Nos	5	210	1,050
19	BOPELES00747	MCB 10 Amp Single Pole, 5SL4110TRC	Nos	3	210	630
20	BOPELES00760	MCB 6 Amp Single Pole, 5SL4116TRC	Nos	3	210	630
21	BOPELES00872	PLC MITSUBUSHI (FX3S-30MR/DS) 24V DC	Nos	3	19,100	57,300
22	BOPELES01463	PLC SIEMENS (SIMATIC S7-200 .CPU ST20) SUPPLY4V DC	Nos	2	13,800	27,600

Subtotal 14,55,965

P&F Freight Included

GST @18% 2,62,009

Total Amount (in words) - Rupees Seventeen Lakhs Seventeen Thousand Six Hundred and Fourteen Only.

Total Amount (INR) 17,17,974

Price Basis : FOR THE LKO Transporter warehouse

Payment Terms : As mentioned in terms & Conditions

For Ecogreen Energy Lucknow Pvt. Ltd.

For Sunrise Technologies

This is computer generated document hence signature is not required

Authorised Signatory



Authorised Signatory



Terms & Conditions

1) Scope of Supply

Quantity of PCTI Spares required for B&M of (18 Nos.) PCTI machines at Lucknow Water Station. The detailed scope of supply shall be as per order.

2) Schedule of Payment

25% advance along with order upon submission of order execution copy & invoice shall be paid against PI before dispatch.

3) Schedule of Delivery

Spares shall be delivered maximum within 05 weeks from the date of receipt of advance payment. However, at the early availability of material will deliver within 04 weeks also.

4) Taxes & Duties

Taxes @ 18% included in above Order Value. Any upward and downward variations in the taxes at time of work shall affect the rate accordingly.

5) Liquidated Damages

In the event of delay in supplies carried out by Supplier beyond the agreed completion period due to Supplier's default, Supplier shall pay liquidated damages @ 0.5% of the total order value per day of delay or part thereof subject to a maximum of 5% of the total order value.

6) Freight, Insurance & Packing

Freight upto Transporter warehouse at Lucknow is included in the above Cost.

Packing and forwarding will be in supplier scope and Supplier will provide the complete material in proper packing to avoid any Transit damage.

7) Warranty

One year warranty for any manufacturing defect from the date receipt of invoice. Also, in case of any rejection of product / application for any type of rework including non-working or defected product / application shall be borne by supplier at its own cost and it can not demand any costs for supplying any other repaired product and can not ask Ecogreen that it will be covered in Warranty and Ecogreen have to contact directly to Service Centre.

8) Force Majeure

This PO shall be subjected to force majeure for caused beyond vendor's reasonable control, acts of God, riots, fire, earthquakes, flood, cyclone, explosion, epidemics, war, government orders or restrictions, legal strikes, lock-outs and any events of such severity, neither party shall be liable for the failure to perform any obligation of the PO.

9) Sample arrangement

Any sample provided by us to the vendor/contractor before executing the supplies will be our exclusive property and shall be returned to us immediately on completion of this order.

10) Communication & Co-ordination

All future communications & coordination related to work during the tenure of this work order shall be discussed and marked as follow:-

Corporate office (For Accounts)

Contact Person : Mr. Abhimanyu Chauhan

Phone no. : +91 8010480565

Email id : abhimanyuchauhan@ecogreenenergy.co.in

Project Site office (For Site)

Name : Mr. Shalendra Singh Chauhan

Mobile no : +91 7905609127

Email id : shalendrachaughan@ecogreenerte.com

11) Disputes & Arbitration

In the event of any dispute or difference arising between Ecogreen and Contractor concerning the interpretation or performance of this Contract or relating to this Contract or in connection therewith or the rights and liabilities of either of the parties hereto, the parties shall endeavor to settle the same by mutual agreement. If the parties hereto should fail to settle such difference or dispute by agreement, the same shall be finally settled by arbitration at the request of either of the parties hereto. The arbitration shall be conducted by a panel of three arbitrators, with one (1) arbitrator being selected by Ecogreen and one (1) arbitrator selected by Contractor and umpire selected by the two (2) arbitrators. In the failure of selection of the first two (2) arbitrators within thirty (30) days to name the umpire, the umpire shall be appointed in accordance with the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended and all updates. Such arbitration shall be conducted at Gurgaon in English language. Subject to the aforesaid, the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996, or any statutory modification or re-enactment thereof and the provisions made there-under and for the time being in force, shall apply to the Arbitration proceedings under this Article.

12) Governing Law:

This Purchase Order shall be governed by Indian Laws & Regulations & shall be subjected to courts of competent jurisdiction at Gurgaon, Haryana, India Only.

13) Other Terms & Conditions:-

a) No Price escalation shall be entertained till completion of supplies.

b) Material Test Certificate & Warranty Certificate, if any required along with material invoice.

c) All the Quality Standards & Specification as Provided in Technical Specification shall to be strictly followed by the Supplier and same shall be duly verified by EELP.



d)The Supplier hereby agrees to indemnify, defend and hold the Company, its Affiliates, licensees, licensors, officers, directors, employees, consultants, contractors, subcontractors and agents (collectively, "Representatives") harmless from and against any and all damages or other amounts payable to a Third Party claimant, as well as any reasonable attorneys' fees and costs of litigation (collectively, "Damages") arising out of or resulting from any claim, suit, proceeding or cause of action (each, a "Claim") brought by a Third Party against the Contractor or its Representatives based on:

- * breach of any representation or warranty by the Indemnifying Party contained in this work order,
- * breach of any applicable Law by such Indemnifying Party, or
- * gross negligence or willful misconduct by such Indemnifying Party, its Affiliates, or their respective employees, contractors or agents.

You are requested to return the duplicate copy of the Purchase Order duly signed & stamped one each page as a token of your confirmation of acceptance within three (3) days. Otherwise will be treated as accepted.

For Eongreen Energy Lucknow Pvt. Ltd.



For Sunrise Technologies

[Handwritten Signature]
Authorized Signatory

This is computer generated document hence signature is not required
Authorized Signatory





PURCHASE ORDER
Ecogreen Energy Lucknow Private Limited
 515, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
 Lucknow - 226010, Uttar Pradesh

CIN NO. - U05184HQ017PTC008113

Vendor: EELPL/21-22/1072 M/s. United Facilities and Logistics Pvt. Ltd (Swachhita) C-15, South Side G. T. Road Industrial Area, Ghazabad - 201002 (UP) GST: 09AABC09445M12N	WO No. EELPL/ST/21-22/83-B Date 14.05.2021
Vendor's Details Contact Person : Mr. AK Sahani Phone no. : 7832806785 Email id : puri@unitedfacilities.co.in	

Billing Address: Ecogreen Energy Private Limited 515, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Gomti Nagar, Lucknow - 226010, (UP). GST No: 09AAEC5710G12T	Project Code: LKO/101 Department: C&T	Dispatch Address: Ecogreen Energy Private Limited 515, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Gomti Nagar, Lucknow - 226010, (UP). GST No: 09AAEC5710G12T
--	--	--

Subject : Supply of Spares for (16) sixteen Breakdown PCTS machines placed at Lucknow Project
Reference : As per your final offer dated 22.05.2021

Dear Sir,
 We are hereby placing the Purchase order on you for the following.

S.no.	Item Code	Description	UOM	Qty.	Unit Rate	Value
1	BOPFLBS00171	Hydraulic suction filter	Nos	20	1911	38,220
2	BOPFLBS00156	Return Line Filter Element	Nos	20	1966	39,320
3	PLS000000066	Ram Plate	Nos	3	7096	21,288
4	PLS000000067	Ram Plate	Nos	3	6515	19,545
5	PLS000000068	Ram Plate	Nos	3	6515	19,545
6	MCP000S01008	PN OD50, L 160mm (Ram cyl. Pin)	Nos	10	983	9,830
7	MCP000S00016	BLOCK 90*90*60	Nos	10	1029	10,290
8	MCP000S00774	BLOCK 40*40*80	Nos	10	637	6,370
9	BOPRUBS00015	RUBBER O0110, L190	Nos	10	606	6,060
10	BOPRUBS00011	RUBBER PAD SIZE 55*50*150 (200x40x70)	Nos	10	461	4,610
11	BOPRUBS00012	D Type with flap Epdm Rubber Extrusion (Rear Door Rubber)	Nos	10	679	6,790
12	BOPELES00040	Over Load Relay 11A to 16A	Nos	10	1166	11,660
13	FAB000S00414	Bin Lifting Arm (Left & Right) Hook for PC	Nos	20	7544	1,52,880
14	BOPFLBS00171	Hyd. Suction, Strainer-SC-3-015	Nos	20	1470	29,400
15	BOPFLBS00147	Return Line Filter (Line Mounted)	Nos	20	4116	82,320
16	BOPELES01039	Rotary switch 6 Amp 2 P	Nos	20	255	5,100
17		Hose Pipe 5/8 Y800 mm	Nos	10	1911	19,110
18		Vibration Pad (Round)	Nos	20	451	9,020
19		Allen Key Nut & Bolt (120*90) Metric Size	Nos	200	88	17,600
20	BOPHARS00176	Hexagonal Head, Bol. IS1364, Size M12X60 mm (locknut)	Nos	100	44	4,400
21	BOPHARS00161	Hexagonal Head, Bol. IS1364, Size M10X30 mm	Nos	10	37	370
22	BOPHARS00247	H.T. Bolt M8X30 mm	Nos	50	26	1,300
23	BOPHARS00271	Hex Head Bolt, M8x1.25x60 mm, Full Thread.	Nos	100	26	2,600
24	MCP000S01913	RATCHET BRACKET	Nos	10	10290	1,02,900
				Subtotal		6,21,028
				P&F freight		Included
				GST @18%		1,11,785
Total Amount (in words) - Rupees Seven Lakh Thirty Two Thousand Eight Hundred and Thirteen Only.				Total Amount (INR)		7,32,813

Price Basis : FOB NR LKO Transporter Warehouse
 Payment Terms : As mentioned in terms & Conditions
 For Ecogreen Energy Lucknow Pvt. Ltd. For United Facilities and Logistics Pvt. Ltd (Swachhita)

This is computer generated document hence signature is not required
 Authorised Signatory Authorised Signatory



Terms & Conditions

1) Scope of Supply:

Supply of PCTS Spares required for R&M of (26 No.) PCTS machines at Lucknow Project location. The detailed scope of supply shall be as per order.

2) Schedule of Payment:

25% advance along with order upon submission of order acceptance entry & balance shall be paid against PO before dispatch.

3) Schedule of Delivery:

Spares shall be delivered maximum within 04 weeks from the date of release of advance payment. However, to get early availability of materials will deliver within 2-3 weeks also.

4) Taxes & Duties:

Taxes @ 18% included in above Order Value. Any upward and downward variations in the taxes as rates of work shall affect the cost accordingly.

5) Liquidated Damages:

In the event of delay in supplies carried out by Supplier beyond the agreed completion period due to Supplier's default, Supplier shall pay liquidated Damages @ 0.5% of the total order value per day of delay or part thereof subject to a maximum of 3% of the total order value.

6) Freight, Insurance & Packing:

Freight upto Transporter warehouse at Lucknow is included in the above Cost.

Packing and Forwarding will be in supplier scope and Supplier will provide the complete material in proper packing to avoid any Transit damage.

7) Warranty:

One year warranty for any manufacturing defect from the date receipt of invoice. Also, in case of any rejection of product / application for any type of reason including non-working or defected product / application shall be heard by supplier at its own cost and it can not demand any costs for supplying any other replaced product and can not ask Ecogreen that it will be covered in Warranty and Ecogreen have to contact directly to Service Centre.

8) Force Majeure

This PO shall be subjected to force majeure for causes beyond vendor's reasonable control, acts of God, riot, fire, earthquakes, flood, cyclone, explosion, terrorism, war, government orders or restrictions, legal strikes, lock-outs and any events of such severity, neither party shall be liable for the failure to perform any obligation of the PO.

9) Sample arrangement

Any sample provided by us to the vendor/contractor before executing the supplies will be our exclusive property and shall be returned to us immediately on completion of this order.

10) Communication & Co-ordination:-

All future communications & coordination related to work during the tenure of this work order shall be discussed and marked as follows:-

Corporate office (For Accounts)

Contact Person : Mr. Abhimanyu Chauhan

Phone no : +91 8010480665

Email id : abhimanyuchauhan@ecogreenenergy.co.in

Project Site office (For Site)

Name : Mr. Shalendra Singh Chauhan

Mobile no : +91 7905609227

Email id : shalendrachauhan@ecogreenwts.com

11) Disputes & Arbitration:

In the event of any dispute or difference arising between Ecogreen and Contractor concerning the interpretation or performance of this Contract or relating to this Contract or in connection therewith or the rights and liabilities of either of the parties hereto, the parties shall endeavor to settle the same by mutual agreement. If the parties hereto should fail to settle such difference or dispute by agreement, the same shall be finally settled by arbitration at the request of either of the parties hereto. The arbitration shall be conducted by a panel of three arbitrators, with one (1) arbitrator being selected by Ecogreen and one (2) arbitrator selected by Contractor and umpire selected by the two (2) arbitrators. In the failure of selection of the first two (2) arbitrators within thirty (30) days to name the umpire, the umpire shall be appointed in accordance with the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended and all updates.

Such arbitration shall be conducted at Gurgaon in English language. Subject to the aforesaid, the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996, or any statutory modification or re-enactment thereof and the provisions made there-under and for the time being in force, shall apply to the Arbitration proceedings under this Article.

12) Governing Laws:

This Purchase Order shall be governed by Indian Laws & Regulations & shall be subjected to courts of competent jurisdiction at Gurgaon, Haryana, India Only.

13) Other Terms & Conditions:-

a) No Price escalation shall be entertained till completion of supplies

b) Material Test Certificate & Warranty Certificate, if any required along with material invoice.

c) All the Quality Standards & Specification as Provided in Technical Specification(s) should be strictly followed by the Supplier and same shall be duly verified by EETPL.



(d) The Supplier hereby agrees to indemnify, defend and hold the Company, its Affiliates, licensees, licensors, officers, directors, employees, consultants, contractors, sublicensees and agents (collectively, "Representatives") harmless from and against any and all damages or other amounts payable to a Third Party claimant, as well as any reasonable attorneys' fees and costs of litigation (collectively, "Damages") arising out of or resulting from any claim, suit, proceeding or cause of action (each, a "Claim") brought by a Third Party against the Contractor or its Representatives based on:

- * breach of any representation or warranty by the Indemnifying Party contained in this work order,
- * breach of any applicable Law by such Indemnifying Party, or
- * gross negligence or willful misconduct by such Indemnifying Party, its Affiliates, or their respective employees, contractors or agents.

You are requested to return the duplicate copy of the Purchase Order duly signed & stamped one each page as a token of your confirmation of acceptance within three (3) days. Otherwise will be treated as accepted.

For Ecogreen Energy Lucknow Pvt. Ltd.

For United Facilities and Logistics Pvt. Ltd (Swachhita)

This is computer generated document hence signature is not required.

Authorized Signatory

Authorized Signatory



PURCHASE ORDER

Ecogreen Energy Lucknow Private Limited

S15, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226010, Uttar Pradesh

CIN No. - UAD109HR2017FTC068153

Vendor: EEFL/19/20/35 M/s. Sunrise Technologies E1486, Sector-23, Gurgaon (HR) GST: 09AAEH0829125 Vendor's Details Contact Person : Mr. Anil Gupta Phone No. : 9810617291 mail id : sunshinetech@logixs2@gmail.com	WO No. EEPL/ST/21-22/63-A Date 14.10.2021
---	--

Billing Address: Project Code: LKO/101 Department: C&T Ecogreen Energy Private Limited S15, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Gomti Nagar, Lucknow - 226010, (UP) GST No: 09AAE05710G127	Dispatch Address: Ecogreen Energy Private Limited S15, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Gomti Nagar, Lucknow - 226010, (UP). GST No: 09AAE05710G127
--	--

Subject : Supply of spares for (36) sixteen breakdown PCTs machines placed at Lucknow Project

Reference : As per your final offer dated 22.09.2021

Dear Sir,

We are hereby placing the Purchase order on you for the following:

S.No.	Item Code	Description	UOM	Qty.	Unit Rate	Value
1	BOPHYIS00258	Hyd. Pump, PAINT NO 108J035498, MODEL NO A2PW-21008-RRXXMS-50593 with connector (Rowroth, as per approved sample)	Nos	15	9,100	1,36,500
2	BOPHYIS00078	Hyd. Ram Cylinder 100*70*840 mm (Carera /Gatory Hydraulic/Equivalent Le Kerala)	Nos	22	27,660	6,08,520
3	BOPHYIS00143	Hyd. Bin Lifting Cylinder 80*58*600, TPS57A-HYD-001	Nos	10	15,490	1,54,900
4	MCP000500871	Ram Side Motor, Size 1750x130x48mm	Nos	10	10,890	1,08,900
5	BOPELES01484	CPU ST20, 120H80 24V DC 6ES72081ST200AA0, Siemens make	Nos	5	12,500	62,500
6	BOPELES00013	7 inch color touch screen HM	Nos	10	20,100	2,01,000
7	BOPELES00577	Glass Relay RXM2LB2B0 24VDC	Nos	10	390	3,900
8	BOPELES00918	Power Contactor 3RT20261BB40	Nos	10	2,480	24,800
9	BOPELES00351	DiN Plug 24V DC	Nos	15	333	4,995
10	BOPELES00394	Emergency stop switch XB5AS542N Red	Nos	10	325	3,250
11	BOPELES00815	SIEMENS MPCB 3POLE, 3RVJ021	Nos	3	5,750	17,250
12	BOPELES00918	Power Contactor SIEMENS (3RT2) 3 Pole Contactor - 25 A, 24 V ac Coil, 3RT20261BB40	Nos	5	2,520	12,600
13	BOPELES01039	LMT600 3TE CONECTOR, Rotary Switch 6, Amp 2 P	Nos	2	2,090	4,180
14	BOPELES00705	SIEMENS Relay Base 3POLE,	Nos	4	1,580	6,300
15	BOPELES01020	OMRON GLASS REALY (B PIN) 220/240VAC	Nos	5	450	2,250
16		MCB 63 amp 4 POLE, 5SL44537RC	Nos	5	1,810	9,050
17		MCB 32 amp 4 POLE, 5SL44327RC	Nos	5	1,380	6,900
18	BOPELES00749	MCB 16 amp SINGLE POLE, 5SL41167RC	Nos	9	210	1,890
19	BOPELES00747	MCB 10 Amp Single Pole, 5SL41107RC	Nos	3	210	630
20	BOPELES00760	MCB 6 Amp Single Pole, 5SL41167RC	Nos	3	210	630
21	BOPELES00872	PLC MITSUBUSHI (FX3S-30MR0S) 24V DC	Nos	3	19,100	57,300
22	BOPELES01463	PLC SIEMENS (SIMATIC 57-200 ,CPU ST20) SUPPLY4V DC	Nos	2	11,800	23,600

Subtotal 14,55,605

P&F, Freight included

GST @18% 2,62,009

Total Amount (in words) - Rupees Seventeen Lakhs Seventeen Thousand Six Hundred and Fourteen Only.

Total Amount (INR) 17,17,614

Price Basis : FOR BIL LKO Transporter warehouse

Payment Terms : As mentioned in terms & Conditions

For Ecogreen Energy Lucknow Pvt. Ltd.

For Sunrise Technologies

This is computer generated document hence signature is not required

Authorized Signatory



Terms & Conditions

1) Scope of Supply:

Supply of PCTS System required for R&AD of (E) No. PCTS machines as customer Project/mission. The detailed scope of supply shall be as per order.

2) Schedule of Payment:

25% advance along with order upon submission of order acceptance form & balance shall be paid against PI before dispatch.

3) Schedule of Delivery:

Goods shall be delivered maximum within 08 weeks from the date of receipt of advance payment. However, as per early availability of material will deliver within 08 weeks plus.

4) Taxes & Duties:

Taxes @ 18% included in above Order Value. Any upward and downward variations in the rates at time of work shall affect the rate accordingly.

5) Liquidated Damages:

In the event of delay in supplies carried out by supplier beyond the agreed completion period due to Supplier's default, Supplier shall pay liquidated damages @ 1% of the total order value per day of delay or part thereof subject to a maximum of 5% of the total order value.

6) Freight, Insurance & Packing:

Freight upto Transporter warehouse at Lucknow is included in the above Cost.

Packing and Forwarding will be in supplier scope and Supplier will provide the complete material in proper packing to avoid any Transit damage.

7) Warranty:

One year warranty for any manufacturing defect from the date receipt of invoice. Also, in case of any rejection of product / application for any type of reason including non-working of detected product / application shall be borne by supplier at its own cost and it can not demand any costs for supplying any other replace product and can not ask Ecogreen that it will be covered in Warranty and Ecogreen have to contact directly to Service Centre.

8) Force Majeure

This PO shall be subjected to force majeure for causes beyond vendor's reasonable control, acts of God, riots, fire, earthquakes, flood, cyclone, explosion, economic war, government orders or restrictions, legal strikes, lock-outs and any events of such severity, neither party shall be liable for the failure to perform any obligation of the PO.

9) Sample arrangement

Any sample provided by us to the vendor/contractor before executing the supplies will be our exclusive property and shall be returned to us immediately on completion of this order.

10) Communication & Co-ordination:-

All future communications & coordination related to work during the tenure of this work order shall be discussed and marked as follows:

Corporate office (For Accounts)

Contact Person : Mr. Abhinav Chauhan

Phone no : +91 8210480685

Email id : abhinavchauhan@ecogreenenergy.co.in

Project Site office (For Site)

Name : Mr. Shalendra Singh Chauhan

Mobile no : +91 7905609127

Email id : shalendrachauhan@ecogreenwte.com

11) Disputes & Arbitration:

In the event of any dispute or difference arising between Ecogreen and Contractor concerning the interpretation or performance of this Contract or relating to this Contract or in connection therewith or the rights and liabilities of either of the parties hereto, the parties shall endeavor to settle the same by mutual agreement. If the parties hereto should fail to settle such difference or dispute by agreement, the same shall be finally settled by arbitration at the request of either of the parties hereto. The arbitration shall be conducted by a panel of three arbitrators, with one (1) arbitrator being selected by Ecogreen and one (1) arbitrator selected by Contractor and umpire selected by the two (2) arbitrators. In the failure of selection of the first two (2) arbitrators within thirty (30) days to name the umpire, the umpire shall be appointed in accordance with the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended and all updates. Such arbitration shall be conducted at Gurgaon in English language. Subject to the aforesaid, the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996, or any statutory modification or re-enactment thereof and the provisions made there-under and for the time being in force, shall apply to the Arbitration proceedings under this Article.

12) Governing Laws:

This Purchase Order shall be governed by Indian Laws & Regulations & shall be subjected to courts of competent jurisdiction at Gurgaon, Haryana, India Only.

13) Other Terms & Conditions:

a) No Price escalation shall be entertained till completion of supplies.

b) Material Test Certificate & Warranty Certificate, if any required along with material invoice.

c) All the Quality Standards & Specification as Provided in Technical Specification(s) should be strictly followed by the Supplier and same shall be duly verified by EILP.



The Supplier hereby agrees to indemnify, defend and hold the Company, its Affiliates, licensees, licensors, officers, directors, employees, consultants, contractors, sublicensees and agents (collectively, "Representatives") harmless from and against any and all damages or other amounts payable to a Third Party claimant, as well as any reasonable attorneys' fees and costs of litigation (collectively, "Damages") arising out of or resulting from any claim, suit, proceeding or cause of action (each, a "Claim") brought by a Third Party against the Contractor or its Representatives based on:

- * breach of any representation or warranty by the Indemnifying Party contained in this work order,
- * breach of any applicable law by such Indemnifying Party, or
- * gross negligence or willful misconduct by such Indemnifying Party, its Affiliates, or their respective employees, contractors or agents.

You are requested to return the duplicate copy of the Purchase Order duly signed & stamped one each page as a token of your confirmation of acceptance within three (3) days. Otherwise will be treated as accepted.

For Ecogreen Energy Lucknow Pvt. Ltd.

For Sunrise Technologies

This is computer generated document hence signature is not required

Authorised Signatory

Authorised Signatory



PURCHASE ORDER

Ecogreen Energy Lucknow Private Limited
515, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226010, Uttar Pradesh

CPN No. - LW03(RH)20(777)00010

Vendor: EELPL/21-22/1072

M/s. United Facilities and Logistics Pvt. Ltd (Swachhta)
C-15, Sector 106 G, T-Road Industrial Area, Ghazipur - 201002 (UP)

GST: 09AAACU9445M12N

Vendor's Details

Contact Person: Mr. A.K. Sahani
Phone no: 9851809095
Email ID: purchase@swachhta.co.in

WO No. EELPL/21/22/03-B
Date 14.10.2021

Billing Address: Project Code: LKD/103 Department: C&T

Ecogreen Energy Private Limited
515, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Gomti Nagar, Lucknow - 226010, (UP)

GST No: 09AAACES710G12T

Dispatch Address:
Ecogreen Energy Private Limited
515, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Gomti Nagar, Lucknow - 226010, (UP),
GST No: 09AAACES710G12T

Subject: Supply of Spares for (18) screen Breakdown (CT) machines placed at Lucknow Project

Reference: As per your final offer dated 22.09.2021.

Dear Sir,

We are hereby placing the Purchase order on you for the following.

S.No.	Item Code	Description	UOM	Qty	Unit Rate	Value
1	BOPFL500171	Hydraulic suction filter	Nos	20	1311	26,220
2	BOPFL500156	Return Line filter Element	Nos	20	1966	39,320
3	PL500000066	Form Plate	Nos	3	7056	21,168
4	PL500000067	Form Plate	Nos	3	6615	19,845
5	PL500000068	Form Plate	Nos	3	6515	19,545
6	MCP00501008	4M ODS, L 160mm (Ram cyl) (R)	Nos	10	983	9,830
7	MCP00500018	BLOCK 90*60*90	Nos	10	1020	10,200
8	MCP00500174	BLOCK 40*40*80	Nos	10	637	6,370
9	BOPRUB500013	RUBBER OD110, L190	Nos	10	608	6,080
10	BOPRUB500011	RUBBER PAD SIZE 90*50*150 (200x40x70)	Nos	10	461	4,610
11	BOPRUB500012	D Type with flap Epdm Rubber Extrusion (Rear Door Rubber)	Nos	10	670	6,700
12	BOPELES00040	Over Load Relay 11A to 16A	Nos	10	1100	11,000
13	FAD000500K14	Bin Lifting Arm (Left & Right) Hook for PC	Nos	20	1644	1,52,880
14	BOPFL500171	Hyd. Suction, Strainer-SC-3-015	Nos	20	1470	29,400
15	BOPFL500147	Return Line Filter (Line Mounted)	Nos	20	4118	82,360
16	BOPELES01039	Rotary switch 6 Amp 2 P	Nos	20	255	5,100
17		Hose Pipe 5/8 Y800 mm	Nos	10	1811	18,110
18		Vibration Pad (Round)	Nos	20	451	9,020
19		Allen Key Nut & Bolt (120*90) Metric Size	Nos	200	88	17,600
20	BOPHARS00176	Hexagonal Head, Bolt, IS1364, Size M12X60 mm (locknut)	Nos	100	44	4,400
21	BOPHARS00161	Hexagonal Head, Bolt, IS1364, Size M10X30 mm.	Nos	10	37	370
22	BOPHARS00247	H.T. Bolt M8X30 mm	Nos	50	26	1,300
23	BOPHARS00271	Hex Head Bolt, M8x1.25x80 mm, Full Thread.	Nos	100	26	2,600
24	MCP00501913	RATCHET BRACKET	Nos	10	10290	1,02,900
					Subtotal	6,21,028
					P&F, Freight	Included
					GST @18%	1,11,785
Total Amount (in words) - Rupees Seven Lakh Thirty Two Thousand Eight Hundred and Thirteen Only.					Total Amount (INR)	7,32,813

Price Basis: FOR 01 LKD Transporter warehouse

Payment Terms: As mentioned in terms & Conditions

For Ecogreen Energy Lucknow Pvt. Ltd.

For United Facilities and Logistics Pvt. Ltd (Swachhta)

This is computer generated document hence signature is not required

Authorized Signatory

Authorized Signatory

MOUPLT 10/21

Terms & Conditions

1) Scope of Supply:

Supply of PCTS Spares required for R&M of (16 Nos.) PCTS machines at Lucknow Project location. The detailed scope of supply shall be as per order.

2) Schedule of Payment:

25% advance along with order upon submission of order acceptance copy & invoice shall be paid against PO before shipment.

3) Schedule of Delivery:

Spare shall be delivered maximum within 04 weeks from the date of release of advance payment. However, as per early availability of material will deliver within 2-3 weeks also.

4) Taxes & Duties:

Taxes @ 18% included in above Order Value. Any upward and downward variations in the taxes at time of work shall affect the rate accordingly.

5) Liquidated Damages:

In the event of delay in supplies carried out by supply beyond the agreed completion period (due to Supplier's default, Supplier shall pay liquidated damages @ 0.5% of the total order value per day of delay or part thereof subject to a maximum of 5% of the total order value.

6) Freight, Insurance & Packing:

Freight upto Transporter Warehouse at Lucknow is included in the above Cost.

Packing and Forwarding will be in supplier scope and Supplier will provide the complete material in proper packing to avoid any Transit damage.

7) Warranty:

One year warranty for any manufacturing defect from the date receipt of invoice. Also, in case of any rejection of product / application for any type of reason including non-working or defective product / application shall be borne by supplier at its own cost and it can not demand any cost for supplying any other repaired product and can not ask Ecogreen that it will be covered in Warranty and Ecogreen have to contact directly to Service Centre.

8) Force Majeure

This PO shall be subjected to force majeure for causes beyond vendor's reasonable control, acts of God, riots, fire, earthquakes, flood, cyclone, explosion, epidemic, war, government orders or restrictions, legal strikes, lock-outs and any events of such severity, neither party shall be liable for the failure to perform any obligation of the PO.

9) Sample arrangement

Any sample provided by us to the vendor/contractor before executing the supplies will be our exclusive property and shall be returned to us immediately on completion of this order.

10) Communication & Co-ordination:-

All future communications & coordination related to work during the tenure of this work order shall be discussed and marked as follows:-

Corporate office (For Accounts)

Contact Person : Mr. Abhimanyu Chauhan
Phone no : +91 8010480665
Email id : abhimanyuchauhan@ecogreenenergy.co.in

Project Site office (For Site)

Name : Mr. Shalendra Singh Chauhan
Mobile no : +91 7905609127
Email id : shalendrachauhan@ecogreenwtd.com

11) Dispute & Arbitration:

In the event of any dispute or difference arising between Ecogreen and Contractor concerning the interpretation or performance of this Contract or relating to this Contract or in connection therewith or the rights and liabilities of either of the parties hereto, the parties shall endeavor to settle the same by mutual agreement. If the parties hereto should fail to settle such difference or dispute by agreement, the same shall be finally settled by arbitration at the request of either of the parties hereto. The arbitration shall be conducted by a panel of three arbitrators, with one (1) arbitrator being selected by Ecogreen and one (2) arbitrator selected by Contractor and umpire selected by the two (2) arbitrators. In the failure of selection of the first two (2) arbitrators within thirty (30) days to name the umpire, the umpire shall be appointed in accordance with the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended and all updates. Each arbitration shall be conducted in Gurgaon in English language. Subject to the aforesaid, the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996, or any statutory modification or re-enactment thereof and the provisions made there-under and for the time being in force, shall apply to the Arbitration proceedings under this Article.

12) Governing Laws:

This Purchase Order shall be governed by Indian Laws & Regulations & shall be subjected to courts of competent jurisdiction at Gurgaon, Haryana, India Only.

13) Other Terms & Conditions:-

a) No Price escalation shall be entertained till completion of supplies.

b) Material Test Certificate & Warranty Certificate, if any required along with material invoice.

c) All the Quality Standards & Specification as Provided in Technical Specification(s) should be strictly followed by the Supplier and same shall be duly verified by EELPL.



The Supplier hereby agrees to indemnify, defend and hold the Company, its Affiliates, licensees, licensors, officers, directors, employees, consultants, contractors, sublicensees and agents (collectively, "Representatives") harmless from and against any and all damages or other amounts payable to a Third Party claimant, as well as any reasonable attorneys' fees and costs of litigation (collectively, "Damages") arising out of or resulting from any claim, suit, proceeding or cause of action (each, a "Claim") brought by a Third Party against the Contractor or its Representatives based on:

- * breach of any representation or warranty by the indemnifying Party contained in this work order,
- * breach of any applicable Law by such indemnifying Party, or
- * gross negligence or willful misconduct by such indemnifying Party, its Affiliates, or their respective employees, contractors or agents.

You are requested to return the duplicate copy of the Purchase Order duly signed & stamped one each page as a token of your confirmation of acceptance within three (3) days. Otherwise will be treated as accepted.

For Ecogreen Energy Lucknow Pvt. Ltd.

For United Facilities and Logistics Pvt. Ltd (Swachhta)

This is computer generated document hence signature is not required

Authorised Signatory

Authorised Signatory



प्रेषक,

निदेशक,
नगर निकाय, उ०प्र०,
सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन,
नगर विकास अनुभाग-5,
लखनऊ।

संख्या:-2/969 / 151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021,

लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2021

विषय:- मा० एन०जी०टी० के ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम् म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया निदेशालय के पत्र संख्या-2/914/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 26-10-2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मा० एन०जी०टी० के ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम् म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त स्थिति से शासन को अवगत कराया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में निम्न विवरण के अनुसार संबंधित अधिशासी अधिकारियों को आरोप पत्र तामील करा दिया गया है। तामीली रसीद की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

क्रमांक	जनपद	अधिशासी अधिकारी का नाम	आरोप पत्र संख्या एवं दिनांक	जांच अधिकारी का नाम	आरोप पत्र तामीली का दिनांक
1	संतकबीर नगर	श्रीमती बीना सिंह, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, सम्प्रति अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	2/950/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
2	संतकबीर नगर	श्रीमती ज्योतिमा वर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीरनगर	2/951/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
3	अम्बेडकरनगर	श्री उमेश कुमार पासी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, इल्फातगंज, जनपद- अम्बेडकरनगर	2/952/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
4	देवरिया	श्री चन्द्र कृष्ण पाण्डेय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गौराबरहज, जनपद- देवरिया	2/953/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
5	मऊ	श्रीमती ऋचा सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत दोहरीघाट (मऊ)	2/955/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
6	गोरखपुर	श्री अविनाश मल्ल, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बड़हलगंज (गोरखपुर)	2/954/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(गंगा राम गुप्ता)
संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी।

संख्या व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि सचिव/राज्य मिशन निदेशक, अमृत को सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा राम गुप्ता)
संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी।

जाह
12/11/21

प्रेषक,

निदेशक,
नगर निकाय, उ०प्र०,
सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन,
नगर विकास अनुभाग-5,
लखनऊ।

संख्या:-2/969/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021,

लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2021

विषय:- मा० एन०जी०टी० के ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर व अन्य में निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया निदेशालय के पत्र संख्या-2/914/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 26-10-2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मा० एन०जी०टी० के ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर व अन्य में निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त स्थिति से शासन को अवगत कराया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में निम्न विवरण के अनुसार संबंधित अधिशासी अधिकारियों को आरोप पत्र तामील करा दिया गया है। तामीली रसीद की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

क्रमांक	जनपद	अधिशासी अधिकारी का नाम	आरोप पत्र संख्या एवं दिनांक	जांच अधिकारी का नाम	आरोप पत्र तामीली का दिनांक
1	संतकबीर नगर	श्रीमती बीना सिंह, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, सम्प्रति अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	2/950/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
2	संतकबीर नगर	श्रीमती ज्योतिमा वर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीरनगर	2/951/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
3	अम्बेडकरनगर	श्री उमेश कुमार पासी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, इत्फातगंज, जनपद- अम्बेडकरनगर	2/952/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
4	देवरिया	श्री चन्द्र कृष्ण पाण्डेय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गौराबरहज, जनपद- देवरिया	2/953/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
5	मऊ	श्रीमती ऋचा सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत दोहरीघाट (मऊ)	2/955/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021
6	गोरखपुर	श्री अविनाश मल्ल, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बड़हलगंज (गोरखपुर)	2/954/151-एन०जी०टी०/कार्या०/2021, दिनांक 03-11-2021	श्री गंगा राम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	12-11-2021

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(गंगा राम गुप्ता)

संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी।

संख्या व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि सचिव/राज्य मिशन निदेशक, अमृत को सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा राम गुप्ता)

संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी।

कार्यालय: नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र० सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

संख्या-2/950 / 151-एन०जी०टी०/कार्य०/2021

दिनांक 03 नवम्बर, 2021

आरोप पत्र

श्रीमती बीना सिंह,
तत्कालीन अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, खलीलाबाद (संतकबीरनगर),
सम्प्रति अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, अकबरपुर (अम्बेडकरनगर)।

नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की कार्यरत अवधि दिनांक 15.06.2017 से 24.07.2021 तक आपके द्वारा मा०एन०जी०टी० के आदेशों का अनुपालन विलम्ब से करने हेतु आपको निम्नवत् आरोपित किया जाता है:-

आरोप संख्या-1

आप पर प्रथम आरोप है कि आप अधिशासी अधिकारी के पद पर नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, संतकबीर नगर में दिनांक 15.06.2017 से 24.07.2021 तक कार्यरत थीं व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 यथासंशोधित 2018, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 (ज व फ) आदि के नियमों का अनुपालन लोक स्वास्थ्य/जलीय जीवों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत आपके बाध्यकारी दायित्वों एवं अनिवार्य कर्तव्यों के अन्तर्गत आता है। पर्यावरणीय नियमों के संरक्षण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र०, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, निदेशक, नगर निकाय द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार कार्यवाही करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन तथा प्रोसेसिंग), प्लास्टिक/लीगेसी वेस्ट प्रबन्धन, नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए लिक्विड वेस्ट/सीवर वेस्ट को अन्तरिम उपाय-बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन की विधि से उपचारोपरान्त ही नदी में प्रवाहित करने, पाल्यूटेड रिवर स्ट्रैच के दृष्टिगत रिवर एक्शन प्लान के अनुसार वांछित कार्यवाही करने तथा मा० एन०जी०टी० के पर्यावरणीय नियमों/ आदेशों के अनुपालन हेतु अधिशासी अधिकारियों को उनकी तैनाती निकाय के लिए उत्तरदायी अधिकारी/नामित प्राधिकारी माना गया है।

अपर निदेशक(प०क०), प्रभारी-नोडल अधिकारी एन०जी०टी०, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-4/3569/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 25.10.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद के पत्रांक-2477 दिनांक 23.10.2021 द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार खलीलाबाद, नगर पालिका परिषद का एक नाला बरदहिया नाला जो आमी नदी में गिरता है, का औसत फ्लो 1.0 एम०एल०डी० है, जिसका बायोरेमिडिएशन दिनांक 06.01.2021 को काफी विलम्ब से आपकी तैनाती अवधि में किया गया। मा०एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बानाम् म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 में की गयी संस्तुति के अनुसार पृष्ठ सं०-14 पर अंकित बिन्दु सं०-2 में निर्देश दिये गये हैं कि निकाय की सीमान्तर्गत अनुपचारित प्रदूषित जल का अन्तरिम उपचार बायो रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन के माध्यम से दिनांक 01.04.2020 की तिथि से प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा धनराशि रू०-5.00 लाख प्रति माह प्रति नाला पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश हैं। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, खलीलाबाद होने के नाते लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बाध्यकारी आदेशों के अनुपालन में आपके द्वारा शिथिलता व घोर अनुशासनहीनता बरती गयी है और विलम्ब से अपनी निकाय के नाले के जलीय प्रवाह का बायो रेमिडिएशन कराया गया। आपके उक्त कृत्य से शासकीय कार्यों के प्रति आपकी शिथिलता परिलक्षित होती है, जिसके लिए आप दोषी हैं। इस आरोप की पुष्टि में निम्नलिखित साक्ष्य पठनीय हैं:-

- 1- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-पीएमयू/1634/429(12)/2018, दिनांक 26.02.2019
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1355/नो-5-2019-352सा/16, दिनांक 10.04.2019

Received

12.11.2021

- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1743/नौ-5-2019, दिनांक 09 मई, 2019
- 4- सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास विभाग का पत्रांक-101/स०न०वि०(अ)/2019, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019
- 5- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 6- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक (प०/क०)/प्रभारी/नोडल अधिकारी मा० एन०जी०टी०, नगरीय निकाय निदेशालय उ०प्र० का पत्रांक-4/3569/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 25.10.2021
- 7- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-2

आप पर दूसरा आरोप है कि आपके द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की तैनाती अवधि में मा० एन०जी०टी० के पर्यावरण नियमों के अनुपालन हेतु समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन एवं निदेशक, नगरीय निकाय, उ०प्र० द्वारा प्रेषित पत्रों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन विलम्ब से किया गया जो कि उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-7 (ज) व (फ) में दिये गये आपके बाध्यकारी दायित्वों एवं कर्तव्यों का उल्लंघन है। आपका यह कृत्य अधिशासी अधिकारी के पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरतने का द्योतक है जिसके लिए आप दोषी है। उक्त आरोप के समर्थन निम्नलिखित साक्ष्य पठनीय हैं:-

- 1- उ०प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-5 के पत्र संख्या-1355/नौ-5-2019 -352सा/16 दिनांक 10.04.2019
- 2- राज्य मिशन निदेशक(नगरीय) स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय का पत्र संख्या पी०एम०यू०/3626/429 (12) दिनांक 18.02.2020
- 3- नगर निकाय निदेशालय के पत्र संख्या-4/184/एन०जी०टी०/2020 दिनांक 01.02. 2021
- 4- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक (प०/क०)/प्रभारी/नोडल अधिकारी मा० एन०जी०टी०, नगरीय निकाय निदेशालय उ०प्र० का पत्रांक-4/3569/ एन०जी०टी०/2021 दिनांक 25.10.2021

उपरोक्त आरोप के संबंध में आप अपना लिखित उत्तर/जवाब 15 दिन में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में अपना लिखित उत्तर/जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, गुण दोष के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय ले लिया जायेगा जिसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगी।

निर्गमन अधिकारी,

(गंगा राम गुप्ता)
संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी
नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०

अनुमोदित

Bi
निदेशक,
नगर निकाय, उ०प्र०
31/11/2021

कार्यालय: नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र० सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

संख्या-2/95) /151-एन०जी०टी०/कार्य०/2021 दिनांक 03 नवम्बर, 2021

आरोप पत्र

श्रीमती ज्योतिमा वर्मा
अधिकासी अधिकारी,
नगर पंचायत, मगहर
(संतकबीरनगर)।

मा०एन०जी०टी० के पर्यावरणीय नियमों व आदेशों का अनुपालन न करने हेतु आपको निम्नवत् आरोपित किया जाता है:-

आरोप संख्या-1

आप पर प्रथम आरोप है कि नगर पंचायत, मगहर जनपद संतकबीरनगर में आप दिनांक 02.08.2018 से कार्यरत हैं व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 यथासंशोधित 2018, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 (अ व फ) आदि के नियमों का अनुपालन लोक स्वास्थ्य/जलीय जीवों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत आपके बाध्यकारी दायित्वों एवं अनिवार्य कर्तव्यों के अन्तर्गत आता है। पर्यावरणीय नियमों के संरक्षण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र०, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, निदेशक, नगर निकाय द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार कार्यवाही करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन तथा प्रोसेसिंग), प्लास्टिक/लीगेसी वेस्ट प्रबन्धन, नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए लिक्विड वेस्ट/सीवर वेस्ट को अन्तरिम उपाय-बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन की विधि से उपचारोपरान्त ही नदी में प्रवाहित करने, पाल्यूटेड रिवर स्ट्रैच के दृष्टिगत रिवर एक्शन प्लान के अनुसार वांछित कार्यवाही करने तथा मा० एन०जी०टी० के पर्यावरणीय नियमों/ आदेशों के अनुपालन हेतु अधिकासी अधिकारियों को उनकी तैनाती निकाय के लिए उत्तरदायी अधिकारी/नामित प्राधिकारी माना गया है।

अपर निदेशक(प०क०), प्रभारी-नोडल अधिकारी एन०जी०टी०, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-4/3573/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 25.10.2021 में उल्लेख है कि आपके पत्रांक-233 /न०प०म०, दिनांक 24.10.2021 द्वारा प्रेषित बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन संबंधी सूचना के अनुसार मगहर नगर पंचायत के दो नाले मो० संतकबीर नगर नाला व मो० इस्लाम नगर नाला आमी नदी में गिरते हैं जिसका कमश: ड्रेनवार औसत फ्लो 1.0-1.0 एम०एल०डी० है, का बायोरेमिडिएशन दिनांक 04.11.2020 को किया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती बीना सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिकासी अधिकारी, न०प० मगहर के रूप में दिनांक 23.02.2020 से 06.11.2020 तक कार्यरत रहीं जिनकी तैनाती अवधि के दौरान मगहर के दो नालों नाला मगहर नियर रेल ब्रिज, व मगहर नाला नियर कबीर चौराहा के बायोरेमिडिएशन के आगणन स्वीकृति टेन्डर कार्यवाही व बायोरेमिडिएशन की कार्यवाही विलम्ब से दिनांक 04.11.2020 से प्रारम्भ हुयी। मा०एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बानाम् म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 में की गयी संस्तुति के अनुसार पृष्ठ सं०-14 पर अंकित बिन्दु सं०-2 में निर्देश दिये गये हैं कि निकाय की सीमान्तर्गत अनुपचारित प्रदूषित जल का अन्तरिम उपचार बायो रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन के माध्यम से दिनांक 01.04.2020 की तिथि से प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा धनराशि रू०-5.00 लाख प्रति माह प्रति नाला राज्य के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश हैं। आपके द्वारा दिनांक 02.08.2018 से अब तक अपनी निकाय में लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी० के आदेशों का समय से अनुपालन न करके जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए अन्तरिम उपचार हेतु बायोरेमिडिएशन/फाइटोरेमिडिएशन संबंधी प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। आपके उक्त कृत्य से शासकीय कार्यों के प्रति घोर शिथिलता परिलक्षित होती है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के समर्थन में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे:-

1- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक- पीएमयू/1634/429(12)/2018, दिनांक 26.02.2019

Received
12/11/2021
E.O. Nagpur



- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1355/नौ-5-2019-352सा/16, दिनांक 10.04.2019
- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1743/नौ-5-2019, दिनांक 09 मई, 2019
- 4- सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास विभाग का पत्रांक-101/स०न०वि०(अ)/2019, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019
- 5- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3118/एन०जी०टी०/2020, दिनांक 25.08.2021
- 6- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3566/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 23.10.2021
- 7- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021
- 8- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक (प०/क०)/प्रभारी/नोडल अधिकारी मा० एन०जी०टी०, नगरीय निकाय निदेशालय उ०प्र० का पत्रांक-4/3573/एन०जी०टी०/2021 दिनांक 25.10.2021
- 9- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-2

आप पर दूसरा आरोप है कि अपर निदेशक(प०क०), प्रभारी-नोडल अधिकारी एन०जी०टी०, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-4/3573/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 25.10.2021 में उल्लेख किया गया है कि नगर पंचायत मगहर के पत्रांक-231/न०प०म० दिनांक 23.10.2021 के साथ सलंगन उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनालिसिस रिपोर्ट दिनांक 19.06.2021 के अनुसार बी०ओ०डी० व सी०ओ०डी० अनुमन्य मानक से अधिक प्रदर्शित है। निकाय स्तर पर जल प्रदूषण को रोकने एवं जलीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उनके द्वारा अधिकृत लैब से बी०ओ०डी० व सी०ओ०डी० व कॉलिफार्म आदि की टेस्टिंग सुनिश्चित कराने और अधिकृत लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में वीडियो कन्फ्रेंस में दिये गये हैं। आपके द्वारा बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी० एवं कोलीफार्म के संबंध में लैब टेस्टिंग की तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी व प्रदूषण लोड शून्य अंकित किया गया है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित वाद ओ०ए०सं० 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य के विषयगत नगर विकास अनुभाग-5 के पत्र संख्या-11246/नौ-5-2021-01रिट/2019 टीसी, दिनांक 22.10.2021 द्वारा निर्गत अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 21.10.2021 के कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या-2 के अनुसार उक्त वीडियो कन्फ्रेंसिंग में आपके द्वारा अपनी निकाय के नालों की बायो रेमिडिएशन संबंधी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त किया जाना बताया गया है परन्तु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कराये हुए टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तथा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जिस लैब से वाटर क्वालिटी का टेस्ट कराया गया, वह एन०ए० बी०एल० द्वारा प्रमाणित है अथवा नहीं? आपका उक्त कृत्य आपकी शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही व शिथिल कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के समर्थन में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे:-

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021
- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रिट/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन०जी०टी०/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक प०क०, नोडल एन०जी०टी० की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

4

आरोप संख्या-3

आप पर तीसरा आरोप है कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास द्वारा आहूत वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 21.10.2021 व निदेशक, नगरीय निकाय की वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 23.10.2021 में दिये गये निर्देशों कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.com/action-plan पर अपलोड "पाल्यूटेड रिवर स्टैच" के कम में संबंधी नदी के "रिवर एक्शन प्लान" की निकाय स्तर से कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही करते हुए एक्शन टेकेन रिपोर्ट उपलब्ध कराये किन्तु आपके द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध नहीं करायी गयी जो कि आपकी अनुशासनहीनता का द्योतक है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021
- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रिट/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन0जी0टी0/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा0असलम अंसारी, अपर निदेशक प0क0, नोडल एन0जी0टी0 की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा0एन0जी0 के संबंध में दिनांक 21.10. 2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।


उपरोक्त आरोप के संबंध में आप अपना लिखित उत्तर/जवाब 15 दिन में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में अपना लिखित उत्तर/जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है गुण दोष के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय ले लिया जायेगा जिसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगी।

निर्गमन अधिकारी,

(गंगा राम गुप्ता)

संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी
नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0

अनुमोदित


निदेशक,

नगर निकाय, उ0प्र0

कार्यालय: नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र० सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

संख्या-2/152/151-एन०जी०टी०/कार्य०/2021

दिनांक 23 नवम्बर, 2021

आरोप पत्र

श्री उमेश कुमार पासी,
अधिकासी अधिकारी,
नगर पंचायत, इल्लिफातगंज,
जनपद- अम्बेडकरनगर

मा०एन०जी०टी० के आदेशों का अनुपालन न करने हेतु आपको निम्नवत् आरोपित किया जाता है:-

आरोप संख्या-1

आप पर प्रथम आरोप है कि आप नगर पंचायत, इल्लिफातगंज जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 09.07.2018 से अधिकासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 यथासंशोधित 2018, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 आदि के नियमों का अनुपालन लोक स्वास्थ्य/जलीय जीवों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत बाध्यकारी दायित्वों-कर्तव्यों तथा उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 (अ व फ) के तहत अनिवार्य कर्तव्यों के अन्तर्गत आता है। पर्यावरणीय नियमों के संरक्षण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र०, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन एवं निदेशक, नगर निकाय द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार कार्यवाही करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन तथा प्रोसेसिंग), प्लास्टिक/लीगेसी वेस्ट प्रबंधन, नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए लिक्विड वेस्ट/सीवर वेस्ट को अन्तरिम उपाय-बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन की विधि से उपचारोपरान्त ही नदी में प्रवाहित करने, पाल्यूटेड रिबर स्ट्रेच के दृष्टिगत रिबर एक्शन प्लान के अनुसार वांछित कार्यवाही करने तथा मा०एन०जी०टी० के पर्यावरणीय नियमों/ आदेशों के अनुपालन हेतु अधिकासी अधिकारियों को उनकी तैनाती निकाय के लिए उत्तरदायी अधिकारी/नामित प्राधिकारी माना गया है।

अपर निदेशक(प०क०), प्रभारी-नोडल अधिकारी एन०जी०टी०, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-4/3571/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 25.10.2021 में उल्लेख है कि अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत, इल्लिफातगंज जनपद अम्बेडकरनगर के पत्रांक-434, दिनांक 24.10.2021 द्वारा प्रेषित बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन की सूचना के अनुसार इल्लिफातगंज नगर पंचायत का एक नाला आजाद नगर नाला जिसका प्लो डिस्चार्ज 3.50 एम०एल०डी० है, का बायोरेमिडिएशन किये बिना प्रदूषित लिक्विड वेस्ट घाघरा (सरयू) नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। मा०एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 में की गयी संस्तुति के अनुसार पृष्ठ सं०-14 पर अंकित बिन्दु सं०-2 में निर्देश दिये गये हैं कि निकाय की सीमान्तर्गत अनुपचारित प्रदूषित जल का अन्तरिम उपचार बायो रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन के माध्यम से दिनांक 01.04.2020 की तिथि से अनिवार्य रूप से प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है अन्यथा धनराशि रू०-5.00 लाख प्रति माह प्रति नाला राज्य के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश हैं। आपके द्वारा दिनांक 09.07.2018 से अब तक अपनी निकाय में मा० एन०जी०टी० के आदेशों का समय से अनुपालन नहीं किया गया है, जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए अन्तरिम उपचार हेतु बायो रेमिडिएशन / फाइटो रेमिडिएशन संबंधी कार्यवाही व प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया है। आपकी शासकीय कार्यों के प्रति शिथिलता परिलक्षित होती है जिसके लिए आप प्रथम दृष्ट्या दोषी है। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे:-

- 1- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक- पीएमयू/1634/429(12)/2018, दिनांक 26.02.2019
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1355/नौ-5-2019-352सा/16, दिनांक 10.04.2019
- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1743/नौ-5-2019, दिनांक 09 मई, 2019

Re
12/11/2021
[Signature]

[Signature]

- 4- सचिव, उ०प्र०शासन, नगर विकास विभाग का पत्रांक-101/स०न०वि०(अ)/2019, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019
- 5- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3118/एन०जी०टी०/2020, दिनांक 25.08.2021
- 6- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3566/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 23.10.2021
- 7- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 8- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक (प०/क०)/प्रभारी/नोडल अधिकारी मा० एन०जी०टी०, नगरीय निकाय निदेशालय उ०प्र० का पत्रांक-4/3571/एन०जी०टी०/2021 दिनांक 25.10.2021
- 9- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-2

आप पर दूसरा आरोप है कि आप नगर पंचायत, इल्लिफातगंज जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 09.07.2018 से अबतक कार्यरत हैं किन्तु आपके द्वारा अभी तक निकाय के सीमान्तर्गत स्थित नाले का अन्तरिम उपचार हेतु बायो रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन नहीं किया गया है। निकाय स्तर पर जल प्रदूषण को रोकने एवं जलीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उनके द्वारा अधिकृत लैब से बी०ओ०डी० व सी०ओ०डी० व कॉलिफार्म आदि की टेस्टिंग सुनिश्चित कराने और अधिकृत लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट व तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में वीडियोकांफ्रेंसिंग में दिये गये हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2021 व निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० द्वारा दिनांक 23.10.2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के बावजूद भी दिनांक 25.10.2021 तक आपके द्वारा बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी० एवं कॉलिफार्म के संबंध में लैब टेस्टिंग की तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी व व अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि जांच हेतु सैम्पल भेजा गया है, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी। आपका उक्त कृत्य आपकी शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही व शिथिल कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021
- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रिट/2021, दिनांक 10सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन०जी०टी०/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा०असलम अंसारी, अपर निदेशक प०क०, नोडल एन०जी०टी० की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-3

आप पर तीसरा आरोप है कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास द्वारा आहूत वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 21.10.2021 व निदेशक, नगरीय निकाय की वीडियोकांफ्रेंसिंग दिनांक 23.10.2021 में दिये गये निर्देशों कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.com/action-plan पर अपलोड "पाल्यूटेड रिवर स्टैच" के काम में संबंधी नदी के "रिवर एक्शन प्लान" की निकाय स्तर से कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये किन्तु आपके द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध नहीं करायी गयी जो कि आपकी अनुशासनहीनता का द्योतक है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021

- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रिट/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन0जी0टी0/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा0असलम अंसारी, अपर निदेशक प0क0, नोडल एन0जी0टी0 की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा0एन0जी0 के संबंध में दिनांक 21.10. 2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।


उपरोक्त आरोप के संबंध में आप अपना लिखित उत्तर/जवाब 15 दिन में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में अपना लिखित उत्तर/जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है गुण दोष के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय ले लिया जायेगा जिसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

निर्गमन अधिकारी,

(गंगा राम गुप्ता)

संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी
नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0

अनुमोदित


निदेशक, 31/11/2021

नगर निकाय, उ0प्र0

कार्यालय: नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र० सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

संख्या-2/ 955 /151-एन०जी०टी०/कार्य०/2021 दिनांक 03 नवम्बर, 2021

आरोप पत्र

श्रीमती ऋचा सिंह,
अधिशारी अधिकारी,
नगर पंचायत दोहरीघाट,
जनपद मऊ।

मा०एन०जी०टी० के आदेशों का अनुपालन न करने हेतु आपको निम्नवत् आरोपित किया जाता है:-

आरोप संख्या-1

आप पर प्रथम आरोप है कि नगर पंचायत दोहरीघाट जनपद मऊ में दिनांक 10.09.2018 से कार्यरत हैं व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 यथासंशोधित 2018, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 आदि के नियमों का अनुपालन लोक स्वास्थ्य/जलीय जीवों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत बाध्यकारी दायित्वों-कर्तव्यों तथा उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 (अ व फ) के तहत अनिवार्य कर्तव्यों के अन्तर्गत आता है। पर्यावरणीय नियमों के संरक्षण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र०, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन एवं निदेशक, नगर निकाय द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार कार्यवाही करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन तथा प्रोसेसिंग), प्लास्टिक/लीगेसी वेस्ट प्रबन्धन, नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए लिविड वेस्ट/सीवर वेस्ट को अन्तरिम उपाय-बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन की विधि से उपचारोपरान्त ही नदी में प्रवाहित करने, पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच के दृष्टिगत रिवर एक्शन प्लान के अनुसार वांछित कार्यवाही करने तथा मा०एन०जी०टी० के पर्यावरणीय नियमों/ आदेशों के अनुपालन हेतु अधिशारी अधिकारियों को उनकी तैनाती निकाय के लिए उत्तरदायी अधिकारी/नामित प्राधिकारी माना गया है।

अपर निदेशक(प०क०), प्रभारी-नोडल अधिकारी एन०जी०टी०, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-4/3572/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 25.10.2021 में उल्लेख है कि आपके द्वारा प्रेषित बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन की सूचना के अनुसार दोहरीघाट नगर पंचायत के सीमान्तर्गत चार नाले (1) कल्पनाथ यादव के घर के पास वार्ड नं० 04 मोहल्ला चमरौटी नाला फ्लो डिस्चार्ज 0.7 एम०एल०डी०, (2) दुर्गा मन्दिर के पास वार्ड नं० 06 मोहल्ला कमला तिवारी पुरा नाला फ्लो डिस्चार्ज 0.5 एम०एल०डी०, (3) पुलिस चौकी के पास वार्ड नं० 02 मोहल्ला नवापुरा अहिरौटी फ्लो डिस्चार्ज 0.6 एम०एल०डी०, (4) बबलू यादव के घर के पास वार्ड नं० 10 मोहल्ला मल्लाह टोला नाला फ्लो डिस्चार्ज 0.8 एम०एल०डी० का लिविड वेस्ट अन्तरिम उपचार बायोरेमिडिएशन द्वारा किये बिना सरयू (घाघरा) नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है और बी०ओ०डी व सी०ओ०डी का स्तर अनुमन्य मानक सीमा से अधिक है। आपके द्वारा बायोरेमिडिएशन/फाइटोरेमिडिएशन का आगणन कराने तक की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। मा०एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बानाम् म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 में की गयी संस्तुति के अनुसार पृष्ठ सं०-14 पर अंकित बिन्दु सं०-2 में निर्देश दिये गये हैं कि निकाय की सीमान्तर्गत अनुपचारित प्रदूषित जल का अन्तरिम उपचार बायोरेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन के माध्यम से दिनांक 01.04.2020 की तिथि से अनिवार्य रूप से प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है अन्यथा धनराशि ₹०-5.00 लाख प्रति माह प्रति नाला राज्य के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश हैं। आपके द्वारा दिनांक 10.09.2018 से अब तक अपनी निकाय में लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी० के आदेशों का समय से अनुपालन नहीं किया गया है, जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए अन्तरिम उपचार हेतु बायो रेमिडिएशन / फाइटो रेमिडिएशन संबंधी कार्यवाही व प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया है। आपके उक्त कृत्य से शासकीय कार्यों के प्रति शिथिलता परिलक्षित होती है जिसके लिए आप प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे:-

श्रीमती ऋचा सिंह
12.11.2021
EO Dehri Ghata
(Man)

- 1- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-पीएमयू/1634/429(12)/2018, दिनांक 26.02.2019
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1355/नौ-5-2019-352सा/16, दिनांक 10.04.2019
- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1743/नौ-5-2019, दिनांक 09 मई, 2019
- 4- सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास विभाग का पत्रांक-101/स०न०वि०(अ)/2019, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019
- 5- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3118/एन०जी०टी०/2020, दिनांक 25.08.2021
- 6- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3566/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 23.10.2021
- 7- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 8- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक (प०/क०)/प्रभारी/नोडल अधिकारी मा० एन०जी०टी०, नगरीय निकाय निदेशालय उ०प्र० का पत्रांक-4/3572/एन०जी०टी०/2021 दिनांक 25.10.2021
- 9- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-2

आप पर दूसरा आरोप है कि आप नगर पंचायत, इत्तिफातगंज जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 09.07.2018 से अबतक कार्यरत हैं किन्तु आपके द्वारा अभी तक निकाय के सीमान्तर्गत स्थित चारों नालों का अंतरिम उपचार हेतु बायो रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन नहीं किया गया है। जल प्रदूषण को रोकने एवं जलीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उनके द्वारा अधिकृत लैब से बी०ओ०डी० व सी०ओ०डी० व कॉलिफार्म आदि की टेस्टिंग सुनिश्चित कराने और अधिकृत लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में वीडियोकांफ्रेंसिंग में दिये गये हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2021 व निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० द्वारा दिनांक 23.10.2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के बावजूद भी दिनांक 25.10.2021 तक आपके द्वारा बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी० एवं कॉलिफार्म के संबंध में लैब टेस्टिंग रिपोर्ट की तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी व प्रदूषण लोड ही अंकित किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपकी शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही व शिथिल कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021
- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रिट/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन०जी०टी०/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक प०क०, नोडल एन०जी०टी० की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-3

आप पर तीसरा आरोप है कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास द्वारा आहूत वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 21.10.2021 व निदेशक, नगरीय निकाय की वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 23.10.2021 में दिये गये निर्देशों कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.com/action-plan पर अपलोड "पाल्यूटेड रिवर स्टैच" के कम में संबंधी नदी के "रिवर एक्शन प्लान" की निकाय स्तर से कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही करते




हुए एक्शन टेकेन रिपोर्ट कराये कन्तु आपके द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध नहीं करायी गयी जो कि आपकी अनुशासनहीनता का द्योतक है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।


- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021
- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रिट/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन०जी०टी०/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक प०क०, नोडल एन०जी०टी० की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10. 2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपरोक्त आरोप के संबंध में आप अपना लिखित उत्तर/जवाब 15 दिन में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में अपना लिखित उत्तर/जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है गुण दोष के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय ले लिया जायेगा जिसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगी।

निर्गमन अधिकारी,


(गंगा राम गुप्ता)
संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी
नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०

अनुमोदित


निदेशक,
नगर निकाय, उ०प्र०

कार्यालय: नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र० सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

संख्या-2/953 / 151-एन०जी०टी०/कार्य०/2021

दिनांक 03 नवम्बर, 2021

आरोप पत्र

श्री चन्द्र कृष्ण पाण्डेय,
अधिकासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गौराबरहज जनपद देवरिया।

मा०एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन न करने हेतु आपको निम्नवत् आरोपित किया जाता है:-

आरोप संख्या-1

आप पर प्रथम आरोप है कि अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गौराबरहज जनपद देवरिया के पद पर दिनांक 01.07.2019 से अब तक कार्यरत हैं व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 यथासंशोधित 2018, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 आदि के नियमों का अनुपालन लोक स्वास्थ्य/जलीय जीवों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत बाध्यकारी दायित्वों-कर्तव्यों तथा उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 (अ व फ) के तहत अनिवार्य कर्तव्यों के अन्तर्गत आता है। पर्यावरणीय नियमों के संरक्षण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र०, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन एवं निदेशक, नगर निकाय द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार कार्यवाही करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन तथा प्रोसेसिंग), प्लास्टिक/लीगेसी वेस्ट प्रबंधन, नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए लिक्विड वेस्ट/सीवर वेस्ट को अन्तरिम उपाय-बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन की विधि से उपचारोपरान्त ही नदी में प्रवाहित करने, पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच के दृष्टिगत रिवर एक्शन प्लान के अनुसार वांछित कार्यवाही करने तथा मा०एन०जी०टी० के पर्यावरणीय नियमों/ आदेशों के अनुपालन हेतु अधिकासी अधिकारियों को उनकी तैनाती निकाय के लिए उत्तरदायी अधिकारी/नामित प्राधिकारी माना गया है।

अपर निदेशक(प०क०), प्रभारी-नोडल अधिकारी एन०जी०टी०, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-4/3570/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 25.10.2021 में उल्लेख किया गया है कि आपके द्वारा प्रेषित सूचना रिपोर्ट के अनुसार गौराबरहज नगर पालिका परिषद के सीमान्तर्गत दो नालों संतरविदास घाट पटेल नगर मध्य व पटेल नगर पुल के पास वाले नाला का औसत फ्लो 13.00 एम०एल०डी०का अन्तरिम उपचार बायोरेमिडिएशन/फाइटोरेमिडिएशन द्वारा किये बिना दोनों नालों का प्रदूषित लिक्विड वेस्ट/सीवर वेस्ट घाघरा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। मा०एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम् म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021के पृष्ठ सं०-14 पर अंकित बिन्दु सं०-2 में निर्देश दिये गये हैं कि निकाय की सीमान्तर्गत अनुपचारित प्रदूषित जल का अन्तरिम उपचार बायो रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन के माध्यम से दिनांक 01.04.2020 की तिथि से प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य है अन्यथा धनराशि रू०-5.00 लाख प्रति माह प्रति नाला राज्य के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश हैं। आपके द्वारा दिनांक 01.07.2019 से अब तक अपनी निकाय में लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी० के आदेशों का समय से अनुपालन नहीं किया गया है, जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए अन्तरिम उपचार हेतु बायो रेमिडिएशन / फाइटो रेमिडिएशन संबंधी कार्यवाही व प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया है। आपके उक्त कृत्य से शासकीय कार्यों के प्रति आपकी शिथिलता परिलक्षित होती है जिसके लिए आप प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे:-

- 1- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-पीएमयू/1634/429(12)/2018, दिनांक 26.02.2019
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1355/नो-5-2019-352सा/16, दिनांक 10.04.2019

Received

12/11/2021

G.P. NPP Gaurabarhaj

- 4- सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास विभाग का पत्रांक-101/स०न०वि०(अ)/2019, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019
- 5- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3118/एन०जी०टी०/2020, दिनांक 25.08.2021
- 6- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3566/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 23.10.2021
- 7- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021
- 8- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक (प०/क०)/प्रभारी/नोडल अधिकारी मा० एन०जी०टी०, नगरीय निकाय निदेशालय उ०प्र० का पत्रांक-4/3570/एन०जी०टी०/2021 दिनांक 25.10.2021
- 9- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-2

आप पर दूसरा आरोप है कि आप नगर पंचायत, इल्लिफातगंज जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 09.07.2018 से अब तक कार्यरत हैं किन्तु आपके द्वारा अभी तक निकाय के सीमान्तगत स्थित दो नाले का अन्तरिम उपचार हेतु बायो रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन नहीं किया गया है। निकाय स्तर पर जल प्रदूषण को रोकने एवं जलीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उनके द्वारा अधिकृत लैब से बी०ओ०डी० व सी०ओ०डी० व कॉलिफार्म आदि की टेस्टिंग सुनिश्चित कराने और अधिकृत लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में वीडियोकांफ्रेंस में दिये गये हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2021 व निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० द्वारा दिनांक 23.10.2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के बावजूद भी दिनांक 25.10.2021 तक आपके द्वारा बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी० एवं कोलीफार्म के संबंध में लैब टेस्टिंग की तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी व प्रदूषण लोड शून्य अंकित किया गया है। आपका उक्त कृत्य आपकी शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही व शिथिल कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021
- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रिट/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन०जी०टी०/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक प०क०, नोडल एन०जी०टी० की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-3

आप पर तीसरा आरोप है कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास द्वारा आहूत वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 21.10.2021 व निदेशक, नगरीय निकाय की वीडियोकांफ्रेंस दिनांक 23.10.2021 में दिये गये निर्देशों कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.com/action-plan पर अपलोड "पाल्यूटेड रिवर स्टैच" के क्रम में संबंधी नदी के "रिवर एक्शन प्लान" की निकाय स्तर से कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही करते हुए एक्शन टेकेन रिपोर्ट उपलब्ध कराये किन्तु आपके द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध नहीं करायी गयी जो कि आपकी अनुशासनहीनता का द्योतक है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021
- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रिट/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन०जी०टी०/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा०असलम अंसारी, अपर निदेशक प०क०, नोडल एन०जी०टी० की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10. 2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपरोक्त आरोप के संबंध में आप अपना लिखित उत्तर/जवाब 15 दिन में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में अपना लिखित उत्तर/जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है गुण दोष के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय ले लिया जायेगा जिसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

निर्गमन अधिकारी,

(गंगा राम गुप्ता)

संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी
नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०

अनुमोदित

निदेशक, 31/11/2021

नगर निकाय, उ०प्र०

कार्यालय: नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र० सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

संख्या-2/354/151-एन०जी०टी०/कार्य०/2021

दिनांक 03 नवम्बर, 2021

आरोप पत्र

श्री अविनाश मल्ल,
अधिकासी अधिकारी,
नगर पंचायत बड़हलगंज,
जनपद गोरखपुर।

मा०एन०जी०टी० के आदेशों का अनुपालन न करने हेतु आपको निम्नवत् आरोपित किया जाता है:-


आरोप संख्या-1

आप प्रथम आरोप है कि नगर पंचायत बड़हलगंज जनपद गोरखपुर में दिनांक 18.04.2018 से कार्यरत हैं व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 यथासंशोधित 2018, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 आदि के नियमों का अनुपालन लोक स्वास्थ्य/जलीय जीवों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत बाध्यकारी दायित्वों-कर्तव्यों तथा उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 (अ व फ) के तहत अनिवार्य कर्तव्यों के अन्तर्गत आता है। पर्यावरणीय नियमों के संरक्षण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र०, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन एवं निदेशक, नगर निकाय द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार कार्यवाही करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन तथा प्रोसेसिंग), प्लास्टिक/लीगेसी वेस्ट प्रबन्धन, नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए लिक्विड वेस्ट/सीवर वेस्ट को अन्तरिम उपाय-बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन की विधि से उपचारोपरान्त ही नदी में प्रवाहित करने, पाल्यूटेड रिवर स्ट्रैच के दृष्टिगत रिवर एक्शन प्लान के अनुसार वांछित कार्यवाही करने तथा मा०एन०जी०टी० के पर्यावरणीय नियमों/ आदेशों के अनुपालन हेतु अधिकासी अधिकारियों को उनकी तैनाती निकाय के लिए उत्तरदायी अधिकारी/नामित प्राधिकारी माना गया है।

अपर निदेशक(प०क०), प्रभारी-नोडल अधिकारी एन०जी०टी०, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-4/3574/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 25.10.2021 में उल्लेख है कि आपके द्वारा प्रेषित बायोरेमिडिएशन व फाइटोरेमिडिएशन की सूचना के अनुसार बड़हलगंज नगर पंचायत के सीमान्तर्गत दो नाले कानूनगो घाट नाला औसत फ्लो 0.110 डिस्चार्ज एम०एल०डी० व तरकुलही घाट नाला औसत फ्लो 0.90 एम०एल०डी० का अन्तरिम उपचार बायोरेमिडिएशन द्वारा किये बिना लिक्विड वेस्ट/सीवर वेस्ट घाघरा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। मा०एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए०सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 में की गयी संस्तुति के अनुसार पृष्ठ सं०-14 पर अंकित बिन्दु सं०-2 में निर्देश दिये गये हैं कि निकाय की सीमान्तर्गत अनुपचारित प्रदूषित जल का अन्तरिम उपचार बायो रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन के माध्यम से दिनांक 01.04.2020 की तिथि से अनिवार्य रूप से प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है अन्यथा धनराशि रू०-5.00 लाख प्रति माह प्रति नाला राज्य के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश हैं। आपके द्वारा दिनांक 18.04.2018 से अब तक अपनी निकाय में लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी० के आदेशों का समय से अनुपालन नहीं किया गया है। जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए अन्तरिम उपचार हेतु बायो रेमिडिएशन / फाइटो रेमिडिएशन संबंधी कार्यवाही व प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया है। आपके उक्त कृत्य से शासकीय कार्यों के प्रति आपकी शिथिलता परिलक्षित होती है जिसके लिए आप प्रथम दृष्ट्या दोषी है। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे:-

- 1- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-पीएमयू/1634/429(12)/2018, दिनांक 26.02.2019
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1355/नो-5-2019-352सा/16, दिनांक 10.04.2019




E.O.B. 11/2021
M.P.B.
G.P.

- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ का पत्रांक-1743/नौ-5-2019, दिनांक 09 मई, 2019
- 4- सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास विभाग का पत्रांक-101/स०न०वि०(अ)/2019, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019
- 5- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3118/एन०जी०टी०/2020, दिनांक 25.08.2021
- 6- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/3566/एन०जी०टी०/2021, दिनांक 23.10.2021
- 7- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 8- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक (प०/क०)/प्रभारी/नोडल अधिकारी मा० एन०जी०टी०, नगरीय निकाय निदेशालय उ०प्र० का पत्रांक-4/3577/एन०जी०टी०/2021 दिनांक 25.10.2021
- 9- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-2

आप पर दूसरा आरोप है कि आप नगर पंचायत, इल्लिफातगंज जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 09.07.2018 से अबतक कार्यरत हैं किन्तु आपके द्वारा अभी तक निकाय के सीमान्तर्गत स्थित दो नालों का अन्तरिम उपचार हेतु बायो रेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन नहीं किया गया है। निकाय स्तर पर जल प्रदूषण को रोकने एवं जलीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उनके द्वारा अधिकृत लैब से बी०ओ०डी० व सी०ओ०डी० व कॉलिफार्म आदि की टेस्टिंग सुनिश्चित कराने और अधिकृत लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2021 व निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० द्वारा दिनांक 23.10.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के बावजूद भी दिनांक 25.10.2021 तक आपके द्वारा बी०ओ०डी०, सी०ओ०डी० एवं कोलीफार्म के संबंध में लैब टेस्टिंग की तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी व प्रदूषण लोड शून्य अंकित किया गया है। रिपोर्ट को उपलब्ध नहीं करायी गयी। आपका उक्त कृत्य आपकी शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही व शिथिल कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02. 2021
- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रि/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन०जी०टी०/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा० असलम अंसारी, अपर निदेशक प०क०, नोडल एन०जी०टी० की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ०ए० संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा०एन०जी० के संबंध में दिनांक 21.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आरोप संख्या-3

आप पर तीसरा आरोप है कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास द्वारा आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 21.10.2021 व निदेशक, नगरीय निकाय की वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 23.10.2021 में दिये गये निर्देशों कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.com/action-plan पर अपलोड "पाल्यूटेड रिवर स्टैच" के काम में संबंधी नदी के "रिवर एक्शन प्लान" की निकाय स्तर से कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही करते हुए एक्शन टेकेन रिपोर्ट उपलब्ध करायें किन्तु आपके द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध नहीं करायी गयी जो कि आपकी अनुशासनहीनता का द्योतक है जिसके लिए आप दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

- 1- निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० का पत्रांक-4/184/एनजीटी/2020, दिनांक 01.02.2021



- 2- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग का पत्रांक-1009/नौ-5-2021-12रिट/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021
- 3- निदेशालय के पत्रांक-4/3236/एन0जी0टी0/2018-20, दिनांक 15.09.2021
- 4- डा0असलम अंसारी, अपर निदेशक प0क0, नोडल एन0जी0टी0 की पत्रांक-4/25.10. 2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।
- 5- ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक.07.09.2021
- 6- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मा0एन0जी0 के संबंध में दिनांक 21.10. 2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपरोक्त आरोप के संबंध में आप अपना लिखित उत्तर/जवाब 15 दिन में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में अपना लिखित उत्तर/जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, गुण दोष के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय ले लिया जायेगा जिसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

निर्गमन अधिकारी,

(गंगा राम गुप्ता)
संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी
नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0

अनुमोदित

निदेशक,
नगर निकाय, उ0प्र0



प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

E-mail- comupjn@gmail.com
Phone- 0522-2620172,
2620272, Fax- 0522-2622389

पत्रांक:- 893 /007-2021-01-0074(ल0क्षे0)

दिनांक: 27/11/2021

कार्यालय-आदेश

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल हेतु गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट, जिसकी लागत रु0 166.85 करोड़ है, को माह दिसम्बर-2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था। योजना के लक्ष्यों की प्रगति असन्तोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप परियोजना का क्रियान्वयन माह मार्च-2022 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया किन्तु योजना पर तैनात कार्मिकों द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य/लक्ष्य पूर्ण नहीं किये गये।

योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के संदर्भ में श्री पंकज कुमार, परियोजना अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर द्वारा दायित्वों का अनुपालन न करने, अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने, रामगढ़ताल गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न कराने, विभागीय कार्यों के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरतने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप पत्र सं0 873/007-2021-01-0074(ल0क्षे0) दिनांक 20.11.2021 द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में मांगा गया। श्री पंकज कुमार, सहायक अभियन्ता/परियोजना अभियन्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण नियत समय में प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप यह परिलक्षित हुआ है कि उक्त सम्बन्ध में इनके पास बचाव हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और लगाये गये आरापों को स्वीकार करते हैं।

अतः प्रकरण में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल हेतु गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में पूर्ण न कराने, विभागीय कार्यों के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरतने, शासकीय दायित्वों का अनुपालन न करने एवं अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के फलस्वरूप श्री पंकज कुमार, परियोजना अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है।

इस आदेश की प्रति श्री पंकज कुमार, सहायक अभियन्ता की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जायेगी।

(नवीन गुप्ता)

मुख्य अभियन्ता(अ-2-1)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
 2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
 3. मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
 4. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर।
 5. अधीक्षण अभियन्ता(अ-2-1), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री पंकज कुमार, सहायक अभियन्ता की चरित्र पंजिका/व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
 6. श्री पंकज कुमार, परियोजना अभियन्ता, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर।
 7. प्रशासनिक अधिकारी/निजी सचिव, शिकायत अनुभाग (ग्रामीण) को गार्ड फाईल हेतु।

मुख्य अभियन्ता(अ-2-1)



प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

E-mail- comupin@gmail.com
Phone- 0522-2620172,
2620272, Fax- 0522-2622389

पत्रांक:- 894 /007-2021-01-0074(ल0क्षे0)

दिनांक: 27/11/2021

कार्यालय-आदेश

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल हेतु गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट, जिसकी लागत रू0 166.85 करोड़ है, को माह दिसम्बर-2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था। योजना के लक्ष्यों की प्रगति असन्तोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप परियोजना का क्रियान्वयन माह मार्च-2022 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया, किन्तु योजना पर तैनात कार्मिकों द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य/लक्ष्य पूर्ण नहीं किये गये।

योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के संदर्भ में श्री विकास दुबे, सहायक परियोजना अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर द्वारा दायित्वों का अनुपालन न करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों पा अनुपालन न करने, रामगढ़ताल गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न कराने, विभागीय कार्यों के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरतने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप पत्र सं0 873/007-2021-01-0074(ल0क्षे0) दिनांक 20.11.2021 द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में मांगा गया। श्री विकास दुबे, जूनियर इंजीनियर/सहायक परियोजना अभियन्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण नियत समय में प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप यह परिलक्षित हुआ है कि उक्त सम्बन्ध में इनके पास बचाव हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और लगाये गये आरापों को स्वीकार करते हैं।

अतः प्रकरण में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल हेतु गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में पूर्ण न कराने, विभागीय कार्यों के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरतने, शासकीय दायित्वों का अनुपालन न करने एवं अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के फलस्वरूप श्री विकास दुबे, सहायक परियोजना अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है।

इस आदेश की प्रति श्री विकास दुबे, जूनियर इंजीनियर की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जायेगी।

(नवीन गुप्ता)

मुख्य अभियन्ता(अ-2-2)

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
 2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
 3. मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
 4. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर।
 5. अधिशासी अभियन्ता(अ-2-2), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री विकास दुबे, जूनियर इंजीनियर की चरित्र पंजिका/व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
 6. श्री विकास दुबे, सहायक परियोजना अभियन्ता, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर।
 7. प्रशासनिक अधिकारी/निजी सचिव, शिकायत अनुभाग (ग्रामीण) को गार्ड फाईल हेतु।

मुख्य अभियन्ता(अ-2-2)

प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

पत्रांक : / /

दिनांक : 2021

श्री रतनसेन सिंह,
परियोजना प्रबन्धक,
निर्माण इकाई,
उ० प्र० जल निगम (नगरीय),
गोरखपुर।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनाती के दौरान राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर नगर स्थित रामगढ़ताल के उत्तरी छोर पैडलेगंज से आर०के०बी०के० मारुति शोरूम तक इन्टरसेप्टिंग सीवर एवं समानान्तर बन्धे के निर्माण कार्य की निविदा में विलम्ब हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निम्नांकित आरोप लगाये जाते हैं:-

आरोप-

राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत रामगढ़ताल रामगढ़ताल के उत्तरी छोर पैडलेगंज से आर०के०बी०के० मारुति शोरूम तक इन्टरसेप्टिंग सीवर एवं समानान्तर बन्धे के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं० 348/2020/1569/9-5-2021-16 बजट/2020 दिनांक 30.03.2021, लागत रू० 3419.80 (सेन्टेज सहित) द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परियोजना अन्तर्गत 11 नालों को टेप किया जाना है, के विषयगत राज्य सेक्टर से स्वीकृति के क्रम में निविदा प्रक्रियाधीन होना बताया गया। कार्य की निविदित लागत रू० 2702.19 लाख लेबर सेस सहित (जी०एस०टी० अतिरिक्त) है। प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में निविदा 30.10.2021 के पूर्व स्वीकृति हेतु आश्वस्त किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि परियोजना के राज्य सेक्टर से स्वीकृति के पश्चात् भी निविदा का कार्य आप द्वारा विलम्बित किया गया है।

उपरोक्तानुसार दायित्वों का अनुपालन न करने, रामगढ़ताल के उत्तरी छोर पैडलेगंज से आर०के०बी०के० मारुति शोरूम तक इन्टरसेप्टिंग सीवर एवं समानान्तर बन्धे के निर्माण कार्य की निविदा को विलम्बित करने, कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, नियम विरुद्ध कार्य करने एवं शासन के समक्ष विभाग की छवि धूमिल करने हेतु उत्तरदायी हैं।

पठनीय साक्ष्य:-

उक्त आरोप के समर्थन में शासनादेश सं० 348/2020/1569/9-5-2021-16 बजट/2020 दिनांक 30.03.2021 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति, दिनांक 21.10.2021 को शासन स्तर पर आहूत उच्च स्तरीय बैठक का कार्यवृत्त।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर अपने बचाव के पक्ष में उक्त आरोप पर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार ही अन्तिम आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि आप अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा किसी साक्ष्य का प्रति परीक्षण करना चाहते हैं तो ऐसे गवाह का नाम, पता व उसके द्वारा किये जाने वाले सम्भावित बयान के संक्षिप्त विवरण सहित लिखें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो समय निश्चित करके अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

अनुमोदित

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
एवं नियुक्ति प्राधिकारी

()
महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई
एवं जांच अधिकारी, लखनऊ



प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

E-mail- comupjn@gmail.com
Phone- 0522-2620172,
2620272, Fax- 0522-262238

पत्रांक- 885/007-2021-01-0074(ल0क्ष0)

दिनांक: 25/11/2021

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनाती अवधि के दौरान श्री रतनसेन सिंह, अधिशासी अभियंता द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन न करने, रामगढताल के उत्तरी छोर पैडलेगंज से आर0के0बी0के0 मारुति शोरूम तक इन्टरसेप्टिंग सीवर एवं समानान्तर बन्धे के निर्माण कार्य की निविदा को विलम्बित करने, कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, नियम विरुद्ध कार्य करने एवं शासन के समक्ष विभाग की छवि धूमिल करने आदि प्रतिकूल तथ्यों के प्रकाश में आने के फलस्वरूप उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को पदेन को जांच अधिकारी नामित किया जाता है।

महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ एवं पदेन जांच अधिकारी प्रश्नगत जांच सम्पन्न कर जांच आख्या विलम्बित दिनांक 20.12.2021 तक प्रस्तुत करेंगे।

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

1. प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय), लखनऊ एवं पदेन जांच अधिकारी को उक्त कार्मिक के आरोप पत्र एवं साक्ष्य (द्विपर्ण में) इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया राक्षम नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित प्रति अपने पास रखते हुए आरोप पत्र की अतिरिक्त प्रति अपने हस्ताक्षर से उक्त कार्मिक को निर्गत कर अनुशासनिक जांच कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कर जांच आख्या निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। **संलग्नक:-उपरोक्तानुसार (द्विपर्ण में)।**
2. प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर को प्रकरण में पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि अनुशासनिक जांच कार्यवाही सम्पन्न कराने में यह जांच अधिकारी द्वारा वॉछित अभिलेखों/साक्ष्यों को उपलब्ध कराते हुए जांच कार्यवाही में अपना सहयोग प्रदान कराना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
 2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(नागर), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
 3. मुख्य अभियंता (नागर/ल0क्ष0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
 4. सचिव (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
 5. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
 6. उप सचिव(प्रशासन)/निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री रतनसेन सिंह, अधिशासी अभियंता की चरित्र पंजिका/व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
 7. संबंधित कार्मिक को (नाम से)।
 8. प्रशासनिक अधिकारी/निजी सचिव, शिकायत अनुभाग (नगरीय) को गार्ड फाईल हेतु।

मुख्य अभियंता (अ-2-1)



प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

E-mail- comupjn@gmail.com

Phone- 0522-2620172,

2620272. Fax- 0522-2622389

पत्रांक:- 892 /007-2021-01-0074(ल0क्षे0)

दिनांक: 27/11/2021

कार्यालय-आदेश

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल हेतु गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट, जिसकी लागत रु0 166.85 करोड है, को माह दिसम्बर-2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था। योजना के लक्ष्यों की प्रगति असन्तोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप परियोजना का क्रियान्वयन माह मार्च-2022 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया, किन्तु योजना पर तैनात कार्मिकों द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य/लक्ष्य पूर्ण नहीं किये गये।

योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के संदर्भ में श्री रतनसेन सिंह, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर द्वारा दायित्वों का अनुपालन न करने, अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने, रामगढ़ताल गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न कराने, विभागीय कार्यों के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरतने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप पत्र सं0 875/007-2021-01-0074(ल0क्षे0) दिनांक 20.11.2021 द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में मांगा गया। श्री रतनसेन सिंह, अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक द्वारा अपना स्पष्टीकरण नियत समय में प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप यह परिलक्षित हुआ है कि उक्त सम्बन्ध में इनके पास बचाव हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हैं।

अतः प्रकरण में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल हेतु गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोन-ए-1 साउथर्न पार्ट का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में पूर्ण न कराने, विभागीय कार्यों के प्रति शिथिलता/लापरवाही बरतने, शासकीय दायित्वों का अनुपालन न करने एवं अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के फलस्वरूप श्री रतनसेन सिंह, परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है।

इस आदेश की प्रति श्री रतनसेन सिंह, अधिशासी अभियन्ता की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जायेगी।

80

(अनिल कुमार)

प्रबन्ध निदेशक

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
 2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
 3. मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
 4. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर।
 5. उपसचिव (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री रतनसेन सिंह, अधिशासी अभियन्ता की चरित्र पंजिका/व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
 6. श्री रतनसेन सिंह, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर
 7. प्रशासनिक अधिकारी/निजी सचिव, शिकायत अनुभाग (ग्रामीण) को गार्ड फाईल हेतु।

(नवीन गुप्ता)

मुख्य अभियन्ता (कर्मिक)

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या: 3811/नौ-4-21-11ई/2021
लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के श्री पंकज भूषण, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा के द्वारा गोयली नदी में प्रवाहित होने वाले दूषित जल के शोधन की कार्यवाही समय से न कराने, शिवरी स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट पर पड़े अपशिष्ट पदार्थों का सही ढंग से प्रबन्धन एवं निस्तारण न कराने तथा प्लांट पर कूड़े का ढेर पाये जाने आदि मामलों में पक्षीय दायित्वों के प्रति गम्भीर उदासीनता बरते जाने के फलस्वरूप जन स्वास्थ्य प्रभावित हुआ तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम, लखनऊ पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रतिकूल स्थिति भी उत्पन्न हुई।

2- श्री पंकज भूषण, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा के विरुद्ध सुसंगत शासनादेशों तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने तथा अपने पक्षीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी घोर लापरवाही के लिए विभागीय जांच अनुध्यात (CONTEMPLATED) है, को उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली-1966 के नियम-37 सपडित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3- निलम्बन अवधि में श्री पंकज भूषण, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगी तथा जीवन निर्वाह भत्ते की राशि पर महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महगाई भत्ता का उपात्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में, इस शर्त पर देय होंगे, जब इनका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिनके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब श्री पंकज भूषण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार तथा वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हुए हैं।

5- श्री पंकज भूषण, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा निलम्बन अवधि में निदेशक, नगर निकाय निदेशालय के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3811 (1)/नौ-4-21-11ई/2021 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक, नगर निकाय निदेशालय उ0प्र0।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/आगरा।
- 3- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/आगरा।
- 4- श्री पंकज भूषण, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा।
- 5- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा.से.

(बृजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या 3812 / नी-4-21-11ई / 2021
लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 2021

कार्यालय झाप

उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण सेवा के श्री पंकज भूषण, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा के द्वारा गोमती नदी में प्रवाहित होने वाले दूषित जल के शोधन की कार्यवाही समय से न कराने, शिवरी स्थित टॉस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट पर पड़ अपशिष्ट पदार्थों का सही ढंग से प्रबन्धन एवं निरन्तरण न करने तथा प्लांट पर कूड़ा का ढेर पाया जाने आदि मामलों में पदीय दायित्वों के प्रति गम्भीर उदासीनता बरतने जाने के फलस्वरूप जन स्वास्थ्य प्रभावित हुआ तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम, लखनऊ पर जुर्माना अधिसूचित किया गया साथ ही मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रतिकूल स्थिति भी उत्पन्न हुई। उक्त गम्भीर दुराचरण के लिए श्री पंकज भूषण, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा के विरुद्ध उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली-1966 के नियम-37 सपडित उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनार्थ अपर आयुक्त (प्रशासन) लखनऊ मण्डल, लखनऊ को जाँच अधिकारी नामित किया जाता है। जाँच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जाँच कर जाँच आख्या शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

डा० रजनीश दुहे
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3812 (1) / नी-4-21-11ई / 2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
- 2- अपर आयुक्त (प्रशासन) लखनऊ मण्डल, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि श्री पंकज भूषण, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता नगर निगम, आगरा को तामील कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के सतिथि हस्ताक्षर प्राप्त कर तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/आगरा।
- 4- श्री पंकज भूषण, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता नगर निगम, आगरा।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(बृजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या: 3963 / नौ-4-21-11ई / 2021
लखनऊ दिनांक: 25 नवम्बर, 2021

आरोप-पत्र

श्री पंकज भूषण
तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता,
नगर निगम, लखनऊ
सम्प्रति पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम, आगरा।

आप नगर निगम, लखनऊ में पर्यावरण अभियन्ता के पद पर दिनांक-13.10.2015 से दिनांक 31.07.2021 तक कार्यरत रहे। नगर निगम, लखनऊ में तैनाती की अवधि में पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी घोर लापरवाही एवं अनियमितताओं के लिए आपको एतद्द्वारा निम्नवत् आरोपित किया जाता है:-

आरोप संख्या-1.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा ओ0ए0 संख्या-200/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के क्रम में शासनादेश संख्या-475/नौ-5-2020-284सा/2019, दिनांक 31.01.2020 व शासनादेश संख्या-3146/नौ-5-2020-284सा/2019, दिनांक 11.08.2020 द्वारा गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित होने वाले दूषित जल को बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडियेशन विधि से शोधित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। लखनऊ शहर में स्थित गोमती नदी के दोनों किनारों में मिलने वाले नालों के जल-मल के निस्तारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.11.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 12 टैंड नालों से ओवरफ्लो होकर सीवेज गोमती नदी में बहता हुआ पाया गया। उक्त के अतिरिक्त 07 अनटैंड नालों से अनट्रीटेड सीवेज गोमती नदी में बहता हुआ पाया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-200/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के क्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या-जी034306/सी-5/सा0-46/2020 द्वारा नगर निगम, लखनऊ को 19 नालों हेतु रू0-4,75,00,000.00/- (चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की नोटिस निर्गत की गयी।

नगर निगम, लखनऊ के पर्यावरण अभियन्ता के पद पर कार्यरत होने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुश्रवण कर उनका अनुपालन कराना आपका प्राथमिक उत्तर दायित्व था। आपके द्वारा उक्त नालों के बायो रेमिडियेशन की कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे जल प्रदूषण हुआ एवं जन स्वास्थ्य को हानि पहुँची।

आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति गम्भीर लापरवाही बरते जाने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे शासन तथा नगर निगम, लखनऊ की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार आप शासनादेश दिनांक 31.01.2020 व शासनादेश दिनांक 11.08.2020 में दिये गये निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली-1956 के नियम-3(1) का उल्लंघन किये जाने के प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

पठनीय साक्ष्य निम्नवत् संलग्न है:-

1. शासनादेश सं0:-475/नौ-5-2020-284सा/2019, दिनांक 31.01.2020
2. शासनादेश सं0:-3146/नौ-5-2020-284सा/2019, दिनांक 11.08.2020
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ का पत्र संख्या-350/कैम्प/न0आ0, दिनांक 09.11.2021
3. उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली-1956 का नियम-3(1)।

आरोप संख्या-2

लखनऊ नगर के कूड़ा प्रसंस्करण हेतु ग्राम शिवरी में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.11.2019 को किया गया। निरीक्षण में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण सम्बन्धी संचालन बन्द पाये जाने एवं प्लान्ट में स्थापित सभी ट्रामल मशीन, कम्पोस्ट संयंत्र व लीचेट शोधन संयंत्र पूर्णतया बन्द होने से अनियन्त्रित अनसेग्रीगेटेड ठोस अपशिष्ट एकत्रित होने के कारण अत्यधिक मात्रा में लीचेट प्लान्ट परिसर के बाहर बहता हुआ एवं लो लैण्ड एरिया में एकत्रित पाया गया। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 03.09.2019 से दिनांक 18.12.2019 तक कुल 107 दिन की अवधि हेतु 14,40,71,000.00/- (चौदह करोड़ चालीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की क्षति अधिरोपित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। पुनः दिनांक 28.10.2020 को क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण की सभी इकाईयाँ पूर्णतया बन्द पायी गयी तथा विद्युत आपूर्ति विच्छेदित होने के कारण प्लान्ट का संचालन नहीं होना पाया गया। निरीक्षण के समय प्लान्ट परिसर में लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट भण्डारित पाया गया।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट का नियमित संचालन एवं पुराने या परित्यक्त कूड़ा स्थलों के जैविक उपचार या कैपिंग किये जाने सम्बन्धी प्राविधान विनिर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित करते हुए उपबन्धित किया गया है। नगर निगम, लखनऊ के पर्यावरण अभियन्ता के पद पर कार्यरत होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के उपबन्धों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट का निर्बाध संचालन कराया जाना आपका पदीय दायित्व था।

उक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी जिसके कारण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष नगर निगम, लखनऊ की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुई एवं नगर निगम पर जुर्माना अधिरोपित किया गया। नगर आयुक्त के पत्र संख्या-345/कैम्प/न0आ0/पर्या0अभि0, दिनांक 08.11.2021 से भी स्पष्ट है

कि आपके कार्यकाल में शिवरी में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट स लिगसी वेस्ट को हटाने के लिए कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की गयी एवं मेरास इको ग्रीन कम्पनी जिसके द्वारा प्रोसेसिंग का कार्य अनुबन्ध के अनुरूप नहीं किया जा रहा था के विरुद्ध भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे कम्पनी के साथ आपकी दुरभिसंधि प्रतीत होती है। इस प्रकार आप पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के उपबन्धों का उल्लंघन करने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली 1956 के नियम-3(1) का उल्लंघन किये जाने के प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

पठनीय साक्ष्य निम्नवत् संलग्न है:-

1. उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड का पत्र दिनांक 30.12.2019, दिनांक 27.07.2020 व 20.11.2020
2. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016
3. उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली-1956 का नियम-3(1)।
4. नगर आयुक्त के पत्र संख्या-345/कैम्प/न0आ0/पर्या0आग0, दिनांक 08.11.2021

आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस आरोप पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर आरोप पत्र के उत्तर में अपने बचाव का लिखित कथन जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में आपका कोई लिखित कथन प्राप्त नहीं होता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि आपको कोई ऐसा कथन प्रस्तुत नहीं करना है एवं आपके विरुद्ध एकतरफा जॉच कार्यवाही करके तदनुसार आदेश पारित कर दिया जाएगा।

इस संबंध में यदि आप उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो उसका उल्लेख अपने लिखित कथन में करें। यदि आप किसी साक्षी का बयान कराना चाहते हैं अथवा किसी साक्षी से जिरह करना चाहते हैं तो उनके नाम मय पता तथा उनके सम्भाव्य बयानों का सारांश अपने लिखित कथन के साथ प्रस्तुत करें।

श्री राज्यपाल की ओर से

अनुमोदित

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

जॉच अधिकारी,
अपर आयुक्त (प्रशासन)
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

डा० रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव।



अर्द्धशा.प.सं-3968/नौ-4-21-11ई/2021
नगर विकास अनुभाग-4
लखनऊ : दिनांक : 26 नवम्बर, 2021

प्रिय ^{२१}देवेश,

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 में प्राविधानित एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) के निर्देशों के अनुपालन में गंगा तथा सहायक नदियों में गिरने वाले प्रदूषित नालों पर बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडियेशन या अन्य विधि से दूषित जल के शोधन की कार्यवाही किये जाने की विधिक बाध्यता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-475/नौ-5-2020-284सा/2019, दिनांक 31.01.2020 व शासनादेश संख्या-3146/नौ-5-2020-284सा/2019, दिनांक 11.08.2020 द्वारा बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडियेशन की कार्यवाही समस्त नगरीय निकायों में किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- लखनऊ शहर में स्थित गोमती नदी के दोनों किनारों में मिलने वाले नालों के जल-मल के निस्तारण के सम्बन्ध में 12 टैप्ड नालों से ओवरफ्लो होकर सीवेज तथा 07 अनटैप्ड नालों से अनट्रीटेड सीवेज गोमती नदी में बहते हुए पाये जाने के कारण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या-जी०34306/सी-5/सा०-46/2020 दिनांक 02.12.2020 द्वारा नगर निगम, लखनऊ को 19 नालों हेतु रू०-4,75,00,000/- (चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की नोटिस निर्गत की गयी है। समय से उक्त नालों के दूषित जल को बायोरेमिडियेशन/फाइटोरेमिडियेशन विधि से शोधित न किये जाने के कारण जल प्रदूषण हुआ एवं जन स्वास्थ्य को हानि पहुँची।

यह भी उल्लेखनीय है कि लखनऊ नगर के कूड़ा प्रसंस्करण हेतु ग्राम शिवरी में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.11.2019 को किया गया। निरीक्षण में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण सम्बन्धी संचालन बन्द पाये जाने एवं प्लान्ट में स्थापित सभी ट्रामल मशीन, कम्पोस्ट संयंत्र व लीचेट शोधन संयंत्र पूर्णतया बन्द होने से अनियन्त्रित अनसेग्रीगेटेड ठोस अपशिष्ट एकत्रित होने के कारण अत्यधिक मात्रा में लीचेट प्लान्ट परिसर के बाहर बहता हुआ एवं लो लैण्ड एरिया में एकत्रित पाया गया। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 03.09.2019 से दिनांक 18.12.2019 तक कुल 107 दिन की अवधि हेतु 14,40,71,000.00/- (चौदह करोड़ चालीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की क्षति अधिरोपित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। पुनः दिनांक 28.10.2020 को क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण की सभी इकाईयाँ पूर्णतया बन्द पायी गयी तथा विद्युत आपूर्ति विच्छेदित होने के कारण प्लान्ट का संचालन नहीं होना पाया गया। निरीक्षण के समय प्लान्ट परिसर में लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट भण्डारित पाया गया।

3- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-29/मु0वि0/के0 दिनांक 27.04.2019 के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (एस0डब्ल्यू0एम0) तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुश्रवण कर अनुपालन कराने हेतु श्री अमित कुमार, तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को अधिकृत किया गया था। इसके उपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-279/मु0वि0/के0, दिनांक 19.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (एस0डब्ल्यू0एम0) के कार्य हेतु डा0 अर्चना द्विवेदी, तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को अधिकृत किया गया।

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) में दाखिल ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम नगर निगम, गोरखपुर व अन्य में दिनांक 07.09.2021 को मा0 अधिकरण द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:-

..... We direct the Chief Secretary to now take meaningful and stringent action for compliance of law and hold the erring officers accountable in the same manner as any other violators of law in a system governed by rule of law. Adverse entries must be made in their ACRs and if there is no change in their attitude towards performance of their duty, the criminal prosecution needs to be launched against them in the same manner as against any other violators.

5- अतः इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-345/कैम्प/न0आ0/पर्या0अधि0, दिनांक 08.11.2021 एवं पत्र संख्या-350/कैम्प/न0आ0, दिनांक 09.11.2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि श्री अमित कुमार, तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ सम्प्रति अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रायबरेली, तथा डा0 अर्चना द्विवेदी, तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ सम्प्रति अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर प्रान्तीय सिविल सेवा संवर्ग के अधिकारी हैं। श्री अमित कुमार दिनांक 03.08.2018 से 13.09.2021 तक एवं डा0 अर्चना द्विवेदी दिनांक 23.02.2019 से 07.08.2021 तक अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पद पर तैनात रहे। कृपया मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 07.09.2021 के अनुपालन में उपरोक्त उत्तरदायी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या (ACRs) में तद्विषयक प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करते हुए कृत कार्यवाही से नगर विकास विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त

संलग्नक

भवदीय,

(डा0 रजनीश कुबेर)

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
नियुक्ति विभाग,
उ0प्र0 शासन।